खण्ड-162, अंक-4
शुक्रवार, 25 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(16 दिसम्बर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 162 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२५)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरन्जीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़जलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बजूराम, श्री

ब्रह्मदत्तदीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री
(सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री

रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री

रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा
व्रजभूषण, मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा,श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में विद्यार्थियों की फीस की मुआफी

**१--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की फीस मुआफी के संबंध में नवम्बर, सन् ५५ तक प्रत्येक जिले को अलग-अलग कितना-कितना रुपया प्रदान किया गया ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)--बाढ़-पीड़ित जिलों के क्षेत्रों को फीस-मुआफी के सम्बन्ध में प्रत्येक जिले में नवम्बर, सन् ५५ तक निम्नलिखित धन स्वीकार किया गया है--

जिला			रु०
फैजाबाद	...	...	७०,०००
बस्ती	...	...	७०,०००
आजमगढ़	...	...	१,५०,०००
सुल्तानपुर	..	...	५०,०००
गोरखपुर	...	...	१,१०,०००
जौनपुर	...	...	१,३०,०००
बहराइच	...	...	५५,०००
गोंडा	...	...	५०,०००
प्रतापगढ़	...	...	९०,०००
इलाहाबाद	...	...	२५,०००
बाराबंकी	...	...	२५,०००
देवरिया	...	...	७५,०००
बलिया	...	...	६०,०००
रायबरेली	...	...	१५,०००
गाजीपुर	...	..	१०,०००
बनारस	...	...	१५,०००
योग		..	१०,००,०००

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जो बाढ़ आयी तो वहां के बाढ़-पीड़ित छात्रों को क्यों नहीं फीस में मआफी दी गयी ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--यह पहली बाढ़ के बारे में पूछा गया था वह बता दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह १६ जिलों को जो रकम दी गयी है इन जिलों से कुल कितने रुपए की मांग आयी थी?

श्री हरगोविन्दसिंह--अभी तक पूरी मांग नहीं आयी जितनी मांग आयेगी उतना रुपया दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रकम जो प्रदान की गयी है यह किस महीने तक की फीस के लिये है?

श्री हरगोविन्दसिंह--यह अगस्त से लेकर ५ महीने तक के लिये है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो फीस में माफी दी गयी वह वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये भी है या केवल जनरल एजुकेशनल में?

श्री हरगोविन्दसिंह--यह बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में जितने इंस्टीट्यूशन हैं उन सब के लिए है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या सरकार को पता है कि जौनपुर जिले में शिक्षा अधिकारियों ने बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों से फीस रियलाइज कर ली थी और उसके विरोध में वहां पर जन-आन्दोलन खड़ा हो गया था?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी नहीं, वहां कोई फीस नहीं रियलाइज की गयी थी। हां, वहां के सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वह एक आन्दोलन करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने झूठमूठ यह लिख दिया कि यहां फीस ली गयी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को यह पता कि बाकायदा सरकार को नोटिस दी गयी थी कि यहां विद्यार्थियों से फीस ली गयी?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी नहीं, नोटिस की बाबत जहां तक मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक प्रेस वाले को कोई काम नहीं दिया गया रोज छापने का, इसलिये सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से सत्याग्रह हुआ लेकिन जब बाद में उसको कोई पब्लिक कोआपरेशन नहीं मिला तो उन्होंने फीस लेने की बाबत कहा। न कोई आन्दोलन हुआ और न कोई नोटिस हुआ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि जिस समय यहां पर कामरोको प्रस्ताव आया था और जिसके लिये माननीय अध्यक्ष ने रोशनी डालने की बात कही थी तो उसमें स्पष्टतः उस तारीख को यह कहा गया था कि वहां सरकारी कर्मचारियों ने फीस ली जिससे वहां के विद्यार्थियों में उत्तेजना है?

श्री हरगोविन्दसिंह--कहा गया होगा लेकिन शायद वह एडजर्नमेंट मोशन के लिये कहा गया होगा। वाकया यह नहीं था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री जी पता लगायेंगे कि आजमगढ़, जौनपुर और बलिया और दूसरे जिलों में जो फीस माफी दी गयी थी वहां के अध्यापक फीस माफी उसको न मान कर स्कूलों में फीस वसूल किए हैं और न देने पर वहां विद्यार्थियों के नाम खारिज हो गए हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--ऐसा तो नहीं हुआ है, फीस में माफी दी जा रही है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह फीस की माफी कब से कब तक की बाढ़ के लिये है?

डाक्टर सीताराम--अगस्त, सन् ५५ से नवम्बर तक दी गई है और दिसम्बर की दी जाने वाली है।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिमी जिलों में भी पिछली बरसात में बाढ़ आई है?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां, आई है।

श्री बलवन्तसिंह--तो पश्चिमी जिलों में विद्यार्थियों को फीस माफी क्यों नहीं दी गई?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसका उत्तर मैं इस समय नहीं दे सकता, क्योंकि यह रुपया रेवेन्यू विभाग से मिलता है, जिन जिलों के लिये मिला उनको बांट दिया गया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह बात सही नहीं है कि वहां के अधिकारियों के दिमाग में यह बात है कि जितना रुपया उनको आज तक दिया गया है वही फीस माफी के लिये है और इससे ज्यादा नहीं मिल सकेगा?

श्री हरगोविन्दसिंह--वहां के अधिकारियों के दिमाग में यह बात हो या न हो इसकी बाबत मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहां से सरकुलर गया था कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में जितने धन की जरूरत हो और वह मांगें, वह दिया जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पश्चिमी जिलों से ऐसी सहायता के लिये मांग आई थी?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि फैजाबाद और आजमगढ़ को एक-एक लाख रुपया दिया गया है और बस्ती को केवल ७० हजार ही दिया गया है, इस फर्क का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह--इसमें फर्क का कोई सवाल नहीं है, जहां से जितनी मांग आई वहां उतना दिया जा रहा है।

गांव-सभा तथा भूमि-प्रबन्धक-समिति के सेक्रेटरियों को मिलाने का विचार

**२--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि गांव सभा के सेक्रेटरियों और भूमि-प्रबन्धक-समिति के सेक्रेटरियों को एक में मिला देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--यह विषय सरकार के विचाराधीन है। अतः योजना का कोई रूप नहीं दिया जा सकता।

श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह विषय कब से सरकार के विचाराधीन है और वह कब तक कार्य रूप में परिणत हो जायगा?

चतुर्भुज शर्मा--यह कई महीने से विचाराधीन है और शीघ्र ही उसका निर्णय हो जाने की आशा है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अलग-अलग सेक्रेटरी होने के कारण कार्य-संचालन में बड़ी परेशानी हो रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था, तभी इस पर विचार हो रहा है।

**३-५--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--[स्थगित किए गये] ।

बनारस जिलान्तर्गत भदोही, रामनगर, चकिया तहसीलों में जमींदारी मुआविजा बांड मिलने में विलम्ब

**६--श्री राजनारायण--क्या सरकार बतायेगी कि भदोही, रामनगर, चकिया, जिला बनारस में जमींदारी उन्मूलन कब हुआ और वहां के जमींदारों को अंतिम मुआविजा या फाइनल बाण्ड दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दिया जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिला बनारस की भदोही, रामनगर तथा चकिया तहसीलों में १-७-१९५३ को जमींदारी उन्मूलन हुआ। वहां के जमींदारों को जिनका अंतिम (final) मुआविजा ५० रु० तक है, उनको वह नकद दिया गया और दिया जा रहा है। बांडों का वितरण रुका हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मौजूदा बांड, जिनमें निहित होने की तिथि १-७-५२ लिखी हुई है, जारी नहीं किए जा सकते और नए बांड जिनमें निहित होने की तिथि १-७-५३ होगी, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड से छपवाये जा रहे हैं। जैसे ही वे प्राप्त होंगे, उनका वितरण किया जायेगा। तब तक नियमानुसार अंतरिम (interim) मुआविजा दिया जा रहा है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बता सकती है कि यह इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में कब तक छप जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उम्मीद है जल्दी आयेंगे क्योंकि लिखा गया है कि वह जल्दी से भेजें।

श्री राजनारायण--क्या सरकार के पास वहां के लोगों ने अपना कोई मेमो-रेंडम भी दिया है कि किस तरीके से उनको मुआविजा मिलने में दिक्कत हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या चकिया, बनारस जिले में जो जमींदारी उन्मूलन हुआ है वहां पर जो किसी मंदिर या मठ के संरक्षक थे उनको भी यह मुआविजा दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मुआविजा जो ऐसे इंस्टीट्यूशन्स का होता है वह उनको ऐनुअल ऐनुइटी दी जाती है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन कानून यू० पी० के अन्य हिस्सों में भी लागू है उसी तरह से भदोही में भी लागू है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, वही जमींदारी उन्मूलन कानून लागू है।

तारांकित प्रश्न

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, आजमगढ़ को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अनुदान

*१--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ५३-५४ में आजमगढ़ जिले के किस स्कूल को प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया गया तथा इस वर्ष उस स्कूल का व्यय कितना था ?

डाक्टर सीताराम --जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, आजमगढ़--

			रु०	आ०	पा०
आवर्त्तक व्यय	...	...	१३,६४०	१५	३
अनावर्तक	...	...	१,१०२	०	०
		योग ..	१४,७४२	१५	३

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर जो दिया गया है उसमें हमने पूछा था कि ५३-५४ में उस स्कूल में कितना व्यय हुआ था। यह जो सरकार ने बताया है आवर्त्तक और अनावर्त्तक तो यह तो अनुदान हुआ। सरकार ने उस स्कूल का खर्चा नहीं बताया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--आपके प्रश्न में तो पहले भाग के उत्तर में स्कूल का नाम पूछा गया था वह बता दिया गया और खर्च आवर्त्तक और अनावर्त्तक बता दिया गया। अब और क्या चाहते हैं ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--श्रीमन्, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह जवाब बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष--आप राय दे रहे हैं। सवाल पूछिए।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कूल को ५३-५४ में कितना अनुदान प्लानिंग विभाग से दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--१५ हजार के करीब होता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस स्कूल को यह अनुदान किस आधार पर दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--चूंकि यह स्कूल था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि यह १५ हजार रुपए की ग्राण्ट इस स्कूल को प्लानिंग विभाग द्वारा दी गई थी या गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो हमारे स्कूलों को हर जिले में कुछ दिया जाता है उस ग्राण्ट में से यह रुपया दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--वही ग्राण्ट है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतलायेगी कि जब यह ग्राण्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया से आई तो जिला प्लानिंग कमेटी की कोई राय इस सिलसिले में इस स्कूल को देने के लिये ली गई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--अमूमन राय तो नहीं ली जाती।

*२--३--श्री रामसुन्दर पांडेय--[स्थगित किए गए।

*४--५--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--[स्थगित किए गए।]

*६--७--श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--[स्थगित किए गए।]

*८--१०--श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (जिला हमीरपुर)--[स्थगित किए गए।

*११-१२--श्री रामेश्वरलाल--[स्थगित किए गए।]

*१३--१४--श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[स्थगित किए गए।)

*१५--१६--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[स्थगित किए गए।

*१७--१९--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--[स्थगित किए गए।]

महिला-मङ्गल योजना की ट्रेनिङ्ग के लिए जौनपुर जिले से प्रार्थना-पत्र

*२०--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले से कितनी महिलाओं ने महिला-मंगल योजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है और उसमें कोई हरिजन महिला भी है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--महिला-मंगल योजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये जौनपुर जिले से इस वर्ष आठ महिलाओं ने प्रार्थना-पत्र दिए थे, परन्तु उनमें कोई हरिजन महिला नहीं थी।

*२१--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ट्रेनिंग के लिए क्या योग्यता रक्खी गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--ग्राम-सेविकाओं की ट्रेनिंग के लिये निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता रक्खी गई है--

(१) जूनियर हाई स्कूल तथा समकक्ष परीक्षा
(२) विद्याविनोदिनी
(३) आठवीं कक्षा पास तथा अपर मिडिल.

अन्य योग्यतायें इस प्रकार हैं--

(१) आयु १८ से ३० वर्ष के बीच
(२) ग्रामीण वातावरण का ज्ञान और ग्राम में कार्य करने की रुचि
(३) अच्छा स्वास्थ्य।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो महिलायें ट्रेंड हो गई हैं उनको कार्यभार दे दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जैसे-जैसे ट्रेनिंग पाती जाती हैं उनको पोस्ट कर दिया जाता है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उनका कार्य-क्षेत्र कितना रक्खा गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर---एक ग्राम-सेविका तीन ग्रामों में काम करती है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको कार्य-क्षेत्र में रहना पड़ता है या हेडक्वार्टर पर ?

आचार्य जुगलकिशोर---ग्रामों में रहना पड़ता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि इस महिला-मंगल योजना में लड़कियों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वे ज्यादातर गांवों में ही काम करेंगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि गांवों में आजकल ज्यादा शिक्षा पाई हुई लड़कियां नहीं मिलती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह विचार करेगी कि कम योग्यता की लड़कियां भी इस ट्रेनिंग में ले ली जायं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जो योग्यता रक्खी गई है वह इतनी कम है कि इससे कम रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह महिला-मंगल योजना जो है वह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है या प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत है ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि महिला मंगल-योजना के अन्तर्गत जो लड़कियां काम करती हैं गांवों में उनको गांवों में रहने के लिये घर का बन्दोबस्त भी सरकार करती है ?

आचार्य जुगलकिशोर---उनके रहने के लिये इंतजाम वहां होता है और उनका खर्चा भी दिया जाता है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या यह सही है कि महिला-मंगल योजना के अन्तर्गत काम करने वाली लड़कियों को रिहायश के लिये कोई भत्ता दिया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर---रिहायश का भत्ता तो नहीं दिया जाता, जहां तक मुझे खयाल है।

महिला-मंगल योजना में वार्षिक व्यय

*२२---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महिला-मंगल योजना में वार्षिक व्यय क्या होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर---१९५३-५४ तथा १९५४-५५ वित्तीय वर्षों में महिला-मंगल योजना में क्रमानुसार २,४१,०१८ तथा ३,१६,०२० रुपया व्यय हुआ था।

श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस व्यय में वार्षिक भत्ता भी सम्मिलित है ?

आचार्य जुगलकिशोर--सभी व्यय इसमें शामिल हैं।

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्त के किन-किन जिलों में यह महिला-मंगल योजना चल रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मेरे पास इस वक्त यह सूचना तो है नहीं, लेकिन मैं इतना बतला सकता हूं कि तीस जिलों में इस वक्त है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर महिला-मंगल-योजना दो तरह से चलायी जाती है, एक तो हमारे राज्य के खर्चे से और दूसरी गवर्नमेंट आफ इंडिया की है जिसमें श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, उसकी प्रेसीडेंट हैं, उसका भी रुपया इस प्रदेश के अन्दर खर्च होता है, तो दोनों विभागों से अलग-अलग रुपया खर्च होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं। उसका रुपया इसमें शामिल नहीं है।

श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इसमें यात्रा के भत्ते की मद कितनी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसके लिये तो मुझे सूचना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्कीम, जिसका मैंने जिक्र किया, उसका रुपया इस प्रदेश के अन्दर खर्च होता है और इस गवर्नमेंट की महिला-मंगल-योजना से उसका क्या सम्बन्ध है ?

आचार्य जुगलकिशोर--दोनों अलग-अलग योजनायें हैं । दोनों का वैधानिक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार के पास कोई पुरुष मंगल-योजना भी चल रही है ?

(हंसी--कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार केन्द्र द्वारा संचालित महिला-मंगल-योजना और प्रदेश द्वारा संचालित महिला-मंगल-योजना को कोआर्डिनेट करने के लिये कोई एजेंसी स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--स्टेट वेलफेयर बोर्ड है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि होते हैं । उसके जरिये से कोआर्डिनेशन होता है।

श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत राजनीतिक पीड़ितों के खानदान की स्त्रियों के लिये कुछ सुविधा क्वालिफिकेशन में देने पर तैयार है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जो क्वालिफिकेशन्स रखी गयी हैं वह इतनी कम हैं कि उसमें मैं समझता हूं कि यह जो राजनीतिक पीड़ित स्त्रियां हैं वह भी इसमें शामिल हो सकती हैं ?

श्री बलवन्तसिंह--क्या सरकार प्रान्त के हर जिले में महिला-मंगल योजना को लाने के लिये तैयार है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसका प्रयत्न किया जा रहा है। अभी ३० जिलों में है और अगले वर्ष में यदि रुपया हुआ तो उसे बढ़ाया जायगा।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--इस समय प्रदेश में तीन योजनायें महिलाओं के मंगल के लिये चल रही हैं, क्या कृपा करके मंत्री जी बतलायेंगे कि इन तीनों में आपस में संबंध स्थापित करने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--मुझे मालूम नहीं। कौन से तीन का वह जिक्र कर रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--तीसरी योजना अर्द्ध सरकारी है, लेकिन सरकार भी सहायता दे रही है, जिसकी संचालिका श्रीमती लीलावती मुंशी हैं।

आचार्य जुगलकिशोर--वह तो शहर की स्त्रियों के लिये है। ग्रामीण स्त्रियों के लिये विशेष तौर से वह योजना नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे यह सारी जितनी भी सोशल ऐक्टीविटीज हैं उनको एक साथ कोआर्डिनेट किया जा सके ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसके लिये एक स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड बनाया गया ह। आशा है इसके द्वारा कोआर्डिनेशन हो जायगा।

*२३--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)--[स्थगित किया गया।]

*२४--**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती)--[स्थगित किया गया।]

*२५--२६--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)--[स्थगित किए गए।]

देवरिया ज़िले के दुधही में बेंत के घरेलू उद्योग को चलाने का विचार

*२७--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार दुधही स्टेशन, ग्राम मिश्रोली (देवरिया) के बेंत के काम करने वाले हरिजनों को आर्थिक सहायता देकर बेंत के घरेलू उद्योग को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जिला नियोजन अधिकारी देवरिया की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि दुधही में बेंत का काम कुछ वष पूर्व स्थापित किया गया था, परन्तु बेंत अच्छी किस्म की न होने के कारण तथा अधिक लागत व बिक्री की असुविधा के कारण यह काम नहीं चला, तथापि इस धंधे को फिर से चलाने का विचार जिलाधीश कर रहे हैं।

*२८--**श्री रामसुभग वर्मा**--क्या सरकार वहां पर इस तरह का कोई ट्रेनिंग स्कूल खोलने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी योजना प्रस्तुत नहीं की गई ह।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां हरिजनों का बेंत का काम करने का पेशा है। यदि हां, तो वहां के बेंत के काम करने वाले पेशेवर हरिजनों को कुछ आर्थिक सहायता देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--हां, यह तो विचार है। लेकिन बेंत का काम कोई ऐसा नहीं कि इसके करने वाले कोई दूसरा काम न कर सक, कर सकते हैं दूसरा काम। चूंकि बेंत का पहले काम वहां था वह चल न सका, इसलिये अगर यह देखा गया कि बेंत का काम चल सकता है तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि देवरिया की प्लानिंग कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी कि यहां कोई बेंत की योजना चलाई जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---अभी तक तो सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं आई है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि दुधही के उस इलाके में बेंत की पैदावार बहुत होती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---इसकी इत्तिला तो मुझे नहीं है।

*२९-३१---**श्री गंगाधर जाटव** (जिला आगरा)---[स्थगित किये गये।]

*३२---**श्री देवराम** (जिला गाजीपुर)---[स्थगित किया गया।]

स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के इमरजेन्सी पावर्स के नियम

*३३---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---क्या सरकार स्कूलों को मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित इमरजेन्सी पावर्स के नियमों की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम---केवल मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित ऐसी कोई पावर्स नहीं है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को मालूम है कि जौनपुर जिले में सार्वजनिक हायर सेकेन्डरी स्कूल को विशेषाधिकार से मान्यता प्रदान की गई ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री हरगोविन्दसिंह---वह पावर ऐक्ट में है। उसमें एक नियम ९ है और एक नियम ११ है उसके अन्तर्गत।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जिस ऐक्ट का मंत्री जी ने हवाला दिया है उसके अनुसार जो विशेषाधिकार से मान्यता प्रदान की जाती है वह किन शर्तों में प्रदान की जाती है ?

श्री अध्यक्ष---आप स्वयं एक्ट देख सकते हैं।

*३४-३५---**श्री जोरावर वर्मा**---[स्थगित किये गये।]

*३६-**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[स्थगित किया गया।]

*३७-३८---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)---[स्थगित किये गये।]

*३९-४१---**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---[स्थगित किये गये।]

*४२---**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)---[स्थगित किया गया।]

*४३-४५---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---[स्थगित किये गये।]

*४६---**श्री राम किंकर** (जिला प्रतापगढ़)---[स्थगित किया गया।]

इण्टरमीडियेट क्लासेज के मिलिटरी साइन्स लेक्चरर के कम वेतन की शिकायत

*४७---**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Military Science के Lecturers जो Intermediate Classes को Military Science पढ़ाते हैं उनको तनख्वाह का वेतन दर क्या है ?

डाक्टर सीताराम--१२० --६--१६८-३० रो०-८--२०० रु० अराजकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में।

*४८--श्री भगवानसहाय--क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें आई हैं कि बहुत से Intermediate Colleges में Military Science के Lecturers को निर्धारित वेतन नहीं दिया जा रहा है?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं।

श्री भगवानसहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की तकलीफ करेंगे कि मिलिटरी साइन्स के लेक्चरर का जो ग्रेड है वह दूसरे विषय पढ़ाने वालों के ग्रेड से कम है? क्या यह बात सही है?

डाक्टर सीताराम--जी हां, सही है।

श्री भगवानसहाय--क्या माननीय मंत्री जी कोई वजह बतला सकते हैं कि यह दोनों में फर्क क्यों है?

डाक्टर सीताराम--चूंकि और विषयों के जो पढ़ाने वाले होते हैं उनकी योग्यता एम० ए० होती है और एल० टी० होती है और मिलिटरी साइन्स पढ़ाने वालों की योग्यता सिर्फ बी० ए० होती है। इसलिए उनको बी० ए० का ग्रेड १२० से २०० रु० का दिया गया है।

श्री भगवानसहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अगर कोई एम० ए० पास मिलिटरी साइन्स पढ़ाने वाला हो तो उसको एम० ए० वाला ग्रेड दिया जायगा?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह विवाद है।

श्री भगवानसहाय--क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि मिलिटरी साइंस पढ़ाने वालों के भी वही वेतनक्रम उसी हिसाब से कर दिया जाय जिस हिसाब से और विषय पढ़ाने वालों का है?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी नहीं।

राजकीय इण्टर कालेज, मिर्जापुर पर विद्यार्थियों द्वारा आक्रमण

*४९--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि १५ अगस्त के गोआ गोली कांड तथा उसके पूर्व पटना छात्र गोली कांड से उत्तेजित छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह राजकीय इन्टर कालेज, मिर्जापुर पर आक्रमणशील हुआ और क्रुद्ध होकर ईंट-पत्थर की वर्षा करके नये सुन्दर भवन के शीशों तथा दरवाजों को चकना चूर कर डाला?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*५०--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस छात्र-उपद्रव से स्कूल भवन की कितने रुपयों की क्षति हुई? साथ ही क्या सरकार जांच करके पता लगायेगी कि किस-किस स्कूल के छात्र इस उद्दण्डता में सम्मिलित थे और क्या सम्बन्धित स्कूलों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने को सोच रही है?

डाक्टर सीताराम--लगभग २०० रुपया की क्षति हुई है।

बी० एल० जे० इन्टर कालेज, मिर्जापुर के छात्रों का ही मुख्य भाग था।

राजकीय स्कूल की क्षति की पूर्ति बी० एल० जे० इन्टर कालेज से कराई गई है। इस बीच विद्यालय का अनुदान भी रुका रहा है।

*५१--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या सरकार यह बतायेगी कि छात्र-जगत में इस बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार कोई खास उपाय करन जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डाक्टर सीताराम--अनुशासनहीनता किसी एक खास उपाय से नहीं रोकी जा सकती। चरित्र-निर्माण के सभी साधनों पर जोर दिया जा रहा है और विशेष अनुशासन-हीनता पर उचित दंड दिया जाता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बी० एल० ज० के छात्रों के सम्बन्ध में जांच हो गई है, उसका अनुदान जारी कर दिया जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--हां, अनुदान तो जारी कर दिया गया।

बलदेवप्रसाद, अध्यापक से सम्बन्धित कागजों का जिलाधीश, हरदोई के आफ़िस से ग़ायब होना

*५२--**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एडिशनल डाइरेक्टर महोदय, शिक्षा निरीक्षण विभाग, इलाहाबाद ने श्री बल्देव प्रसाद अध्यापक, जिला बोर्ड के हटाये जाने के सम्बन्ध में कुछ कागजात वास्ते समुचित कायवाही जिलाधीश, हरदोई के पास २९ सितम्बर, १९५४ को भेजे थे जो भेजे जान के कुछ दिनों बाद आफ़िस से ग़ायब हो गये ? यदि ग़ायब हो जाना सत्य है, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब उक्त मामले पर इस समय कोई कार्यवाही चल रही है ?

डाक्टर सीताराम--कार्यवाही तो कमिश्नर करेंगे। सरकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं।

जे० टी० सी०, सी० टी० व बी० टी० सी० अध्यापकों का वेतन-क्रम

*५३--**श्री महीलाल**--क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि ऐसे जे० टी० सी० व सी० टी० अध्यापकों के वेतन-क्रम एक ही हैं जोकि डि० बो० के स्कूलों में कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--सदस्य जी का प्रश्न स्पष्ट नहीं है। जिला परिषद् के साधारणत: प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल होते हैं। इनमें सी० टी० अध्यापकों का वेतन-क्रम रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। परिषद् द्वारा स्थापित हायर सेकेन्डरी स्कलों में जे० टी० सी० व सी० टी० अध्यापकों के वेतन-क्रम भिन्न-भिन्न हैं। जे० टी० सी० अध्यापक इस समय ४५--२--६५--द० रो० ३--८० रुपया और सी० टी० अध्यापक ७५--५--११--द० रो० ६--१४०--द० रो० ७--१७५ रु० वेतन-क्रम पाते हैं।

*५४--**श्री महीलाल**--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे बी० टी० सी० व जे० टी० सी० अध्यापकों के ग्रेड अलग-अलग है जोकि हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट परीक्षायें पास हैं ?

डाक्टर सीताराम--जो हां, १ जुलाई, १९५५ से अलग-अलग कर दिये गये है। इस सम्बन्ध में राजाज्ञा निकल रही है।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जिला परिषद् के विद्यालयों में अंग्रेजी अध्यापक भी नियुक्त किये जाते हैं जो सी० टी० और वी० टी० सी० होते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---हां, होते होंगे।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि एक ही प्रकार का अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापकों को एक सा ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री हरगोविन्दसिंह---किन अध्यापकों को पूछते हैं ? जो शिक्षा देते हैं, टीचर तो सभी होते हैं। लेकिन सब को तो तनख्वाह एक नहीं दी जाती है। यूनिवर्सिटी में दूसरी तनख्वाह दी जाती है, कालेजेज में दूसरी दी जाती है। काम तो सब लोग पढ़ाने का ही करते हैं। इसलिए जरा स्पष्ट पूछिए।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के विद्यालयों में जो इंग्लिश टीचर होते हैं उन सबका वेतन-क्रम एक नहीं है ? उनको एक करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---सी० टी० का तो बता दिया गया कि वेतन-क्रम अलग है और जे० टी० सी० का अलग है योग्यता के अनुसार।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सी० टी० अध्यापक जो इंटरमीडिएट पास होते हैं और दो साल की ट्रेनिंग हासिल करते हैं उनको वह ग्रेड क्यों नहीं दिया जाता जो केवल एक वर्ष की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जे० टी० सी० वाले अध्यापकों को दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---आपने तो जे० टी० सी० और सी० टी० का वेतन पूछा था ग्रेड से वेतन निर्धारित होता है। जिस ग्रेड में जो रहता है, उससे अपनी योग्यता के कारण प्रोमोट होगा दूसरे ग्रेड में तो उसको वैसा वेतन मिलता है। एक ही ग्रेड में अगर योग्यता भिन्न है तो सब का वेतन भिन्न-भिन्न हो, ऐसा तो नहीं है।

आजमगढ़ जिले में दस जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइन्स पढ़ाने की व्यवस्था

*५५---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् को जिन १० जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइंस खोलने के लिये सरकार ने गत वर्ष आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान दिया है क्या उन स्कूलों में अभी तक अध्यापकों एवं साजानों की नितान्त कमी है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं। परिषद् ने सब स्कूलों में अध्यापकों को नियुक्त कर दी है और केवल दो स्कूलों के जहां बाढ़ से रास्ता खराब हो जाने के कारण कुछ भारी सामान (बड़े सेज, अलमारी इत्यादि) नहीं भेजा जा सका है। अन्य सभी स्कूलों को सामान पूर्णतया दे दिया गया है।

*५६---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न नहीं उठता।

*५७---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त जिला परिषद् के किन-किन जूनियर हाई स्कूलों को जनरल साइंस के लिये आवर्त्तक एवं अनावर्त्तक अनुदान दिया जायेगा ?

डाक्टर सीताराम--बालू वित्तीय वर्ष में जूनियर हाई स्कूलों में जनरल साइंस खोलने की कोई योजना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह दो कौन-कौन स्कूल हैं जिनका रास्ता बाढ़ के कारण खराब था और वहां सामान नहीं पहुंच सका?

डाक्टर सीताराम--सिर्फ दो स्कूलों में सामान नहीं पहुंच सका।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री जी उन दो स्कूलों का नाम बताने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम--एक है चिरैयाकोट और दूसरा है महनाजपुर।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री जी इसकी जानकारी फिर से करायेंगे कि चिरैयाकोट और महनाजपुर के स्कूलों में बाढ़ के कारण रास्ता खराब नहीं है और वहां आने-जाने का रास्ता प्रशस्त रहता है?

श्री हरगोविन्दसिंह--अब इसका ज्ञान तो आपको ही अधिक होगा। हमारे अधिकारियों को मालूम हुआ कि बाढ़ का वह रास्ता है और ये चीजें नहीं जा सकतीं। पानी रस गया, कच्ची सड़क है। गाड़ी में चीजें नहीं जा सकती होंगी, यह सब दिक्कत सकती हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी रामसुन्दर पांडेय के ज्ञान का लाभ उठा करके फिर इस बात की जांच करायेंगे कि उनके अधिकारियों ने जो सूचना दी है वह गलत है?

श्री हरगोविन्दसिंह--मुझे एतराज तो नहीं था, लेकिन उनका ज्ञान ही हमारे लिए जरा ऐसा नहीं है जिसको हम ग्रहण कर लें।

श्री गेंदासिंह--क्या शिक्षा मंत्री जी इस हमारे सुझाव को स्वीकार करेंगे कि जो कुछ भी इत्तला दी है रामसुन्दर पांडेय जी ने उस इत्तला की भी जांच करावें कि उनकी इत्तला सही है या गलत है?

श्री हरगोविन्दसिंह--हां, अगर वह फिर सवाल पूछेंगे तो उसकी जांच भी हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों को जो जनरल साइन्स के सामान दिये गये हैं तो वह कितने-कितने रुपये के दिये गये हैं और कितने दिये गये हैं?

डाक्टर सीताराम--इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या शिक्षा मंत्री जी फिर से इसका पता लगायेंगे कि जिन स्कूलों को जो रुपया दिया गया है उनमें पूरा सामान और अध्यापक तक नहीं रखे गये हैं अब तक?

श्री हरगोविन्दसिंह--हमारे पास तो इत्तला यह है कि वह रखे गये हैं १० स्कूलों में। अगर आपकी इत्तला इसके विपरीत है तो दीजिए, मैं जांच करा लूंगा।

अतारांकित प्रश्न

बख्शी तालाब ट्रेनिंग सेन्टर से उत्तीर्ण शिक्षार्थी

१--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिले में बख्शी के तालाब से कितने शिक्षार्थी सन् १९५२ से सन् १९५५ तक ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--१९।

गोंडा जिले में अपराधशील जातियों को बसाने के लिये 'गांधी ग्राम' तथा 'जगन्नाथपुर' बस्तियां

२--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के भूतपूर्व अपराधशील जातियों को बसाने के लिये सरकार ने कोई बस्ती बसाई है? यदि हां, तो उसके लिए कितने एकड़ जमीन ली है, बस्ती का नाम क्या है, कितनी लागत से बस्ती बनाई गई है और उसमें कितने घर हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां। २१३ एकड़ जमीन ली गई है। बस्ती का नाम 'गांधी ग्राम' तथा 'जगन्नाथपुर' है और २१,४१६ रु० की लागत में बनाई गई है। उसमें कुल ४३ घर हैं।

३--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व अपराधशील जातियों के कितने लोग उक्त बस्ती में बसाये गये हैं और कुल कितने एकड़ जमीन प्रत्येक परिवार को दी गई है तथा जमीन की किस्म क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह--४३ घर बसाये थे। प्रत्येक परिवार को चार एकड़ जमीन दी गई थी। कुछ जमीन रेहार है और कुछ कृषि योग्य है।

४--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार को पता है कि सिंचाई के साधन न होने के कारण वहां सिर्फ एक ही फसल खरीफ की होती है?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां।

५--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष जुलाई और अगस्त, सन् १९५५ ई० में अति वृष्टि के कारण अधिकांश मकान ध्वस्त हो गये हैं? ऐसे मकानों की संख्या क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां। २२ घरों का कुछ भाग गिर गया है और शेष घरों को भी कुछ क्षति हुई है।

कामरोको प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप अभी नहीं लायेंगे, सोमवार को लायेंगे?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--सोमवार को तो मैं आऊंगा नहीं, इसलिये मंगल को सही और यहां मैं किसी को भी इस सदन में चाहे गेंदासिंह जी चाहें तो उनको या और किसी को अधिकार दे सकता हूं क्योंकि यह बहुत आवश्यक मामला है।

श्री अध्यक्ष--तो सोमवार या मंगल को रख लें।

श्री राजनारायण--बहुत अच्छा।

अतारांकित प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

*श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अपने कामरोको प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें मैंने कहा था कि जमींदारी उन्मूलन की दफा २३२ और २२० के अनुसार रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट ने सरकार की मन्शा के खिलाफ फैसले कर दिए हैं जिसकी वजह से लाखों अधिवासी किसान बेदखल होने वाले हैं। उस पर आपने यह रूलिंग दे दी कि इसको पेश नहीं कर सकते और फिर आपने कहा कि प्रश्न कीजिये, सरकार उत्तर देगी। हमने स्वीकार कर लिया और शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया। बाद में आपके विभाग से पता लगाया तो मालूम हुआ कि आपकी ओर से दिन मुकर्रर था मगर सरकार ने उत्तर नहीं दिया। तो हम बड़े परेशान हैं कि ऐसे महत्त्वपूर्ण.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--कहीं ह इस कार्यक्रम में क्या ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---आपने आज का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। मेरा खयाल यह है कि जो कल सदन में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था उसको आज ही सरकार ने तोड़ दिया और ऐसे महत्त्वपूर्ण तारांकित प्रश्न का जवाब नहीं दिया, टालमटोल कर दिया।

श्री अध्यक्ष--पहले मैं समझ तो लूं कि क्या बात है। आपके पास मेरे दफ्तर से यह जवाब पहुंचा है या नहीं कि सरकार उसको अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकार नहीं करती।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---आपने कहा था कि मैंने इसको शार्ट नोटिस क्वेश्चन स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष--तो आप मुझसे मेरे कमरे में पूछें। यहां मेरे पास फाइल तो नहीं है। वहां देख कर आपको बता दूंगा।

प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---दूसरे यह कि आज मेरे प्रश्न का जो उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया मैं उसको अपनी समझ से बहुत गलत समझता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं इसके लिए टाइम नहीं देता हूं कि आप सदन को बतायें कि सरकारी उत्तर को आप गलत समझते हैं या सही। इसके लिए अगर आपको कुछ आपत्ति हो तो मुझे लिख कर भेजें।

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमान्, मैंने जो माननीय मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के बारे में लिखा था तो आपके दफ्तर से लिख कर मुझे यह जवाब आया कि मैंने नियम ५५ और ५८ का पालन नहीं किया। फिर मैंने पूछा कि ५५ नियम का क्या पालन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ५५ गलती से लिख गया केवल ५८ नियम का पालन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--यह यहां की बात नहीं है। जो आपने लिख कर दिया उसका उत्तर आप मेरे कमरे में पूछ सकते हैं, यहां नहीं पूछ सकते हैं। मैं यहां जवाब देने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि क्या जवाब उन्होंने दिया और फाइल भी मेरे पास यहां नहीं है।

श्री राजनारायण---मेरा निवेदन यह है कि मैंने आपके द्वारा बार-बार इस सदन में समाचार-पत्रों के जो प्रतिनिधि बैठते हैं उनके सम्बन्ध में .....

श्री अध्यक्ष--मेरे पास आपका कोई लिखित प्रश्न अब उपस्थित नहीं है। आप नया प्रश्न उठाना चाहते हैं। तो मेरे पास लिख कर भेजिये।

श्री राजनारायण---श्रीमान्, मैं आपको नोटिस दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--मुझे नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे कमरे में पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण---अर्ज यह है कि अगर उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठेगा तो मैं उसको उठाऊंगा क्योंकि मैंने कई बार निवेदन कर दिया है और आज भी अगर आप पत्र देखेंगे तो मेरा जो वर्जन था काउंसिल के प्रस्ताव के बारे में, वह बिल्कुल गलत छप गया है।

श्री अध्यक्ष--तो आपकी नोटिस हो गई, आप मेरे पास लिख कर भेज दें। अब उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार जारी होगा।

असरकारी दिवस में सरकारी कार्य करने के विरोध स्वरूप श्री राजनारायण द्वारा सभा-त्याग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, आज तो असरकारी दिवस था।

श्री अध्यक्ष--यह तो कल तय हो गया था कि आज असरकारी दिवस नहीं रहेगा।

श्री राजनारायण--लेकिन यह तो बहुत गलत है।

श्री अध्यक्ष--आप सदन के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण--यह मेरा विरोध है।

श्री अध्यक्ष--आप अनियमित बात कर रहे हैं। सदन ने इसका निर्णय किया है।

श्री राजनारायण--सदन ने एक कमेटी बनाई है वह तीन दिन पहले सदन को बता दिया करेगी कि क्या प्रोग्राम है।

श्री अध्यक्ष--आप मौजूद नहीं थे। सदन का निर्णय यह था कि आज गैर सरकारी दिन नहीं होगा बल्कि इसके एवज में कोई और दूसरा दिन दे दिया जायगा। यह निर्णय हो चुका है।

श्री राजनारायण--मगर इसमें अव्यवस्था तो होती है।

श्री अध्यक्ष--आप सदन के ऊपर, उसके निर्णय के ऊपर कोई टीका नहीं कर सकते। आप कृपा कर बैठ जायं। मैं आपको निवेदन करने नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिये तो।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठ जायं।

श्री राजनारायण--मैं बैठ गया हूं, लेकिन आप मेरी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष--मुझे लाचारी से कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप कह चुके, लेकिन सदन के निर्णय के ऊपर आप और बात नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण--मैं निवेदन कर रहा हूं, लेकिन आप इस तरह से डाटते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण--मैं बैठ गया हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। आप कृपा कर बैठ जायं। मुझे कहने का अधिकार है कि आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण--कहने का अधिकार है, लेकिन .....।

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार जारी होगा। इसमें श्री जगन्नाथ मल्ल जो का संशोधन पेश होने वाला था।

श्री राजनारायण--मैं आपको इस व्यवस्था के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं .....।

श्री अध्यक्ष--आप जाना चाहते हैं तो जायं। मैंने दूसरे सदस्य को बोलने के लिये कहा है।

श्री राजनारायण--आज गैर सरकारी दिवस था और सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष ने मिल कर इसको सरकारी दिवस में परिवर्तित किया।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--प्वाइंट आफ आर्डर। आपकी आज्ञा के बाद खड़े होना हाउस का अपमान है।

श्री अध्यक्ष--उसके लिये आप सवाल रेज करें तो सवाल आ सकता है। प्वाइंट आफ आर्डर नहीं आ सकता।

श्री राजनारायण--तो इसलिये मैं आज सदन का त्याग करता हूं।

*उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

खण्ड १८ (क्रमागत)

†श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया) --मेरे छपे हुए संशोधन में दो धारायें हैं। इनमें मैं ९ वीं तो पेश नहीं करूंगा क्योंकि वह सदन के द्वारा नामंजूर हो चुकी है। दूसरी १०वीं धारा मैं पेश करता हूं।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (९) के बाद उपधारा (१०) इस प्रकार रख दी जाय:--

"(10) to establish or aid teaching or research instiution of Indian Medicine, and Surgery and Pharmaceutical laboratories and her trainees to encourage the manufacture or production of medicines of herbs used in that system."

श्रीमन्, अगर आप मूल अधिनियम को देखेंगे तो उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि बोर्ड को यह अख्तियार होगा कि वह या तो खुद खोले या एड दे उन संस्थाओं को जोकि या तो इस प्रकार की देशी दवाइयां बनाती हैं या उसको बनाने की शिक्षा देती है या सर्जरी की शिक्षा देती हैं और उनका जो प्रोडेक्शन है उसको इंकीज करें। पिछला जो मूल अधिनियम था उसमें यह धारा थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार ने इस धारा को क्यों निकालने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूं कि बोर्ड को यह अख्तियार होना चाहिये कि भारत में जो जड़ी-बूटियां हैं उनकी रिसर्च के लिए संस्थायें खोले, रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स खोले और अगर कोई संस्था इस प्रकार का काम करती है तो उसको कुछ धन की सहायता दें ताकि यह काम आगे को बढ़ सके। यह एक ऐसी धारा है कि जो बोर्ड के हाथ में जरूर रहनी चाहिये और बोर्ड को पावर होनी चाहिये कि वह इस किस्म की संस्था को बनाये और इस तरह की संस्था जो इस काम में लगी हुई हैं उनको प्रोत्साहन दे ताकि हमारे देश में जड़ी-बूटी की दवाइयों का काम आगे बढ़ सके। हिन्दुस्तान में जो दवाइयों का काम है वह हमारे यहां बहुत पहले से चला आ रहा है और उसमें काफी प्रगति की गुंजाइश है ताकि सस्ती से सस्ती दवाई हमारे देश में गरीबों को मिल सके। अंग्रेजी दवाई बहुत कीमती होती है उनको वह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस-लिए यह जो धारा निकालने का प्रयत्न सरकार कर रही है यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को इस धारा को इसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये और बोर्ड को यह पावर देनी चाहिये कि वह इस किस्म की दवाइयों के लिये संस्थायें खोल सके और इसकी तरक्की कराये और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की दवाई पैदा की जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन को सदन के सन्मुख पेश करता हूं।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)--श्रीमन्, यह संशोधन जो मल्ल जी की तरफ से पेश किया गया है, यहां आम विवाद के समय पहले इस पर काफी रोशनी डाल दी गयी थी कि बोर्ड का मकसद रजिस्ट्रेशन करना या सरकार को सलाह देना है। अभी तक

---

*२१ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†१५ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

बोर्ड ने अपने कार्य-काल में किसी भी शिक्षण संस्था को कायम नहीं किया और न बोर्ड की अपनी शिक्षण संस्था हो सकती है, जिससे वह अनुसन्धानशाला या कोई शिक्षण संस्था या इस प्रकार का कालेज खोल सके। जिस काम को बोर्ड अपने जीवन-काल में नहीं कर पाया तो फिर आगे इसकी क्या सम्भावना हो सकती है। इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित नहीं समझा गया कि इसको रखा जाय।

जहां तक ड्रग्स और हर्ब्स के मैन्युफैक्चर का सवाल है इस विधेयक के पहले जो मूल अधिनियम था उसके प्रियम्बिल में था, उसको निकाल दिया गया है। उसके लिये पहले ही सदन के अन्दर कहा जा चुका है कि हर्ब्स और ड्रग्स के कंट्रोल करने के लिये सरकार एक विधेयक लाना चाहती है, जिससे उनका स्टैंडर्ड, उनका कन्ट्रोल, रेगुलेशन्स और मैनुफैक्चर किया जा सके। इस लिये मल्ल जी का जो संशोधन है उसकी यहां पर गुंजाइश नहीं है और मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पाता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, जो दलील माननीय मंत्री जी ने दी है वह दलील कुछ मेरी समझ में नहीं आई। अगरचे बोर्ड के हाथ में यह अख्तियार रहता है कि वह इस प्रकार की संस्थाओ को खोले या उनको एड दे तो मैं नहीं समझता कि सरकार की कौन सी हानि हो जायगी। यह तो एक ऐसी संस्था है कि जो यह काम कर सकती है। सरकार को सारी चीज अपने ही हाथ में नहीं लेना चाहिये। मैंने पिछली दफा बोलते हुए कहा था कि आप सारी चीजें अपने ही हाथ में मत लीजिए। अपने नौकरशाही से ही सारा कार्य न कराइए। जो रिप्रेजेंटेटिव बाडी है उनको अख्तियार दीजिए कि वह कुछ काम करें। यह सारा काम आप चाहते हैं कि अपने डिपार्टमेंट से करायें तो यह ठीक नहीं है। जितना रुपया डिपार्टमेंट को दिया जाता है तो उससे आधा रुपया गायब हो जाता है। अगर देश की उन्नति करनी है तो जनता से काम लेना जरूरी है। आप नौकरशाही से काम करा कर कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकते। सरकार ने कोई काम तजवीज किया और उसके लिये डाइरेक्टर मुकर्रर कर दिया और सारा काम हो गया, इससे मैं यह समझता हूं कि हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है लेकिन यहां की सरकार की तो यह मनोवृत्ति हो गयी है कि वह जो भी काम करना चाहती है वह अपने अधिकारियों के द्वारा, वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा कोई कार्य नहीं कराना चाहती है। जब कि वह ठीक काम कर सकते हैं, फिर भी वह अपने हाथ में ही पावर रखना चाहती है। यह मनोवृत्ति देश को गड्ढे में डालने वाली है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह ऐसी मनोवृत्ति को छोड़ दें और इस तरह का काम बोर्ड को ही देना चाहिये। बोर्ड का काम क्या केवल मंत्री जी को सलामी देना ही होगा या उसके जिम्मे कोई काम भी होगा। बोर्ड को आप एक तमाशा न बनाइए, इसका अर्थ यह है कि आप बोर्ड को एक खिलवाड़ बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि बोर्ड को इस तरह का अधिकार दे कर उसे आप को प्रोत्साहित करना चाहिये। यह कौन सी दलील है कि इतने दिन की जिन्दगी में बोर्ड ने कुछ नहीं किया, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार पर ही है, अगर ऐसा ही था तो सरकार ने बोर्ड से क्यों जवाब तलब नहीं किया और क्यों उसने ऐसे प्रेजीडेंट को निकाल बाहर नहीं किया और क्यों नहीं कहा कि जिन कार्यों का प्रावीजन है वह उसने क्यों नहीं किए? हमारे पास बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब बोर्ड ने एक काम करना चाहा और सरकारी अधिकारियों ने उसमें अड़ंगेबाजी की। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर बोर्ड ने काम नहीं किया तो इतने दिन तक आप ने उसको कायम क्यों रक्खा? अगर आप ने उससे काम नहीं लिया तो यह आप की गलती है, अगर बोर्ड ठीक काम नहीं करता था तो आपको उसके चेयरमैन को हटाना चाहिये था। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं और जो दलील मंत्री जी ने दी है वह समझ में आने लायक नहीं है। आशा करता हूं कि वह संशोधन को मान लेंगे।

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई नई बात इस संबंध में नहीं कहनी है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि बोर्ड ने कुछ नहीं किया। जिस कदर शिक्षण संस्थायें बोर्ड से एफीलिएटेड हैं उनको ही ठीक कर दिया जाय तो ज्यादा शिक्षा संस्थाओं को खोलने को जरूरत नहीं है। माडर्न साइंसेज के जितन कालेज हैं वह यूनिवर्सिटी की ओर से हैं ओर सरकार उनको केवल ग्रांट इन एड देती है इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है कि बोर्ड जिस अधिकार को काम में नहीं ला सकता उसको वह अधिकार दिया जाय, बोर्ड के पास एफिलिएशन और संचालन का अधिकार मौजूद है। हमारे सूबे में जितनी संस्थायें मौजूद हैं यदि वह ठीक से चलाई जायं तो इतना ही उनको तरक्की के लिये काफी होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है और इसीलिये हमने मूल अधिनियम के प्रिएम्बिल से निकाल कर पहले ही मंजूर कर लिया है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि अब वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८ में प्रस्तावित धारा ३६ की उपधारा (९) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (१०) रख दी जाय--

"(10) to establish or aid teaching or research institution of Indian Medicine and Surgery and Pharmaceutical laboratories and her trainees to encourage the manufacture or production of medicines of herbs used in that system."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

यू० पी० एक्ट १०, १९३९ में नयी धारायें ३६-ए, ३६-बी तथा ३६-सी का रक्खा जाना।

१९--मूल अधिनियम की धारा ३६ के बाद निम्नलिखित नयी धारायें 36-A, 36-B, तथा 36-C के रूप में बढ़ा दी जायें--

"Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine.

36-A. (1) For the proper discharge of its duties the Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine and functions as a teaching and examining body in the Board shall appoint a Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine which shall consist of the following :

(i) The President of the Board who shall be *ex officio* Chairman of the Faculty ; and

(ii) Members of the Board elected under clauses (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) of section 5, who shall be *ex officio* members of the Faculty.

(2) The Faculty may, with the previous approval of or at the requisition of the State Government, co-opt not more than three members for a specified duration and a specific purpose.

(3) The Faculty shall elect a Vice-Chairman from amongst its members.

(4) A person shall cease to be member of the Faculty upon his ceasing to be a member of the Board."

"Powers and duties of the Faculty.

36-B. The Faculty shall have the following powers and duties :

(*a*) to prescribe courses of study in Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine for imparting instructions in educational institutions affiliated to the Board ;

(*b*) to hold examinations of persons who shall have pursued a course of study in an educational institution affiliated to the Board ;

(*c*) to exercise general supervision over the residential and disciplinary arrangements made by the educational institutions affiliated to the Board and to make arrangement for promoting the health and general welfare of their students ;

(*d*) to appoint examiners ;

(*e*) to cause inspections of affiliated institutions of the Board ; and

(*f*) to make recommendations to the Board for the affiliation or recognition or for suspension or withdrawal of recognition or affiliation of Ayurvedic and Unani institutions."

"Disagreement between the Faculty and the Board.

36-C. In the event of disagreement between the Faculty and the Board on any matter relating to Ayurvedic or Unani Education a reference shall be made by the Board to the State Government and the decision of the State Government shall be final."

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) की 'पंक्ति २ के स्थान पर 'पंक्ति ३' और 'पंक्ति ३' के स्थान पर 'पंक्ति २' रख दी जाय।

यह छपने की गलती थी उसी के संबंध में यह संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री बनारसी दास---यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) की पंक्ति २ के स्थान पर पंक्ति ३ और पंक्ति ३ के स्थान पर पंक्ति २ रख दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) के भाग (ii) के बाद निम्नलिखित नया भाग (i-a) बढ़ा दिया जाय :

(I-A) One member to be elected by the members of the Board from amongst themselves."

श्री मदन गोपाल वैद्य--जो माननीय मंत्री जी न अभी यह प्रस्ताव यहां उपस्थित किया है, वह फैकल्टी के संगठन के संबंध में मुख्य प्रस्ताव नहीं है। यह जहां पर मेम्बरों के चुनाव की बात है वहां पर आना चाहिये। मरी प्रार्थना है कि मेम्बरों के सम्बन्ध म जो मुख्य प्रस्ताव है वहां पर इसको उपस्थित किया जाय तो अधिक अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--इसको आप कहां पर चाहते हैं ?

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--इसको ३६ के उपखंड (i) के सब-क्लाज (ii) के बाद चाहता हूं।

श्री बनारसी दास--मैं समझता हूं कि इसमें मदनगोपाल जी को कुछ भ्रांति अवश्य है। जब हम वहां संशोधन करेंगे तो वहां तो अपने आप आ जायगा।

श्री अध्यक्ष-आप चाहते हैं कि इसको 36-A के भाग (i) के बाद न रख कर इसको भाग (ii) के बाद रख दिया जाय। इसमें आपको कोई आपत्ति है ?

श्री बनारसी दास--जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आया। माननीय मंत्री जी का जो संशोधन है वह तो यह है कि एक मम्बर बोर्ड के मम्बरों में से ही चुना जाएगा। तो इस प्रकार तो फैकल्टी में जो चुने जायेंगे वह तो करीब-करीब बोर्ड के सभी मेम्बर आ जाते हैं सिवाय उनके जो पांच नामिनेटेड होंगे वही रह जायेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि जो 36-A का (1) का दूसरा खंड है वह इस प्रकार है :--

"Member of the Board elected under clauses (iii), (iv) and (v) of sub-section (1) of section 5, who shall be *exofficio* members of the Faculty." तो फैकल्टी को इतना बोर्ड बनाने से क्या मतलब है ; सरकार तो उसको छोटी बाड़ी बनाना चाहती है। वह तो पूरा वोर्ड आ जाता है। चार आदमी बचते हैं तो उन चार आदमियों को भी बोर्ड में ले लेते। इसलिये मैं समझता हूं कि कुछ उचित नहीं मालूम होता। हां वैसे कोई खास बात हो तो मंत्री जी समझा दें। वैसे समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत पड़ गई। बोर्ड के सभी मेम्बर आ जाते हैं। पांच जो नामिनेटेड हैं वे ही बोर्ड में नहीं आते।

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ मल्ल जी को इसमें कुछ भ्रम हो गया है। इसमें लिखा है " members of the Board to be elected under clause (iii), (iv) & (v)"।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उप-धारा (1) के भाग (ii) के बाद निम्नलिखित नया भाग (i-a) बढ़ा दिया जाय .....।

श्री मदन गोपाल वैद्य--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर. सर। आगे की जो धारा है इसके संबंध में माननीय मंत्री जी न परिवर्तन किया है। इसके परिणाम स्वरूप माननीय मंत्री जी को इसमें भी परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इसलिय जो प्रश्न उठाया गया है और जो नया संशोधन पेश किया गया है कि स्वीकार कर लिया जाय, मेरी प्रार्थना है कि उस पर अभी वोट न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--क्या परिवर्तन किया है ?

श्री मदन गोपाल वैद्य--क्लाज ३ में पहले यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि वैद्य ही होने वाले थे लेकिन कल ऐसा संशोधन स्वीकार किया गया है कि वकला वैद्य भी हो सकते हैं। इसलिये उस परिवर्तन को देखते हुए इस उपखंड को अभी स्वीकार न किया जाय। फैकल्टी के संगठन की जो मूल धारा है उसके बाद इसको लेना चाहिए।

श्री बनारसी दास---मदन गोपाल जी को कुछ भ्रम हो गया है। कल तो सिर्फ यह प्रोवाइजो जोड़ा गया था कि बोर्ड के सदस्य जितन होंगे वे सब हकीम और वैद्य होंगे और उपखंड ३ जो था उसको निकाल दिया गया था यानी फैकल्टी इस बात में स्वतंत्र होगी कि वह अपने किसी भी सदस्य को चुन कर भेज सके। अब यहां फैकल्टी के संगठन के बारे में विचार कर रहे हैं कि फकल्टी का संगठन क्या होगा। यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि जो हकीम और वैद्य होंगे। तो यह हो गया था। इसके अतिरिक्त जिसको स्वयं वैद्य चाहें उसमें एक सदस्य कोआप्ट होगा, जिसको तमाम बोर्ड करेगा। तो इसमें आपत्ति क्या पैदा हो गई।

श्री अध्यक्ष---आपत्ति नहीं। वैधानिक प्रश्न इन्होंने उपस्थित किया है।

श्री बनारसी दास---वैधानिक कोई प्रश्न है नहीं।

श्री अध्यक्ष---वैधानिक इसमें कोई प्रश्न नहीं है। मैं फिर लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) भाग (ii) के बाद निम्नलिखित नया भाग (i-a) बढ़ा दिया जाय---

(i-*a*) One member to be elected by the members of the Board from amongst themselves . ''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन गोपाल वैद्य---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में प्रस्तावति धारा 36-A की उपधारा (1) के भाग (ii) क स्थान पर निम्न रख दिया जाय---

"(ii) Six members to be elected in the prescribed way, from amongst the members of the Board whose names are on the register. ''

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो सरकारी प्रस्ताव था वह मुझे स्वीकार था, लेकिन जो संशोधन कल स्वीकार किया गया है उसके अनुसार धारा ५ के संगठन में अन्तर आ गया है और उस धारा ५ के आधार पर यह फैकल्टी का संगठन किया गया है। इसमें जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है फैकल्टी के संगठन का उसमें सब-क्लाज ३, ४ और ५ का जिक्र आता है। ३ के संबंध में जो कल संशोधन हुआ है उसके परिणामस्वरूप सब सदस्य वैद्य और हकीम नहीं रह जाते हैं। पहले सरकार का मंशा यह था कि फैकल्टी में सब टेक-निकल सदस्य होंगे। लेकिन अब छः में से तीन सदस्य ऐसे आते हैं जो कि अवैद्य होंगे। इस प्रकार सरकार ने जो पहले फैसला किया था कि फैकल्टी में सब टेक्निकल आदमी रहें, अब वैसी स्थिति नहीं रही। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि जो छः सदस्य रखे जायं वे बोर्ड से चुनकर रखे जायं। यदि मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता तो उसमें यह कठिनाई होती है कि उसके अन्दर तीन वैद्य आते हैं और तीन अवैध आते हैं। जो कि सरकार की शुरू की मंशा थी वह यह थी कि फैकल्टी में टेक्निकल हैन्ड होने चाहिये, वह मंशा पूरी नहीं होती। इसलिये जोकि परिवर्तन कल धारा ५ के अन्दर हुआ है उसको देखते हुए मुझे आशा है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, जो संशोधन माननीय मदन गोपाल जी ने सदन के सम्मुख रक्खा है मैं उसका विरोध करता हूं और इस बुनियाद पर करता हूं कि सरकार न जो रक्खा है वह ठीक है। क्योंकि फैकल्टी ऐसे लोगों की होनी चाहिये जो किसी यूनिवर्सिटी से आते हों। उसमें कोई चुनाव वगैरह की बात नहीं है। हो सकता है कि ऐसे बिना पढ़े लिखे वैद्य आ जायं और गुटबन्दी कर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और बड़े-बड़े

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

विद्वानों को घसीट कर निकाल दें। तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिये जो सरकार ने रक्खा है, कि जो यूनिवर्सिटीज या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से आयेंगे वही रहेंगे, यह बात ठीक है। इस बुनियाद पर वैद्य जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मेरा काम श्री मल्ल जी ने बहुत आसान कर दिया है और मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि यूनिवर्सिटी कोई अवैद्य भेजेगी। तीन वैद्य आयेंगे और एक कोआप्ट कर लेंगे। तो ऐसी क्यों अशंका की जाय कि यूनिवर्सिटीज वैद्य नहीं भेजेगी। वहां टेक्निकल आदमी है जैसा कि मल्ल जी ने कहा है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत सोच-विचार कर फैकल्टी का निर्माण किया था जिससे फैकल्टी की प्रामाणिकता बढ़े, पाठ्य क्रम का निर्धारण और संस्थाओं की व्यवस्था आदि सोच-समझ कर हो। इस सिद्धांत को मान कर फैकल्टी का संगठन किया था। इसके बाद कल जो संशोधन हुआ उसके परिणामस्वरूप आज यह स्थिति है कि उन छः सदस्यों में से आधे अवैद्य हो जाते ह। सरकार ने जो सिद्धांत स्वीकार किया था कि फैकल्टी के अन्दर टेक्निकल आदमी होंगे वह एक सिद्धांत की बात है। मेम्बरों की बात नहीं है। फैकल्टी का काम टेक्निकल है। वह उन सदस्यों को करना है। जब सरकार ने यह संशोधन स्वीकार किया, उसके अन्दर नान-टेक्निकल आदमी हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि नानटेक्निकल आदमी हो सकते हैं ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि प्राविजो कल पास हो चुका है, जिसमें सब टेक्निकल होंगे यह कहा है। लेकिन ऐसे भी टेक्निकल आदमी हो सकते हैं जो टेक्निकल होते हुए भी ऐडीशन में कानून जानते हों। इसलिये उन्होंने दूसरी दफा में कह दिया जो यह चीज डिलीट करने की थी, कि यह लीगल प्रेक्टीशनर के लिये डिसएबिलिटी हो जायगी। ऐसे आदमी भी हो सकते हैं जो दोनों जानते हों। लेकिन होंगे वे टेक्निकल। कल प्राविजो जो मंजूर हुआ है, वह यह है :—

"Provided that the President and every member to be elected or nominated, as the case may be, under clauses (ii), (iv) and (v) shall be from amongst the registered practitioners."

श्री मदन गोपाल वैद्य—तो मैं कह रहा था सरकार की जो शुरू में ओरिजिनल मंशा थी उसी अभिप्राय के अनुसार मैंने यह संशोधन पेश किया। सरकार भी फकल्टी में छः सदस्य रखना चाहती थी। मैंने छः को बढ़ाया नहीं। केवल अन्तर यह है कि फैकल्टी के अन्दर सभी वैद्य और हकीम होंगे क्योंकि यह काम एक तरह से टेक्निकल है, जैसे परीक्षा लेना, पाठ्यक्रम रखना और संस्थाओं को स्वीकार करना, यह काम इनके जिम्मे है। इसलिये इन सब को देखते हुए यह आवश्यक है कि केवल वैद्य और हकीम ही उस फैकल्टी के अन्दर हों। और धारा ५ के सब-क्लाज (३) में यह संशोधन स्वीकार कर लिया कि यूनिवर्सिटी से जो प्रतिनिधि आयेंगे उसमें वैद्य या हकीम का होना आवश्यक नहीं है। तो जब वैद्य और हकीम नहीं होंगे तो उसके संबंध में सरकार को मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये और इस संशोधन को किसी न किसी रूप में स्वीकार करना चाहिये क्योंकि यह सिद्धांत का प्रश्न है।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि वैद्य जी किसी भ्रम में पड़ गए और उन्होंने यह संशोधन उपस्थित कर दिया। कल भी मैंने उनसे निवेदन किया था कि यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज को हमें यह अधिकार देना चाहिये कि वे अपने में से किसी भी प्रतिनिधि को चुन कर भेज सकें। मैंने उनसे कहा था कि विश्व-विद्यालयों में आयुर्वेद की फैकल्टीज में कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी आ जाते हैं जो स्वयं

वैद्य नहीं हैं, परन्तु जिन्होंने आयुर्वेद की बहुत बड़ी सेवा की है। मैंने उनके समक्ष श्री मेहता जी का उदाहरण रक्खा था, जो जामनगर इंस्टीट्यूट के संचालक हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने अब इस कार्य के लिए नियुक्त कर रखा है। वे आधुनिक विज्ञान के बड़े पंडित ह। वे आयुर्वेद के विषय में अपने तत्वावधान और अपनी संस्था के तत्वावधान में कुछ अनुसधान कर रहे हैं और बहुत से वद्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें अनुसंधान करने का रास्ता दे रहे हैं। इसी तरह से मैंने कर्नल चोपड़ा का नाम रखा था, जिन्होंने कि हिन्दुस्तानी दवाइयों के सिलसिले में और आयुर्वेद के सिलसिले में जो आपनी राय प्रकट की है, जो पुस्तकें लिखी हैं और जो रिपोर्ट लिखी, उससे स्वयं विदित हो गया कि वे आयुर्वेद के कितने पक्षपाती हैं। विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद की फकल्टीज में ऐसे लोग भी सदस्य रहते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को आप अपनी फैकल्टी में आने से वंचित कर देंगे तो इससे आयुर्वेद की ख्याति को धक्का लगेगा और हम आयुर्वेद को उतना फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे जितना हम पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिये मैंने उनसे निवेदन किया था और उन्होंने मेरे निवदन को माना था कि वे उस संशोधन को मान लें, जिसे स्वयं उन्होंने अपने द्वारा तथा नारायणदत्त जी के द्वारा रक्खा कि उसमें फकल्टीज को पूण अधिकार रहे कि वे अपने में से किसी को चुन कर इस फैकल्टी के लिये भेज दें। अत उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि यह फैकल्टीज किन्हीं वकीलों को चुनकर भेजेगी। वे भेजेगी उन्हीं व्यक्तियों को, जो कि आयुर्वेद में रुचि लेते हैं और विषय को समझते हैं।

इसी तरह से श्री धुलेकर स्वयं आयुर्वेद के पंडित नहीं हैं। न वे वैद्य हैं, परन्तु विश्व-विद्यालय की ओर से फैकल्टी में उन जैसे कोई सदस्य रहें तो क्या यह अदूरदर्शिता होगी? मैं समझता हूं यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी। और इसलिये हमने यह आशा प्रकट की थी कि हमें विश्वविद्यालयों की फकल्टीज को पूरा अपने में से किसी सदस्य को इस फैकल्टीज में जाने के लिये चुनने का अधिकार देना चाहिये। इसलिये अब कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाना कि फैकल्टी इस तरह की बने और इस तरह की न बने, मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं है। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि हमने फैकल्टी का जो निर्माण अब किया है उसके पीछे भी वह भावना छिपी हुई है कि आयुर्वेद विकसित हो, उसे अधि-कार हो ऐसे व्यक्तियों का सेवा पाने का, जो कि आयुर्वेद के प्रेमी हैं, जो आयुर्वेद की सेवा कर चुके हैं और जो आज भी आयुर्वेद के ज्ञान के बढ़ाने में अनुसधान का कार्य कर रहे हैं। यदि वह मेरे इस तर्क से सहमत होंगे तो मैं नहीं समझता कि क्यों अब वह इस संशोधन को उपस्थित करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसलिये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से कि हमारे समक्ष विधेयक की यह धारा विचाराथ उपस्थित है, उसे उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिय। उसमें कोई और संशोधन करने की अब यहां इस सदन के समक्ष आवश्यकता नहीं है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ उस संशोधन का विरोध करता हूं जिसे वैद्य जी ने सदन के विचारार्थ उपस्थित किया है।

श्री अध्यक्ष--क्या आप वापस लेते हैं?

श्री मदन गोपाल वैद्य--मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) के भाग (ii) के बाद नया भाग (iii) निम्न रूप में रख दिया जाय--

"(iii) The Director of Ayurvedic and Unani Tibbi Medicine."

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सरकार को इस धारा को मानने में कोई अड़चन नहीं होगी क्योंकि इस संशोधन का मतलब यह है कि जो डाइरेक्टर हो क्योंकि उसको इस तरह का काम करना ही है और जब तक हमारे सूबे में डाइरेक्टर की प्रथा है तब तक उसको

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

स्थान देना पड़ेगा, इस ख्याल से मैं सोचता हूं कि अगरचे डाइरेक्टर को भी इस फैकल्टी में रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बार-बार अगर डाइरेक्टर के न रहने से किसी चीज पर राय लेने की जरूरत पड़ेगी या किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो उससे पूछने जाना पड़ेगा और अगरचे वह उस फैकल्टी में ह तो वह अपनी राय से जो सरकारी पहलू है उसको ध्यान में रखते हुए सुझाव देगा और साथ ही जो बोर्ड और फैकल्टी का पहलू होगा उसको भी देखेगा। तो इस तरह का शीघ्रता से कोई कार्य हो सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि उसको भी होना चाहिये। वैसे मैं कोई ठीक नहीं समझता हर एक जगह पर एक डाइरेक्टर रखा जाय, यह मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझता, लकिन जब तक यह प्रथा है तब तक उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। इस कारण म समझता हूं कि सरकार को चाहिये कि जो मेरा संशोधन है उसको वह मान ले क्योंकि इसके मानने मे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने आपके द्वारा इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है वह तो सरकार की इच्छा के अनुरूप ही है। श्रीमन्, अगर कल आपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के भाषण पर गौर किया होगा तो आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि बोर्ड का जो चेयरमैन होगा वह डाइरेक्टर होगा। कल आपने यह घोषणा इस सदन के सामने अपने भाषण के सिलसिले में की थी। तो मैं यह समझता हूं कि जब माननीय मंत्री जी की ऐसी इच्छा है तो उस इच्छा पर किसी भी तरह इस संशोधन को मान लेने से कुठाराघात नहीं होता। और फिर यह माननीय जगन्नाथ मल्ल जी की इच्छा का भी सवाल है और सरकार की जो इच्छा है उसके अनुरूप ही माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का यह संशोधन है। तो इसका समर्थन करने के साथ-साथ मैं इसके औचित्य को भी समझता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसी दास---श्रीमन्, मैं मल्ल जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन में मेरा थोड़ा सा संशोधन मान लें कि "डायरेक्टर" की जगह "डिप्टी डायरेक्टर आफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, उत्तर प्रदेश" करदें क्योंकि फैकल्टी का चेयरमैन जो होगा वह डायरेक्टर होगा और टेक्नीकल आयुर्वेद का जो डायरेक्टर होगा वह डिप्टी डायरेक्टर कहलायेगा। इसलिये वह मेरे इस संशोधन को मान ल, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, खैर पूरी नहीं तो आधी बात तो मान ही ली, इसलिये मैं भी उनकी आधी बात माने लेता हूं।

श्री बनारसी दास---आधी नहीं, मैंने तो आपकी पूरी बल्कि उससे भी आगे की बात मान ली। अगर आपकी यह बात मान ली जाय तो आपकी मंशा पूरी नहीं होगी फिर तो डायरेक्टर वहां जाकर बैठेगा, आयुर्वेद का डायरेक्टर नहीं जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (1) के भाग (ii) के बाद नया भाग (iii) निम्न रूप से रख दिया जाय---

"(iii) The Deputy Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन गोपाल वैद्य---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (२) की पंक्ति ३ के शब्द "three" के स्थान पर शब्द "two" रख दिया जाय।

इस फैकल्टी के संगठन के संबंध में सरकार की तरफ से प्रस्ताव था कि उसमें तीन आदमियों के कोआप्ट करने की बात कही गयी, लेकिन चूंकि फैकल्टी के मेम्बर बहुत

कम हैं इसलिए तीन मेम्बर कोआप्ट होने की आवश्यकता उचित नहीं मालूम पड़ता इसलिये हमने उनकी संख्या कम करने का प्रस्ताव रक्खा ।

दूसरी बात यह है कि ये जो कोआप्टेड मेम्बर होंगे उनको "फार स्पेसिफिक ड्ययू रेशन" और "स्पेसिफिक परपज" के लिये भी कोआप्ट किया जा सकता है। एक प्रस्ताव पास करने के लिये कोआप्ट कर सकते हैं, तो उनकी यह संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिये उसको तीन के बजाय दो होना चाहिये।

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। इसलिये कि ज्यादा आदमी अगर वहां रहे तो अच्छा ही है। इसलिये माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं उनसे कहूंगा कि वह अपनी इस राय को बदलें और तीन ही रहने दें जैसा कि विधेयक में है।

श्री मदन गोपाल वैद्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का जो परिणाम होता है उसको मल्ल जी ने पूरी तरह से समझ कर अपनी राय धारण नहीं की है, क्योंकि फैकल्टी में केवल ६ ही मौलिक सदस्य हैं और ६ के साथ तीन सदस्य कोआप्ट करने की बात कही गयी है और वह ऐसे होंगे कि जिनको थोड़े समय के लिये या एक ही प्रस्ताव के लिये कोआप्ट किया जा सकता है। इसलिये इस धारा का दुरुपयोग न हो सके मैंने तीन से कम, दो ही सदस्यों को कोआप्ट करने के लिये प्रस्ताव रखा है ताकि सदस्य जो हों वह ठीक तरह से काम कर सकें और तीन सदस्यों का अधिक वजन और प्रभाव कमेटी के ऊपर न पड़ सके।

श्री बनारसी दास--मैं श्री मदनगोपाल जी के संशोधन को स्वीकार करता हू। चूंकि फकल्टी का कोआपप्शन करना है इसलिये पहले तीन ही रखा था। लेकिन चूंकि मांग यह थी कि बोर्ड भी एक कोआप्ट करे तो जब एक सदस्य का कोआप्शन पूरा बोर्ड करेगा और दो का फैकल्टी करेगी तो यह मदनगोपाल जी का जो संशोधन है, वह मैं समझता हूं ठीक है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-A की उपधारा (२) की पंक्ति ३ के शब्द "three" के स्थान पर शब्द "two" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मदन गोपाल वैद्य--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 6 -B के भाग (f) के बाद नया भाग (g) निम्न रूप में रख दिया जाय--

"(*g*) Registrar shall function as the Secretary of the Faculty and shall be responsible for the secrecy and accuracy of the records and business thereof."

जो फैकल्टी का संगठन किया गया है उसमें एक सेक्रेटरी की आवश्यकता थी। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि रजिस्ट्रार ही सेक्रेटरी का काम करेंगे और परीक्षा की प्रामाणिकता और उसके गौरव और स्टडर्ड को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि जैसे परीक्षा के संबंध में नाना प्रकार की गड़बड़ियां हुआ करती हैं उसके रिकार्ड्स और उसके सब कागजात गुप्त रखे जायं। इसलिय उसका भी इसमें विधान किया गया है और रजिस्ट्रार के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी रखी गयी है कि वह परीक्षाओं का सफल संचालन करे।

इसके साथ ही साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि अब बोर्ड का काम फैकल्टी के निर्माण के बाद बहुत ही जिम्मेदारी का हो गया है। इसलिये परीक्षा के संबंध में बोर्ड के अन्दर एक टेक्निकल कर्मचारी अवश्य होना चाहिये चाहे वह रजिस्ट्रार हो, चाहे ज्वाइंट रजिस्ट्रार रखा जाय क्योंकि फैकल्टी कागज पर तो एक है, लेकिन वास्तव में हैं दो, एक आयुर्वेदिक और दूसरी यूनानी और इस फैकल्टी का जो पांच वर्ष का पाठ्य-क्रम है उसको संचालित करने.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं यह असंगत हो रहा है। इसको आप सरकार के पास लख कर भेज दीजिए।

श्री मदन गोपाल वैद्य---चूंकि रजिस्ट्रार का काम टेक्निकल है, इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी।

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मदनगोपाल जी इस रूप में अगर इसको स्वीकार करें तो मैं मानने को तैयार हूं:

" Registrar shall function as the Secretary of the Faculty. "

क्योंकि बोर्ड को अधिकार है कि वह उसके लिये कार्य निर्धारित करे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि श्री मदनगोपाल जी इस रूप में इसको स्वीकार करेंगे और जब वह सेक्रेटरी हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो है ही। उसकी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी जोकि बोर्ड सुपुर्द करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि मदनगोपाल जी इसको जिस रूप में मैंने रखा है, उसमें स्वीकार कर लें।

श्री मदन गोपाल वैद्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी का सुझाव है उसे मानने म मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से परीक्षा में गड़बड़ियां हुअ करती हैं उसके लिये कार्यालय का कौन सा कर्मचारी जिम्मेदार होगा इस संबंध में एक निश्चित अधिकारी को उत्तरदायी बनाने के लिये मैंने अपना यह सशोधन रखा था। लेकिन जो माननीय मंत्री ने रखा है उसको ही मानने के लिये मैं तैयार हू।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १९ में प्रस्तावित धारा 36-B के भाग (f) के बाद नया भाग (g) निम्न रूप में रख दिया जाय--

" Registrar shall function as the Secretary of the Faculty."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

२०---मूल अधिनियम की धारा ३७ में---

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३७ का संशोधन

(१) शब्द "may" और " frame " के बीच शब्द " after previous publication " रख दिए जाय ;

(२) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्त के फुलस्टाप के स्थान पर कोलन रख दिया जाय ; और तत्पश्चात् द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

" Provided further that no regulation shall be framed under any of the clauses (*a*) to (*g*) except upon the recommendations to be made in such manner as may be prescribed by the Faculty. "

(३) उपधारा (३) में शब्द " " Gazette " " के बाद शब्द "and shall not take effect until they have been confirmed by the State Government " बढ़ा दिए जायं ; तथा "

(४) उपधारा (४) में शब्द " " cancel' के स्थान पर शब्द "cancel or modify " रख दिए जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१--मूल अधिनियम की धारा ३८ के शब्द "and licensing of firms for sale of Indian drugs" निकाल दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ३८ का संशोधन

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

२२--मल अधिनियम की धारा ५३ में शब्द "Part III" के स्थान पर शब्द "Part III or any section therein" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५३ का संशोधन।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय--

"संपूर्ण धारा ५३ निकाल दी जाय।"

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से धारा ५३ पढ़ना चाहता हूं--

"53. Notwithstanding anything contained in any section of this Act, on and after the expiry of one year from the date from which Part III comes into force, a person shall not be entered in the register as a registered practitioner unless he has passed a qualifying examination recognised by the Board."

श्रीमन्, इस विधेयक में इस बात की पाबन्दी है कि सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को बोर्ड के अन्दर रजिस्ट्रेशन मिलेगा जोकि कोई न कोई क्वालीफाइंग इक्जामिनेशन पास कर चुके हों। तो इसलिये इस सेक्शन की अब जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आपका संशोधन ठीक ढंग का नहीं है। इसमें यह होना चाहिये कि खंड २२ निम्न रूप में रख दिया जाय।

श्री नवलकिशोर--मेरा मतलब यह था कि मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय। इसमें यह होगा कि "मल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय"।

श्री बनारसीदास--अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२ के स्थान पर निम्न रख दिया जाय:--

"२२--मूल अधिनियम की धारा ५३ निकाल दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २३ व २४

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५४ का निकाला जाना।

२३--मूल अधिनियम की धारा ५४ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा ५५ का संशोधन।

२४--मूल अधिनियम की धारा ५५ में--

(१) उपधारा (१) में शब्द " to practice " के स्थान पर शब्द "in or otherwise entitled to practice " रख दिए जायं, तथा

(२) उपधारा (२) में शब्द "With fine which may extend to five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "with imprisonment not exceeding six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both". तथा शब्द " with fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर " With imprisonment not exceeding three months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिए जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३ और २४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २५

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की अनुसूची का संशोधन।

२५--मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची का अनुच्छेद ४ निकाल दिया जाय।

श्री बनारसीदास--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"२५--मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची में--

(a) अनुच्छेद (२) निम्न रूप में परिवर्तित कर दिया जाय--

" 2 Vaids and Hakims who hold a degree or diploma granted by the Board. "

(b) अनुच्छेद (४) निकाल दिया जाय।"

तो श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है। चूंकि फैकल्टी बनेगी तो उसमें पहले ही बोर्ड मंजूर करता था इसलिये इसमें इन शब्दों को बढ़ा दिया गया है और अनुच्छेद ४ की अब आवश्यकता नहीं रह गयी है क्योंकि वही वैद्य और हकीम रजिस्टर्ड हो सकते हैं जिन्होंने नियमानुसार तालीम पाई हो। इसलिये मैं इस संशोधन को सदन के सामने उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"२५--मूल अधिनियम में संलग्न अनुसूची में--

(a) अनुच्छेद (२) निम्न रूप में परिवर्तित कर दिया जाय--

" 2. Vaids and Hakims who hold a degree or diploma granted by the Board. "

(b) अनुच्छेद (४) निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

अस्थायी तथा अन्त:-कालीन उपबन्ध।

२६--(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व कार्यरत (functioning) बोर्ड मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन, उस समय तक करता रहेगा जब तक कि मूल अधिनियम, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा ५ के अधीन कोई बोर्ड विधिवत् संगठित नहीं हो जाता, तथा ऐसा बोर्ड इस बात के होते हुए भी कि मूल अधिनियम के अधीन इसका कायकाल अन्यथा समाप्त हो गया है, तब तक अपना कार्य करता रहेगा जब तक पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार नया बोर्ड संगठित नहीं हो जाता।

(२) राज्य सरकार किन्हीं कठिनाइयों, मुख्यत: मूल अधिनियम के उपबन्धों से उक्त ऐक्ट के, जैसा कि वह प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधित हुआ है, उपबन्धों में संक्रमण के बारे में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आज्ञा द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मूल ऐक्ट, जैसा कि वह पूर्वोक्त व्यवस्थानुसार संशोधित हुआ है, ऐसे परिष्कारों, परिवर्द्धनों अथवा लोपों (modifications, additions or omissions) के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक अथवा इष्टकर समझे, ६ महीनों तक के काला-वधि में, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायगी, प्रभावी होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

१--(१) यह ऐक्ट उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

श्री रामेश्वर लाल--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) के शब्द "जायगा" के स्थान पर शब्द "गा' रख दिया जाय।

यह एक शाब्दिक संशोधन है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री बनारसीदास--यह एक शाब्दिक संशोधन है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिये आपको अधिकार है कि इसमें शाब्दिक परिवर्तन कर दें।

श्री अध्यक्ष--अच्छा मैं कर दूंगा। (कुछ ठहर कर) प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश इन्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के लिये यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये यू० पी० इंडियन मेडिसिन ऐक्ट, १९३९ संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग मान जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ को पारित किया जाय।

श्री रामेश्वर लाल--मान्यवर यह हर्ष का विषय अवश्य है कि आज इस सदन में आयुर्वेद और यूनानी से संबन्धित और उसके विकास के लिये यह विधेयक पारित होने को पेश किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर जो त्रुटि इस विधेयक के अन्दर रह गयी है उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि श्री जोरावर वर्मा जी का संशोधन जिसमें शिड्यूल कास्ट और पिछड़ी हुई जातियों के लिये रिप्रजेन्टेशन की बात कही गयी थी उसको इस सदन ने और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया। मान्यवर हम और यह सदन यह स्वीकार करेगा कि जो आयुर्वेद का सिस्टम और उसकी पद्धति है.....

श्री अध्यक्ष--जितने संशोधन स्वीकार कर लिये गए हैं उनसे जो परिणाम होता हो, उसी के बारे में आप बहस कर सकते हैं, लेकिन जो स्वीकार नहीं हुए हैं उनको आप यहां पर दोहरा नहीं सकते हैं।

श्री रामेश्वर लाल--मैं उन बातों का थोड़ा सा हिन्ट चाहता था कि कर दूं और उसके लिये आपसे जरा सी इजाजत चाहता था।

श्री अध्यक्ष--संदर्भ के लिये आप कह सकते हैं लेकिन आपका भाषण केवल स्वीकृत संशोधनों पर ही हो सकता है और जो अस्वीकृत हुए, उनके जो परिणाम हैं उनसे आप सहमत न हों तो कुछ कह सकते हैं।

श्री रामेश्वर लाल--जो संशोधन स्वीकृत हुए हैं और अस्वीकृत हुए हैं उनसे संबंधित करते हुए मैं यह कहना चाहता था कि जो संशोधन स्वीकृत किए गए हैं उनके संदर्भ में और जो अस्वीकृत हुए हैं उनसे कोई बुराई न उत्पन्न हो, इसलिये मैं यह इशारा करना चाहता था कि जहां तक फैकल्टी और बोर्ड का संबंध है और जो बोर्ड बना है उसका काम यदि विकास करना है तो हमें देखना होगा कि इस बिल से संबंधित जो नई बातें हमने की हैं उनमें हम कहां तक आगे बढ़ रहे हैं। जितने संशोधन हमने स्वीकार किए हैं उनको स्वीकार करने के बाद हमारी मंशा मंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई। मंशा जो

है कि इन यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धतियों को हम ठीक करेंगे, उस चीज को हमें देखना है कि हम ठीक कर सकेंगे या नहीं। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उन से कहना चाहूंगा कि जो कमेटी सन् ३९ में पिछली कांग्रेस सरकार के जमाने में बनी थी उस की सिफारिश थी कि क्षय रोग के लिये आयुर्वेदिक पद्धति पर एक अस्पताल खुलना चाहिये। उस वक्त वह सरकार चली गयी लेकिन अब जो सरकार उसकी जगह पर बनी और जिसे फिर पदासीन होने का अवसर मिला उसने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया कि वह एलोपथिक की जगह आयुर्वेदिक सिस्टम को यहां स्थापित करना चाहते हैं, उस पर हम अमल करें इसकी आवश्यकता है और मुझे आशा है कि वह इस दशा में एक सफल प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमें इसके साथ-साथ कुछ खास बातों की तरफ ध्यान देना होगा। हमारे प्रदेश में इस समय विशेषकर पूर्वी जिलों में कुष्ट रोग, उधर के गरीब इलाकों में बहुत जोर पर है और उसके संबंध में जो फारेन एजेंसीज बाहर से दवा भेजती हैं जैसे अमेरिका आदि और उन्हीं दवाओं के आधार पर कुष्ट रोग के आश्रम आदि चल रहे हैं और जो रोगी हैं वह और दूसरे लोगों के लिये भी कुष्ट रोग का कारण बने हुए हैं और उनकी बड़ी अव्यवस्था है। मैं कहूंगा कि यदि सरकार उन आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों का विकास चाहती है तो उसको इन पद्धतियों के मातहत कुष्ट रोगियों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करना चाहिये और मैं समझता हूं कि हमारी इन पद्धतियों में कुष्ट रोग के लिये एलोपैथिक दवाओं से अच्छी दवायें मिल सकती हैं। इसलिये टी० बी० और कुष्ट रोगों के लिये विशेष व्यवस्था आयुर्वेदिक प्रणाली के अनुसार होना आवश्यक है। मुझे आशा है कि जो हमारा विधान जैसा हमने अब पास किया है, बनने जा रहा है और जो फैकल्टी और बोर्ड को अधिकार मिलेगा और जो गलतियां आने की संभावना हैं, उनको दूर करने का वह बोर्ड और फैकल्टी प्रयत्न करेंगे और रजिस्ट्रेशन के प्रश्न को लेकर फैकल्टी किसी तरह का गलत काम न होने देगी, ऐसी हमें आशा है और केवल वही लोग रजिस्टर हो सकेंगे जो वेल क्वालिफाइड या सर्टिफाइड होंगे। लेकिन साथ ही म यह भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार हमने संशोधन पास किया है उसके मातहत हमारे कुछ ऐसे लोग न रह जायं जो योग्यता और निपुणता में.....

श्री बनारसी दास--मैं श्रीमन्, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनके भाषण का इस बिल से कोई संबंध नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष--इसमें काफी संशोधन स्वीकृत हुए हैं और नियमों के अनुसार वह उनके परिणामों के ऊपर कह सकते हैं। मैं सीमा नियत नहीं कर पा रहा हूं कि किस हद तक वह असंगत हो रहे हैं क्योंकि वह कुछ संगत भी हैं और उन्होंने इस वक्त तक अधिक समय नहीं लिया है इसलिये मैं उनको अभी नहीं रोक रहा हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--और थर्ड रीडिंग में तो इस तरह की गुंजाइश हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--जी हां, यदि संशोधन हो चुके हों तो थर्ड रीडिंग में गुंजायश ऐसी हो सकती है।

श्री रामेश्वर लाल--मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को अब इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिये जितनी वह महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अब तो यह विधेयक पास हो ही गया और संभवतः अधिकतर उनकी इच्छा के अनुकूल ही पास हुआ है। माननीय मंत्री जी ने देखा कि उनके बहुत से संशोधनों का हमारे दल के लोगों ने भी काफी जोरदार शब्दों में समर्थन किया। तो फिर इस तरह से जो हमारा कोआपरेशन रहा है उसका हमें भी फायदा मिलना चाहिये, माननीय मंत्री जी को तो मिल ही गया है और इसी को आधार मानकर मैं यह समझता हूं कि कुछ बातें जो श्रीमन्, उनके देखने में असंगत हो सकती हैं और आपके देखने में नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

[श्री रामेश्वर लाल]

मुझे केवल एक बात कहनी है कि मुझे तब दुख हुआ जब श्रीमन् माननीय शिव नारायण जी ने जब माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का विरोध किया। मान्यवर, जब कभी भी इस सदन में ऐसे सवाल आये तब हरिजनों के उत्थान के लिये, उनके रिजर्वेशन के लिये बातें हुईं लेकिन इस विधेयक के संबंध में जब रिजर्वेशन की बात हुई तब माननीय शिवनारायण जी उसका विरोध करते हैं। संस्कृत के जो मूल ग्रन्थ हैं और जो अध्यापक संस्कृत के हैं, पंडित हैं। मैं यह समझता हूं कि वैद्य जो होते हैं वह मूल ग्रन्थों को संस्कृत के पठन-पाठन के अनन्तर ही हो सकते हैं। तो जब तक हमारा वैद्य समाज इस श्रेणी तक नहीं पहुंच पाता कि "आत्मवत सर्व-भूतेषु यः पश्यति स पंडितः" के सिद्धांतों पर सबको समझे और जब तक हमें पंचायतों, लोकल बाडीज में रिजर्वेशन का प्रश्न हल करना है। और जब तक १५ स्टूडेंट्स को स्कालरशिप्स देनी हैं और हरिजन स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन का सवाल हल करना है, जब यह सब बातें करनी हैं तब तक माननीय मंत्री जी को अवश्य इस बात पर विचार करना है कि ऐसा न हो कि उनके प्रति घृणा का वातावरण पैदा हो और हमारे और शिवनारायण जी के रहते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाय। इसीलिये मैं उनकी याददाश्त के लिये, माननीय मंत्री जी की याददाश्त के लिये और सदन की याददाश्त के लिये इस वक्त यही कहना चाहता हूं।

श्री मदन गोपाल वैद्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आज पारित हुआ है उसके परिणामस्वरूप इस विधेयक के उद्देश्यों में एक कमी हो गयी है लेकिन खुशी की बात है कि जो औषधियों के नियंत्रण के संबंध में विधेयक के उद्देश्यों में एक कमी की गयी है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने अलग से विधेयक बनाने का आश्वासन दिया है। उससे हमें प्रसन्नता हुई कि उस संबंध में हम भविष्य में प्रगति करने वाले हैं। जहां तक इस विधेयक के ज्यूरिस्डिक्शन का प्रश्न है सरकार ने एक ऐसा संशोधन स्वीकृत किया है कि उत्तर प्रदेश के बाहर की संस्थाओं को भी ऐफिलिएट कर सकते हैं लेकिन मेरा यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था कि मूल अधिनियम उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लागू नहीं कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं रहेगा। इस विधेयक में बोर्ड और फैकल्टी के संगठन के संबंध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं। बोर्ड के संगठन के संबंध में काफी प्रगति हुई है और वैद्य समाज को इस बात पर प्रसन्नता हुई कि इसमें वैद्यों की संख्या और महत्ता बढ़ाई गई है और उनका स्तर भी, मान भी ऊंचा हुआ है लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष के संबंध में एक नवीन परिवर्तन हुआ है कि जब तक जो चुनाव उनका होता था उसके स्थान पर नामजदगी हुआ करेगी। इस काम से उनके स्थायित्व में कमी की कुछ आशा है लेकिन उसकी नियुक्ति के संबंध में हम फिर भी सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अध्यक्ष कोई सरकारी आदमी नहीं नियुक्त होना चाहिये, जिसको पहले ही से जरूरत से ज्यादा काम हो और वह बोर्ड के कामों में अधिक समय न दे सके।

क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि बोर्ड के जो कर्त्तव्य थे उसको भी वह पूरा नहीं कर सका। इसका कारण यही था कि बोर्ड के कर्मचारी नान-टेक्निकल थे। अगर टेक्निकल कर्मचारी होते तो आसानी से और सुगमता से बोर्ड कार्य का सम्पादन कर सकता था। जहां तक बोर्ड का संबंध है आमतौर से सरकार यू० पी० मेडिकल बोर्ड या होम्योपैथी बोर्ड से समानता किया करती है उन बोर्डों से जिनका काम केवल रजिस्ट्रेशन करने का ही है। लेकिन यह जो आयुर्वेद और यूनानी का बोर्ड है उसके उद्देश्यों और कारणों में ही लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट का काम भी उसके पास है। दूसरे जो एलोपैथिक या होम्योपैथिक बोर्ड हैं उनकी उन्नति दूसरे देशों में हो रही है। वहां उनका काम केवल रजिस्ट्रेशन का ही होता है लेकिन यहां हमारे इस बोर्ड को आयुर्वेद पद्धति का विकास करना है। इसलिये टेक्निकल आदमी चाहिये जिनके पास समय हो और अपना

समय इस काम की प्रगति में लगा सकें। इसलिये दूसरे बोर्ड से हमारे बोर्ड की तुलना न की जाय। दूसरे देशों में जो बोर्ड होते हैं उनका काम केवल रजिस्ट्री का होता है और वैज्ञानिक प्रगति जो वहां हो रही है उसको ग्रहण मात्र करना ही उनका काम होता है। बोर्ड का कार्य-काल भी तीन वर्ष से पांच वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में कोई विवाद की बात नहीं है लेकिन पांच वर्ष भी पूरे हो गए किन्तु चुनाव नहीं होने जा रहा है। इस संबंध में सरकार ने धारा ३६ के जरिये से अधिकार ले लिया है कि जब तक बोर्ड का चुनाव नहीं होता तब तक बोर्ड का कार्यकाल माना जाय। लेकिन मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में जल्दी ही बोर्ड का चुनाव हो जायगा।

जहां तक फैकल्टी की बात है, फैकल्टी की स्थापना से उत्तर प्रदेश में वैद्यक परीक्षाओं का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, यह खुशी की बात है और वैद्यक परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो कर जो विद्यार्थी निकलेंगे उनको सभी जगह मान्यता मिलेगी। लेकिन जो फैकल्टी का संगठन किया गया है उस संगठन के बारे में मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ कहना चाहता हूं। फैकल्टी के संगठन में जो ६ सदस्य रक्खे गए हैं उन ६ में से तीन सदस्य यूनिवर्सिटियों के हैं और तीन सदस्य बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स और शिक्षा संस्थाओं के सदस्य हैं। इन सदस्यों से मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आपस में संघर्ष रहा करता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिगण बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स द्वारा संचालित जो परीक्षायें हैं उनमें अधिक दिलचस्पी नहीं लेते। वे ऐसा समझते हैं कि इन परीक्षाओं का स्टैंडर्ड बहुत नीचा है और अभी उनके पास पर्याप्त साधन व सम्पन्नता नहीं है। इसलिये काफी दिलचस्पी वे इन परीक्षाओं में नहीं लेते। अब जो तीन सदस्य रह गये उनमें से एक हकीम साहब होंगे और दूसरे दो वैद्य होंगे और जो दो सदस्य को-आप्ट करने की बात कही गयी है--इस तरह से यूनानी फैकल्टी को चलाने का काम एक हकीम या दो कोआप्टेड हकीमों के ऊपर छोड़ा गया है। यह संख्या बहुत कम प्रतीत होती है। बोर्ड के अधिकार को सरकार ने जो खत्म कर दिया था ग्रांट इत्यादि बांटने में उनको सरकार दूसरे रूप में करेगी। प्रसन्नता की बात है कि बोर्ड के अधिकारों के संबंध में --छात्रवृत्ति देने या रिसर्च के लिए विद्यार्थियों को विदेशों में भेजने के लिये सरकार ने जो कटौती की थी उसको संशोधन के द्वारा पूरा कर दिया है। इस काम के लिये हम सरकार को सहर्ष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक उन्नति के कार्य को प्रशस्त कर दिया और बोर्ड को यह अधिकार पुनः वापस कर दिया। इसके अलावा पैरा ४ में रजिस्ट्री करना बन्द कर दिया है और शेड्यूल में जो परिवर्तन किया है उसका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। इससे वैद्य सामाज का स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। इससे हमारी प्रमाणिकता और बढ़ेगी। अनुच्छेद ४ के निकालने के बाद जो संशोधन करने बाकी रह गए हैं, मैं आशा करता हूं कि सरकार किसी न किसी रूप में उनको पूरा करेगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने कहा "आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः" इस ओर इशारा किया। हमारे देश में भी हमारे नेताओं में जो स्वराज्य की लड़ाई लड़ी उन्होंने देश में इसी आदर्श की पुष्टि की। हमारे इसी देश के महानतम नेता जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया को पंचशील की देन दी है। वह देन उत्तर प्रदेश की ही देन है। मैं विरोधी दल के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि भाई जोरावर वर्मा इस सदन में केवल क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप ये शब्द वापस लें।

श्री शिव नारायण--अध्यक्ष महोदय, मैं वापस लेता हूं लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ कल्पना की बात करने से काम नहीं चल सकता। जहां हम पर डंडे पड़ते हैं वहां कोई दिखाई नहीं देता है। मुझे आज गुमान है, आज अंग्रेजी दवायें जो बाजार में मिलती हैं, पानी मिलता है, नकली पेनिसलीन मिलती है, उसका चोकवा लिया जाय तो भय लगता है कि कहीं जहर न फैल जाय, हमारी सरकार ने, भारतीय संस्कृति और प्राचीन परम्परा के अनुसार जो पद्धति चलती है, हिमालय पर्वत से जड़ी बूटियां .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि विधेयक पर आ जाइए।

श्री शिव नारायण--निवेदन यह है कि सरकार ने इस चीज में बड़ा सुन्दर अमेंडमेंट किया है और यह कहा है कि हम उसको स्कालरशिप देंगे जो डिजर्विंग होगा चाहे वह चमार हो चाहे किसी दूसरी जाति का। यह इमानदारी की बात है, सही बात है। इस पर दुनिया का हर आदमी सर झुकायेगा। हम नहीं चाहते कि रिजर्वेशन को सामने रख कर हम यह भूल जायं कि आज देश को आवश्यकता बड़े-बड़े साइंटिस्ट की है बड़े बड़े-इंजीनियर की है। इसके लिये हमें अपने देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़नी है। हर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि अपने मुल्क के निर्माण में अपने मुल्क के बनाने में सतर्क रहे और तैयार रहे। इसलिये जो यह आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन का जो बिल हमारे सामने है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस असेम्बली में आने से पहिले बहुत से लोग मेरे पास आये और कहा कि सर्टिफिकेट लिख दीजिए कि ५-६ वर्ष से दवा कर रहे हैं। बिलकुल गलत लिखवाते हैं। गवर्नमेंट ने जो रोक दिलायी है वह ठीक किया गया है। जिन विरोधी लोगों ने विरोध किया उनको इस पर खुशी जाहिर करनी चाहिये थी। सरकार बेस्ट मैन का सेलेक्शन करने जा रही है। किसी ऐसे आदमी को हम अलाऊ करने नहीं जा रहे हैं जो दफ्तर में दफ्तरी करे, कचेहरी में काम करे और घर में दवा बांटे। जो रजिस्टर्ड होंगे, कालेज में पढ़े होंगे या जिनका अच्छा स्टैंडर्ड होगा, वे बड़े-बड़े डाक्टरों के मुकाबिले में आयेंगे। आज जो वैद्य या हकीम लोग हैं जो निराशावादी थे वह आशावादी हो चले हैं। अब उनको आशा हो गयी है कि हमारी सरकार हमारी मदद करेगी। हम लोग भी आशावादी हैं। मैं अपने देवरिया के भाई से कहना चाहता हूं कि मैं भी पूर्वी जिले से आया हूं। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां घेंघा और फीलपांव है। उसका भी प्रतिबन्ध करे। वहां गरीबी है। हम मेडिकल कालेज या सिविल सर्जन के यहां भरती नहीं हो पाते हैं। हम चाहेंगे कि आयुर्वेद और तिब्बी के द्वारा छोटे-छोटे अस्पताल देहातों में खोले जायं। वहां अच्छे अच्छे वैद्य भेजे जायं। सरकार ने जो कदम उठाया है सुन्दर कदम उठाया है। देश की परम्परा के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, हम सुषेण वैद्य का नारा लगाते हैं, जिन्होंने लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद जिन्दा किया संजीवनी बूटी दे कर। उस संजीवनी बूटी का पता लगाना हमारे वैद्यों का काम है। और पेंसिलिन से हमको छुड़ाएं। हम ऐसे वैद्यों को वेलकम करेंगे, उनको पूजेंगे और जितने पैसे की जरूरत होगी वह दिलवायेंगे। मैं अन्त में सरकार को बधाई देता हूं और वैद्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सही मानी में दवा करें और गरीबों की मदद की जाय। न यहां चमार का प्रश्न है न श्री जोरावर वर्मा का प्रश्न है जो बेस्ट कैंडीडेट होगा वही चुन लिया जायगा और नहीं चुना जायगा तो आउट होगा।

जो विरोधी हैं वे बहुत सही और करेक्ट क्रीटीसिज्म दें जिसको गवर्नमेंट माने। श्रीमान् जी, हमारे सदस्यगण बहुत परेशान हैं लेकिन जो चीज है असल में, "दिल दुखे जब फर्याद करते हैं तो आसमां हिल उठता है" हम जानते हैं कि दवा हमारे यहां नहीं पहुंचती है। घेंघा और फ़ीलपांव, हाइड्रोसील से चलना दुश्वार हो जाता है, क्या इसका इलाज करें। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्री गेंदा सिंह--बैठे तो हैं आप के आगे, इनसे कहिये।

श्री शिवनारायण--मैं उन्हीं से कह रहा हूं। आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने किया सुन्दर किया और हमारे सदस्यगण जो परेशान हैं बहुत, इनका भी इलाज कर दें तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक गत ३ दिनों से इस सदन म वाद-विवाद के बाद पास हो गया। इस विधेयक के द्वारा जैसे सन् १९३९ के द्वारा सरकार ने आयुर्वेद के उत्थान के लिये कुछ कार्य किया और उससे जो आज

तक अनुभव हुआ। उसके कारण इस सन् १९३९ के विधेयक को संशोधित करके एक नई पद्धति अपनाई है आयुर्वेद के उत्थान के लिये। सरकार की तरफ़ से कुछ कार्य किये गये हैं और जो किया गया है उस पर प्रकाश भी डाला गया है। इस संशोधन के द्वारा एक नई लाइन हमारी सरकार ने ली है। इसमें खास करके हम देखते तो यह हैं कि हमारे इस गरीब देश के लिये आयुवद की शिक्षा की ओर या आयुर्वेद में रिसर्च की ओर गत वर्षों में जितने प्रयत्न होने चाहिये वास्तव में उतने नहीं हुए और सरकार की तरफ से पिछले तीन दिनों के अन्दर जो बातें कही गईं उससे हमें यह अनुभव हुआ कि यह बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसिन बनाने की बाद से सरकार उतना आगे न बढ़ सकी जितना कि उसे बढ़ना चाहिये था। वास्तव में यहां गत कुछ दिनों में बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसन की कठिनाई और सरकार की कठिनाई देखते हैं तो हमने देखा कि सरकार ने अपने दृष्टिकोण को, जो कुछ रहा हो, बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसिन के ऊपर रखने की चेष्टा की, और बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसिन से यह प्रोटेस्ट करने की चेष्टा की है। शायद यह आयुर्वेद के उत्थान के लिये अच्छा न रहा हो। वास्तव में दृष्टिकोण दोनों के एक ही थे। आयुर्वेद का उत्थान तभी हो सकता है, उन्हीं लोगों के द्वारा होगा जो आयुर्वेद की पद्धति को या शिक्षा को समझते हैं। उन्हें भारत में जो इंडिजिनस औषधियों का विज्ञान है उसका वास्तविक उत्थान कर दिया जायगा, सरकार की तरफ कहा जाता है और अभी स्टेट आयुर्वेदक कालेज खोल दिया है। लेकिन अगर उसकी कार्य-प्रणाली की तरफ देखते हैं, तो जैसा कि इसी समय बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन का नया ऐक्ट पास किया गया, उसमें भी एक ही दोष समझते हैं और उस पर माननीय मंत्री ध्यान देंगे। हमने बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के अन्दर दो भाग उसके कर दिये हैं। एक तो बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसिन बन गया है, एक नई पद्धति अपनायी है जो फ़ैकल्टी की है, उसका रिप्रेजेन्टेशन कैसे होना चाहिये, इस पर सदन में बहुत कहा गया, लोगों ने अपने विचार प्रगट किये हैं। वास्तव में जब तक फ़ैकल्टी का हम समझते हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं होता है जिस पर कि फैकल्टी अपने विचारों को रखे, मैं शायद अपने विचारों में स्पष्ट न हो सकूं, उदाहरण देता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में राजकीय संस्कृत कालेज बनारस में है और उसमें संस्कृत शिक्षा का एक उच्च स्तर है और इसके साथ उत्तर प्रदेश में जगह जगह हर एक जिले में संस्कृत के कालेजेज अलग अलग हैं, लेकिन उनका स्तर राजकीय संस्कृत कालेज का है और उसी को यूनीवर्सिटी बनाने का प्रयत्न हो रहा है जिसके द्वारा यह होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने संस्कृत कालेज हैं, चाहे डिग्री कालेज हों, प्रथमा के हों, लेकिन उस स्तर के द्वारा वे नापे जायंगे, वही मापदंड होगा, और उस स्तर के द्वारा उसका विकास होगा। उसी तरह से हम आशा करते हैं कि आपने एक स्टेट आयुर्वेदिक कालेज खोला था वह इस फैकल्टी के मातहत में, उस आयुर्वेद कालेज को होना चाहिए था न कि यूनिवर्सिटी के मातहत में। और जिस प्रकार से बनारस का संस्कृत कालेज है उसे एक यूनिवर्सिटी बनाकर और जितने यू० पी० में कालेजेज संस्कृत के होंगे वह उनको उसके साथ एफिलिएटेड किया जायेगा और उसका अपना भी एक कालेज होगा जिसमें रिसर्च भी हो सकती है और अन्य कालेजों के सामने भी वह एक उदाहरण के रूप में रहेगा जिससे कि और संस्कृत के विद्यालय भी जागृत हो सकेंगे। उसी प्रकार से यदि उत्तर प्रदेश के अन्दर स्टेट आयुर्वेदिक कालेज जो खोला गया वह इस बोर्ड के मातहत होता, बजाय यूनिवर्सिटी के मातहत होने के, तो उसमें बोर्ड को ज्यादा आयुवद की उन्नति करने का मौक़ा मिलता, ज्यादा रिसर्च करने का मौक़ा मिलता और आयुर्वेद के विद्यार्थी उसमें अच्छी तरह प्रयत्न करते जिसके द्वारा और भी जितने एफिलिएटेड कालेजेज हैं आयुर्वेद के उन कालेजों को भी उन्हीं लाइन्स पर अपना विकास करने का मौक़ा मिलता। एक क्रिएम से वह यूनिवर्सिटी का ही स्वरूप रखता और बाकी सब कालेजेज उसमें एफिलिएटेड होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो इस लाइन पर इसको माननीय मन्त्री जी देखते तो अधिक लाभ इससे होता। वास्तव में हम कुछ दिनों से देखते हैं कि सरकार की ऐसी नीति है और आगे भी रहेगी, क्योंकि एक मौक़ा दे दिया गया है कि जहां बोर्ड और फैकल्टी में डिफरेंस होगा किसी प्वाइंट पर वहां सरकार के पास वह प्वाइंट जायगा और सरकार उसमें निर्णय करेगी। तो आयुर्वेदिक कालेज के विकास के लिए जो कहा जाता है, और माननीय सभा सचिव ने बराबर कहा है कि हम आयुर्वेद का विकास करेंगे तो आप विकास करेंगे कैसे? हम यह देख रहे हैं

[श्री गंगाधर मैठाणी]

कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनका उद्देश्य एलोपैथिक सिस्टम को बढ़ाने का है और आयुर्वेदिक सिस्टम को किसी भी रूप में वह प्रोत्साहन दे नहीं सकती हैं। मन्त्री महोदय की, इस हाउस के माननीय सदस्यों की जो भी भावना हो, उनकी वह भावना के अनुसार कार्य होने वाला नहीं है। हमने तो यहां ही देखा, जनरल डिस्कसन में हम सब लोगों की जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं उन सबकी भावनायें यह थीं कि यह बिल 'इतना सुन्दर नहीं' है जितना कि होना चाहिए था और यह सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। लेकिन बहुमत के बल पर यह सेलेक्ट कमेटी में नहीं जा सका। लोगों की अन्तरात्मा की जो इच्छा है वह तो यही है कि आयुर्वेद का विकास हो, आयुर्वेद अपनी पद्धति है और उसके विकास के लिए सरकार जितना कर सकती थी उतना नहीं कर सकी है। एक दृष्टिकोण तो लोगों का यह है और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि एलोपैथिक सिस्टम जो है .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप जनरल डिस्कशन की ओर अब जाने लगे।

श्री गंगाधर मैठाणी--मैं इसी प्वाइंट को कह रहा था कि आज सरकार ने जो तरीका अपनाया है जब तक बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन के पास अपना एक कालेज नहीं होगा, जिसे कि फैकल्टी या इंडियन मेडिसिन बोर्ड अपने आप चलाये तब तक वह आयुर्वेद का उत्थान नहीं कर सकेगी। और इसी प्रकार का कालेज होना चाहिए था जिस प्रकार कि बनारस का संस्कृत कालेज है, जो कि उसी यूनिवर्सिटी के मातहत होगा और उसमें और भी कालेजेज एफिलिएटेड होंगे। जहां तक जड़ी बूटियों की बात है उसके लिए कहा गया है कि दूसरा बिल वह ला रहे हैं जिससे उसका विकास काफी हो सके। वह आवश्यक है। इतना कहते हुए मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए कि आयुर्वेद का उत्थान होना चाहिए, इसकी तरफ विशेष ध्यान देंगे और कहीं ऐसा न हो जाय कि फैकल्टी और बोर्ड में आपस में बराबर झगड़े चलते रहें और गवर्नमेंट को यह कहने का मौका मिले कि उनके झगड़ों की वजह से इसकी उन्नति नहीं हो पायी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो ही मिनट समय लेना चाहता हूं। यह शरीर तो कहा गया है--शरीरम् व्याधि मन्दिरम्। यह शरीर व्याधि का घर है, और इसके उपचार के लिए तरह तरह की चिकित्सा प्रणालियां हैं। बहुत से ऐसे रोग हैं जिनमें हमारे आयुर्वेद का सानी और कोई दूसरी चिकित्सा प्रणाली नहीं है। कुछ विशेष पद्धतियों में एलोपैथिक जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उनका ध्यान इस ओर गया है कि हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति और तिब्बी चिकित्सा पद्धति को फिर से वही स्थान प्राप्त कराना चाहिए जो किसी जमाने में यहां था।

मैं आशा करता हूं कि यह मौजूदा विधेयक भी इस बात का प्रतीक है। माननीय मंत्री महोदय का इस तरफ़ रुझान है, और मैं उन्हें फिर बधाई देता हूं इस विधेयक को लाने के लिए और आशा करता हूं कि हमारी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली, जिसने इस देश की इतनी महान सेवा की है, पुनः उसी स्थान पर प्रतिष्ठित होगी।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नियोजन मन्त्री के सभा-सचिव श्री बलदेवसिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के तीसरे वाचन पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने रचनात्मक सुझाव दिये हैं उनका मैं आभारी हूं और उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये कि सरकार उनके सुझावों के अनुसार भविष्य में अवश्य कार्य करेगी। इसके साथ साथ मुझे उन माननीय सदस्य को जिन्होंने इस विधेयक के पारित करने में सहायता प्रदान की है और सहयोग प्रदान किया है, और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये, उनका हृदय से धन्यवाद करना है। साथ ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के पारित करने में जो महत्वपूर्ण सहयोग और सुझाव दिये हैं उनको भी मैं हृदय से

धन्यवाद देता हूं और यह आशा रखता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस विधेयक के पारित करने में अपना सहयोग दिया है उसी तरह से भविष्य में भी उनका सहयोग मिलता रहेगा। अन्त में मैं फिर इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५

(वन-उपमंत्री) **श्री जगमोहनसिंह नेगी**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं वे इसमें अंकित कर दिये गये हैं। मैं उस पर सदन का समय लेना उचित नहीं समझता। मगर इतनी बात अवश्य मैं माननीय सदस्यों से कह दूं कि यह एक बहुत छोटा सा बिल है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जिससे किसी प्रकार की शंका या संदेह उत्पन्न हो सके। आप सभी सदस्यों को यह भलीभांति विदित है कि ज़मींदारी उन्मूलन के समय कुछ भूतपूर्व ज़मींदारों ने जंगलों को बड़ी बुरी तरह से काटा। और जो कुछ जंगल बच रहे उन पर सही पट्टे भी बहुत सी जगह पर नहीं दिये गये हैं, और जिन पर आज भी हर एक माननीय सदस्य को अपने स्वयं के अनुभव से यह अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि कई जगह पर कुछ ऐसे पट्टे दिये गये हैं, जिन पर हमारे यहां के साल जैसे मूल्यवान पेड़ खड़े हैं। यदि इनकी कोई रक्षा नहीं की गई तो बहुत से वृक्ष कट जायंगे और इसका दुष्परिणाम केवल जंगलों पर ही नहीं पड़ता है बल्कि उसका कुप्रभाव काश्तकारी भूमि पर भी पड़ता है, जिसके लिये मुझे विवरण के साथ कहने की आवश्यकता नहीं है कि भूमि की सुरक्षा के लिये इन जंगलों के रहने की कितनी नितांत आवश्यकता है।

लैंड मैनेजमेंट कमेटी और फारेस्ट स्टैंडिंग कमेटी दोनों में कई बार इस बात पर ज़ोर दिया गया कि इस प्रकार से बहुत से जंगल कट रहे हैं, जिसका कुप्रभाव काश्तकारी भूमि पर पड़ रहा है। बनारस ज़िले तथा लखीमपुर-खीरी और कई और स्थानों में इस तरह का संकट जंगलों पर आ पड़ा है और इसी दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है जिससे कि इन जगलों की रक्षा हो सके और इसमें काफी प्रबंध इस बात का कर दिया गया है कि किसी प्रकार से किसी की वाजिब चीज पर क़ानूनी तौर पर हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही जंगलों की भी सुरक्षा हो सके। बहुत से भाई समझते हैं कि यह क़ानून सारे प्रदेश पर लागू होगा तो यह ठीक ही है क्योंकि क़ानून कहीं ऐसा नहीं बनता कि कोई हिस्सा छोड़ दिया जाय। क़ानून जब बनेगा तो सारे प्रदेश पर लागू होगा। मगर जो स्थान इस क़ानून के अन्तर्गत लिये जायंगे उनको नोटीफ़िकेशन के ज़रिये से इंगित किया जायगा कि किन जंगलों का हम प्रबंध करना चाहते हैं। इस बात का ख्याल नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट इनमें अपना अधिकार जमा रही है। क्योंकि वन पालन के विज्ञान के द्वारा हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन जंगलों का उत्थान और कटान हो? यह दोनों बातें इस बिल में आई हैं। यह ख्याल कि इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं इसलिये इस पर विचार करने के लिये ज्यादा समय की आवश्यकता है, यह बात नहीं है। यह तो आपकी, हमारी और सदन की ही पुकार है, माननीय सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से और कमेटी के रूप से यह विचार है कि हम एक बिल इस तरह का शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत करें जिससे इन जंगलों का बचाव हो सके। मैं समझता हूं कि यों तो आर्डिनेंस के द्वारा ३ दिसम्बर से इन जंगलों की रक्षा की जा रही है। किन्तु जो आर्डिनेंस इस सिलसिले में आज कल लागू है,

---

* ५ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

उसको जब यह हाउस सेशन में आया है, तो पारित कराना ही सरकार का मंतव्य है और मैं समझता हूं कि सभी प्रकार के संदेहों को दिल से निकाल कर .....

एक सदस्य--निकाल दिये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मुझे आपसे यही आशा है। आर्य जी ने तो अंत में धन्यवाद दिया, मैं पहले ही धन्यवाद देता हूं कि आप सब इसे बड़े सुन्दर तरीके से अपनायेंगे। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता इसलिये कि आप जो कहेंगे उसे मैं सुनूंगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय और वह जितनी जल्दी संभव हो सके, अपनी रिपोर्ट दे दे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं जैसा कि माननीय वन उपमंत्री जी ने कहा कि बहुत छोटा सा विधेयक है। इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिये और जल्दी से जल्दी इसको पास कर दिया जाना चाहिये। मैं भी समझता हूं कि इसको पास जल्दी किया जाना चाहिये लेकिन एक बात का उलाहना दे दूं। मुनासिब यह था कि चूंकि इस विधेयक के पीछे एक आर्डिनेंस है तो सारे कामों के पहले जब यह सत्र शुरू हुआ उसी समय यह विधेयक आना चाहिये था और इस विधेयक को इतनी देर बाद ले आने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर हो सकती है। आज हमारे इस सेशन को चलते हुए कई दिन हो गये...

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उसी रोज आ गया था।

श्री गेंदासिंह--मैं यही निवेदन कर रहा हूं। हमारी मेज पर रख दिया गया था, लेकिन मैं तो यह सोचता हूं कि सरकार सदन के कार्यक्रम की भी व्यवस्था करती है कि कौन सा काम पहले किया जाय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सलाह लिये बिना भी तो सरकार को इस बात का कम से कम जरूर ध्यान रखना चाहिये कि जिसके लिये राज्यपाल को आर्डिनेंस जारी करना पड़ा हो उस काम को सब से पहले सदन के सामने रखा जाय और उस पर सब से पहले विचार हो, यह परिपाटी उचित और प्राचीन है, इसे अपनाना चाहिये।

यह विधेयक अवश्य छोटा सा है लेकिन इसमें भी संदेह नहीं कि हमारा सारा प्रदेश, यदि हम कहें कि सभी गांवों से यह संबंध रखेगा तो कोई अत्युक्ति न होगी। तो अगर यह सारे गांवों की जिन्दगी से संबंध रखता है तो इस विधेयक को इतना छोटा समझना मुनासिब न होगा। इस विधेयक से मवेशियों को पालने से ले कर घर में खाना बनाने के लिये ईंधन, और शादी-ब्याह में जो लोगों को खिलाने के लिये पत्तल चाहिये, उन तक की इन तमाम चीजों में रुकावट पैदा हो सकती है। इन सारी चीजों के लिये बंधन हो सकता है इस विधेयक के द्वारा। तो फिर इन सारी बातों पर विचार करना आवश्यक है और इसी दृष्टि से मैं इस विधेयक पर माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय वन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यही कारण है कि हमने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है और यह अब मान लेना चाहिये हमारे वन मंत्री जी को, क्योंकि हमने अभी दो-तीन चीजों की तरफ ही उनका ध्यान दिलाया है। कितने लोगों की जिन्दगी की जरूरियात से यह विधेयक ताल्लुक रखता है इसका एहसास हो गया होगा। उन्होंने यह समझा था कि इस विधेयक का सम्बन्ध थोड़े से लोगों से हो सकता है इसलिये इसको उतनी जल्दी पास कराना मुनासिब समझते थे। मैं उनके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि नहीं, इस विधेयक के छोटे होने के बावजूद भी यह बहुत प्रभावकारी और बहुत लोगों से इसका ताल्लुक हो सकता है। इसलिये इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो सके। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में यह जाय। प्रवर समिति में सारी बातों पर विचार करके फिर यह विधेयक सदन के सामने आ सकता है और उतने ही समय के भीतर आ सकता है जितना समय आर्डिनेन्स के लिये जरूरी है।

जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं उससे सहमत हूं। सरकार का यह प्रयत्न अच्छा है। परन्तु ३ दिसम्बर को यह आर्डिनेन्स जारी हुआ जो बहुत देर की गयी। यह आर्डिनेन्स बहुत पहले जारी होना चाहिये था। मालूम नहीं कितनी मर्तबा इस सदन में इसका चर्चा हुआ है और हम लोगों ने इस तरफ़ सरकार का ध्यान दिलाया। जितनी बेरहमी से हमारे सूबे में दरख्त काटे जा रहे हैं उसको रोकने के लिये जितना सफल प्रयास होना चाहिये था उतना सरकार की तरफ से नहीं किया गया। मैं अभी भी इस बात को कहने के लिये तयार हूं कि बावजूद इसके कि प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लागू रहा है, और दूसरे भी सरकार के हुक्म लागू हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि सरकारी अधिकारियों को यहां तक मालूम नहीं है कि फारेस्ट ऐक्ट के मुताबिक वह कुछ दरख्तों को काटने से रोक भी सकते हैं। मैं उदाहरणस्वरूप आपके सामने बस्ती का मामला रखता हूं, और बस्ती में ही नहीं बल्कि सारे सूबे में ऐसी बातें हैं। वहां पर राजा साहब शोहरतगढ़ अपने बाग को कटवा रहे हैं। जहां पर इसको रोकने के लिये सारे देहात के लोग चिल्ला रहे हैं। सारी देहात की जनता वहां थाने में जाती है, तहसीलदार के यहां जाती है और कलेक्टर के यहां जाती है। लेकिन बावजूद इसके कि इतना शोरगुल होता है, कोई कार्यवाही बाग को काटने से रोकने के लिये नहीं हो रही है। इस तरह की हरकत हो रही है और ऐसे हरे पेड़ों का बाग काटा जा रहा है जो कि करीब ५ एकड़ का है। किसी कानून के जानने वाले को उसके रोकने का अख्तियार है? वह फौरन उस पर कार्यवाही कर सकता है। यदि ऐसी कार्यवाही करके उस काटने वाले आदमी को रोके तो फिर उसके परिणाम को देख कर दूसरे लोग इस तरह के हरे पेड़ों के बाग को न काटते, लोग डरते। और यह जो हमारे राष्ट्र की निधि है, हमारी राष्ट्रीय पूंजी है उसकी क्षति न पहुंचती। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि इस तरफ़ सरकारी अफसरों ने ध्यान नहीं दिया।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे सरकारी अफसरों को जो लिखाई-पढ़ाई का स्टैन्डर्ड है वह कुछ गिरता जा रहा है। वह स्टैंडर्ड जो होना चाहिये, वह नहीं है। ऐसे भी सरकारी अफसर हैं जो सरकारी रूल्स और रेगुलेशन्स को जानते ही नहीं हैं और उनको पता भी नहीं है कि इस तरह के कोई रूल्स हैं या नहीं। इस प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट के सिलसिले में उनको पता नहीं है कि उसके अधीन वह कुछ कर सकते हैं या नहीं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक आध उदाहरण दे दूं कि यह आफिसर कितने कानून जानते हैं। हमारे यहां नागर क्षेत्र जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में यह हुक्म हो गया है कि वहां पर काश्तकार बेदखल न किये जायं, जब तक कि स्टेआर्डर गवर्नमेंट वापस न ले। मैं आपको एक लार के इलाके का नमूना देना चाहता हूं कि वहां पर काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया है बावजूद इसके कि गवर्नमेंट का आर्डर उस सेक्शन के मातहत हो चुका है। जब वहां पर सरकारी अफ़सरों को यह बतलाया गया कि फ़लां सेक्शन के मातहत वह कार्यवाही हुई तब उनको पता चला, तब हमारे हुक्काम को यह पता लगा कि ऐसा हुक्म हुआ है। लेकिन काश्तकार को कैसे मदद मिले? मैं आपसे निवेदन करूं कि इस जंगल वाले काम में जब ऐसी जगहों पर जहां पर कि ऐसे जंगल हैं, जो जमींदारों के हाथ में थे और जमींदारों के हाथ में वे जंगल सन् ५० के पहले थे, मैं खास तौर से वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सन् ५० में जमींदारी ऐक्ट लागू हो गया लेकिन उसके बाद यह हरकत हुई कि उसके बाद भी पट्टे किये गये। सन् ५० के बाद के पट्टे तो गैर कानूनी हैं ही लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहां यह था कि रजिस्ट्री पट्टे उसको भी मानते थे, जो फ़रीकैन कानूनगो के यहां आकर अपनी मंजूरी दे देते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि कानूनगो के यहां रोजनामचे में या डायरी में महीने दो महीने, यहां तक कि ६ महीने पहले की तारीखों में कुछ पट्टे तस्दीक कर दिये गये। और पट्टे तस्दीक हो जाने के बाद चाहे वह जंगल की ज़मीन हो, चाहे गांव समाज की जमीन हो या और किसी विभाग की जमीन हो वह सारी की सारी जमीन पट्टेदार की हो गयी और वे काश्तकार सीरदार हो गये! और कहीं-कहीं तो भूमिधर हो गये! जब सरकार इस दिक्कत को दूर करने के लिये इस विधेयक को लायी है तो हम जैसे लोग इसका स्वागत ही करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार का ध्यान इस ओर और ले जाना चाहूंगा कि कानून के बनाने वाले हम लोग ही हैं। कुछ कानून अनजाने से तोड़ें तो

[श्री गेंदासिंह]

एक अलग बात है, क्योंकि कानून के अनुसार ही हर एक आदमी चल नहीं सकता है। कानून आदमी के लिये है न कि आदमी कानून के लिये, मैं इस सिद्धान्त को मानता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में जंगल बहुत कम है। शायद समूचे सूबे में सबसे कम जंगल उसमें हैं। थोड़ी सी जमीन पर जंगल था। हमें इस विधेयक को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जो बात दिल को सबसे ज्यादा खटकती है, वह यह है कि देश की सब से बड़ी पार्टी को, जो शासन चला रही है उसके लिये बहुत बदनामी की बात है। हमारे ही जिले के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। यह बात नहीं है कि वह दोस्त घर की अच्छी हालत में नहीं हैं, या वह तकलीफ में हैं। उन्होंने सरकार से एक काम कराया इस विधेयक की मंशा के खिलाफ। कुशीनगर के पास दो जंगल है। जो जंगल फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट के पास था उसमें से एक फारेस्ट सिर्फ एक आदमी को देने की गरज से रिलीज कराया गया। गांव समाज तो था नहीं, कोर्टस आफ वार्ड्स को दिया गया और उससे कहा गया कि फलां व्यक्ति को तुम पट्टा कर दो। उस व्यक्ति ने पट्टा लिया और उसके बाद आज यह अवस्था है कि गांव के पास के लोग वन की हिफ़ाजत करने के लिए तैयार हैं, और कहते हैं कि हम इसको जंगल रखेंगे। और वह व्यक्ति जो आज बहुत ही ऊंचा स्थान रखता है वह अगर यह २४ एकड़ जमीन न जोते तो कोई उसकी हैसियत पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन उसके लिए ही वह मामूली थाने से लेकर सरकार तक एक किए हुए हैं, उनकी हैसियत ऐसी है कि कलेक्टर, सुपरिन्डेंडेंट पुलिस और थानेदार वगैरा सब डरते हैं, और गांव के लोग जो मना करने जाते हैं कि जंगल न काटो और हरे पेड़ों को बरबाद न करो, तो उनके ऊपर १०७ और न जाने कौन-कौन सी दफ़ायें उन पर लगाई जाती हैं, और उन पर तरह-तरह के मुकद्दमे चलाए जाते हैं, जिनमें जेलखाने भी जाना पड़ता है। (एक आवाज-कृपया नाम बता दीजिए कि वह कौन हैं?) नाम जानकर क्या करियेगा, इससे पता लग जायगा। एक और साहब साधू महात्मा हैं, उनसे लोग कहते हैं कि जंगल रखिए, उससे फूस पैदा होगा, तो छप्पर और घर बनाने के काम आवेगा और पेड़ भी हरे रहेंगे तो काम आवेंगे, लेकिन वह तो साधू महात्मा हैं! उन्होंने सारे संसार से वैराग्य ले लिया है, लेकिन वह उस जमीन से वैराग्य नहीं लेते हैं और कहते हैं कि चूंकि वह जमीन हमें सरकार ने दी है, इसलिए हम इस जमीन को जरूर जोतेंगे और पेड़ काटेंगे! वहां भी बड़ी कशमकश है और हाईकोर्ट तक मुकद्दमे चलते हैं और वहां के लोग भी जेलखाने कई बार हो आए हैं। मैं थोड़ा सा डरता हूं कि आपने जो पावर बिल में ली है, मुझे माफ़ी होगी यह कहने के लिए कि क्या यह पावर ऐसे गोइयां और खिलाड़ी लोगों के लिए तो न रहेगी.....।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--लूप होल्स तो सब जगह होते ही हैं।

श्री गेंदासिंह--मैं उन्हीं से बचाना चाहता हूं, कम से कम जो दिखलाई दे जायं, उनसे तो बच लिया जाय। जो दिखलाई न देंगे वह तो रही जायंगे। उनको भी दूर करने की हम और श्री भगवान सहाय जी कोशिश करेंगे। मैं आप से जानना चाहूंगा कि यह जो उद्देश्य और कारण लिखे गए हैं कि उस काल में जब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम निर्माणावस्था में था, बड़े-बड़े क्षेत्र जिन पर वन लगे हुये थे, भूमि सुधार के लिये। यहां यह "भूमिसुधार" लिखना ही गलत है, वह तो "भूमिबिगाड़" था, "भूमिसुधार" नहीं था। यह बड़ा टेक्निकल शब्द है मैं इसको भूमि सुधार नहीं मानता। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वन मंत्री जी एक किताब जिसका नाम 'रेप आफ दि अर्थ' है, वह उसको पढ़ें क्योंकि वह एक अमेरिकन की लिखी हुई है, जिसमें बताया गया है कि जंगल काट कर जमीन के साथ रेप किया जाता है। उसका नाम ही 'रेप आफ़ दि अर्थ" है। यह जंगल काटने वाले लोग भूमि सुधार नहीं करते बल्कि वह जमीन के साथ रेप करते हैं! इसलिए इन उद्देश्य और कारणों में शब्द "भूमिसुधार" रखा जाय या न रखा जाय, यह विचार करने की बात है।

"उपर्युक्त प्रकार से दिये गये पट्टों पर निर्भर रहते हुये, जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे वनों को असावधानीपूर्वक साफ कर गिराने को उत्सुक है। सामान्य जनता के हित में, और विशेष कर राज्य में, जहां मुख्यतया कृषि व्यवस्था ही है, वनों के संरक्षण के महत्व को पूरी मान्यता दी गयी है। ऐसे क्षेत्रों में वनों के शोषण का विनियम आवश्यक प्रतीत हुआ है।

अब जहां ३८-ए में डेफिनीशन है वहां यह स्पष्ट किया गया है :—

" or possessed whether under, through or by any lease or licence executed prior to the commencement of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or under and in accordance with any provision of any enactment, including the said Act."

तो इसके माने यह हुये कि जितने भी कानून हों उन कानूनों के मुताबिक न सिर्फ जमींदारी अबालीशन और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट पर, बल्कि दूसरे कानूनों के मुताबिक भी जहां कहीं भी हो, वह सब इसके भीतर आता है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि उद्देश्य जो है वह स्पष्ट होना चाहिये था। उद्देश्य केवल उस एरियाज से कवर करता है, जहां पर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू है। लेकिन यहां पर इस बात की भी गुंजायश की गयी है कि जहां पर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू नहीं है वहां पर भी यह प्रभावकारी हो। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे सूबे में मालूम नहीं कितने प्रकार के भूमि सम्बन्धी कानून हैं और रहेंगे। अगर मैं यह कहूं कि इस वक्त भी भूमि सम्बन्धी कानून एक दर्जन के करीब हमारे सूबे भर में हैं तो गलत नहीं। पर वह हमारे वश में नहीं हैं कि हम उनको खत्म कर पायें। वहां पर भी जंगल रोकने की व्यवस्था की जाय, बहुत मुनासिब बात है, परन्तु हमेशा जो अपनी बात कही जाय वह स्पष्ट कही जाय। थोड़ा संकेत माननीय वन उपमन्त्री जी ने किया था तो मैं समझता हूं कि वह बात स्पष्ट हो कि सब के लिये हम ऐसा कानून बना रहे हैं और किस जगह पर क्या करने जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी विधेयक में है कि यह सरकार के इरादे के ऊपर है कि वह कहां—कहां जंगल नोटीफाई करेगी। जंगल की जो परिभाषा सरकार ने की है उसके रहते हुये सरकार को बहुत ज्यादा अख्तियारात इसमें हैं क्योंकि जंगल अब इसके अनुसार :—

" Forest includes any land covered by trees and shrubs ; and pasture lands. "

ऐसा ही नहीं कि जो जंगल पेड़ों से घिरा हो, बल्कि झाड़ियों से घिरा हुआ हो और उसके अलावा यदि पेड़ भी न हों और झाड़ी भी न हों, चरागाह हों, तो उसे भी जंगल कहा जा सकता है। यह परिभाषा पहिले की जंगल की परिभाषा से भिन्न है। ग्रोव की परिभाषा मुझे कुछ याद है कि बाग को तब बाग मानते हैं कि जब कि इतने उसमें दरख्त हो जायं कि उसके नीचे कोई फ़सल न पैदा की जा सकती हो, लेकिन यह परिभाषा यहां पर नहीं है। जंगल तो हम उसको कह देंगे कि जो पेड़ों से, नहीं तो झाड़ियों से, और दोनों से नहीं तो चरागाह ही हो।

"(a) the breaking up or clearing of the land for cultivation or any other purpose;"

जमीन को तोड़ना या साफ करना, खेती करना या और किसी काम के लिये रोका जा सकता है। घास-फूस लेने से भी रोका जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। इनमें कोई चीजें बाकी नहीं रह जातीं सिवाय जोती हुई जमीन के। मुझे जंगल मुहकमे से कुछ ज्यादा सरोकार तो नहीं है, क्योंकि हमारे जंगल में रहने वाले साथी तो और हैं, हम तो जंगल के किनारे रहते हैं और कभी-कभी जंगल के किनारे रहते—रहते थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। अब जंगल मुहकमा का कारोबार कुछ बढ़ रहा है, इसलिये कभी-कभी उनकी बात सुनने को मिलती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस बात की कोशिश की जाती है कि उन पर लगाम रहे, लेकिन मुहकमा जंगल के ऊपर जितनी लगाम होनी चाहिये उतनी लगाम नहीं है। इसलिये कि जंगल में जाय कौन ? सब जानते हैं कि जंगल में जाय तो पहले तैयारी करके जाय। फिर जायं तो किसी की मर्जी से ही जा सकते हैं। जंगलों की सड़कों पर प्रतिबन्ध है कि बिना उनकी मर्जी के उन पर जाना मुश्किल है। फिर उन्हीं की मर्जी से नहीं, अपनी जान की मोहब्बत के लिये भी बिना मर्जी के नहीं जाना चाहिये। किसी जंगल में चले जायं, पता नहीं किस जगह पर पहुंच जायं ?

[श्री गेंदा सिंह]

उसमें खतरा हो। इसलिये भी जरूरी होता है कि उनकी सलाह लें। परिस्थिति ऐसी है कि बिना अधिकारियों को बतलाये हुये जाना संभव नहीं। और जब इसी प्रकार का जाना संभव है तो उसका परिणाम भी उसके अनुसार ही हो सकता है। जो कुछ भी हो, परन्तु यह बड़ी भारी सम्पत्ति है देश की और जितनी निगरानी इसकी है उससे ज्यादा निगरानी होनी चाहिये।

साथ ही साथ मैं समझता हूं कि हमारे जो मवेशी चराने वाले, पत्ती और सूखी लकड़ी ले जाने वाले लोग हैं, उनको गुंजायश भी होनी चाहिये। जिससे वे अपना गुजारा कर सकें। लेकिन यह होता नहीं। इसका सेफगार्ड कुछ नहीं है इस विधेयक में। जहां एक तरफ हम जंगल को बचाने की कोशिश करते हैं वहां जंगल से फायदा उठाने वाले आदमियों के लिये भी हम कुछ गुंजायश करें। जंगल के जो हाकिम हैं हम चाहते हैं कि वे आदमियों के भी हाकिम बनें। बिल्कुल १६ आने वे जंगल के ही हाकिम न रहें। आदमियों के हाकिम होंगे तो कुछ आदमियों की बात भी समझेंगे, उनको तकलीफ और आराम को समझ कर ऐसा कानून बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह के रूल्स बनायगे, इस तरह का व्यवहार करेंगे ताकि यह कानून दुखदायी न हो। कानून और रूल्स तो यहां बनते हैं, लेकिन व्यवहार वहां होता है और वह व्यवहार आदमियों के साथ होने वाला है। वह व्यवहार लकड़ी की तरह न हो कर आदमी की तरह का व्यवहार होना चाहिये। जैसे पुलिस पर हम रोज देखते हैं कि कुछ न कुछ सवाल-जवाब और एडजर्नमेंट मोशन इस सदन में होते रहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी होते रहते हैं, लेकिन फारेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा है, जिस पर बहुत कम चर्चा होती है और बहुत कम चर्चा इसलिये होती है कि वह एक कोने में पड़ा है। अब जंगल बढ़ रहा है। मैं खुश हूं कि जंगल बढ़ रहा है और गांव में भी पहुंच रहा है। उसका गांव में पहुंचना आवश्यक भी है, क्योंकि हम तो बाढ़ के मारे हुए हैं। हमें तो घाघरा, सरयू, गंडक, राप्ती और गोमती यह सभी तबाह कर रही हैं, हर साल। और हमारे जो बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं उनका यह कहना है कि स्वायल इरोजन रोकने के लिये जंगल लगाना बड़ा जरूरी है। और बड़े-बड़े विद्वानों का यह मत है कि अगर जंगल बहुत हो जायं, तो बाढ़ आना भी कुछ हद तक रुक सकता है। हमारी तो इच्छा है कि जिस तरह से भी हो सके अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाये जायं। जंगल से पानी बरसने का भी संबंध है। जहां पेड़ रहते हैं वहां पानी बरसता है। इन सारी चीजों को देखते हुए जंगल की हिफाजत करने वालों में हम बनना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान में रखना चाहते हैं कि यह जो पावर्स ली जा रही हैं, उनका अगर कहीं दुरुपयोग हुआ, जैसा कि हम को खतरा है तो फिर हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर विचार करने के लिए जब सिद्धांत का कोई झगड़ा नहीं है, तफसील का झगड़ा है, तो मैं सोचता हूं कि इसको बहुत ही ठंडे दिल से हम लोग बैठ कर विचार कर लें, क्योंकि मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि यह विधेयक नामंजूर कर दिया जाय। मैं यह कहता नहीं हूं कि यह विधेयक अनावश्यक है। कुछ तफसील की ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में परिपाटी हमारे हाउस की यह रही है कि अगर यहां पर कोई संशोधन रखा जाय, तो उस ओर ऐसा लगता है कि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी में इस बात की गुंजायश रहती है कि अगर बात मुनासिब कुछ मालूम हुई तो कुछ मान ली जाती है। यह भी कुछ असल में उपाध्यक्ष महोदय, जो अध्यक्ष होता है उस सेलेक्ट कमेटी में उसके रुख पर निर्भर करता है। हमारे हाउस की असल में परिपाटी होना चाहिए कि आप को सेलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष होना चाहिये। लेकिन हमारे हाउस में आपकी मेहरबानी है कि आप नहीं, जो मिनिस्टर होता है उसको अध्यक्ष बना देते हैं। आखिर वही बिल का कर्ता-धर्ता होता है। फिर वह ही मक्षिका स्थाने मक्षिका रखने का हामी होता है। फिर भी कुछ डिग्री का अन्तर होता है। कोई-कोई मिनिस्टर कुछ डिग्री तक तैयार होते हैं सुनने को, कुछ ज्यादा डिग्री तक सुनते हैं। लेकिन कुछ मिनिस्टर साहबान ऐसे हैं, जो सेलेक्ट कमेटी में ले जाना अपनी शान के खिलाफ बात समझते हैं। इसलिए यहां जो कुछ बनाया है उसको और बिगाड़ कर ले जायंगे ताकि फिर कभी सेलेक्ट कमेटी में भेजने का नाम न लें। किसी-किसी मंत्री महोदय का यह रुख होता है। हमारा वित्त मंत्री जी के साथ अनुभव

नहीं है। इतने दिनों के बीच में कभी वित्त मंत्री जी के साथ बैठने का मौका नहीं हुआ। मैं उनके बारे में नहीं कहता, न वन उपमंत्री जी के साथ बैठने का मौका मिला है। लेकिन जिनके साथ मौका मिला है उनके संबंध में दो रायें मैं रखता हूं, जो दोनों राएं मैंने आपके सामने रखीं।

तो मैं ज्यादा वक्त न ले कर मेरी जितनी थोड़ी जानकारी थी उसके आधार पर मैंने निवेदन कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि सैद्धांतिक रूप से मैं इस विधेयक को स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ तफसील में इसकी जरूरत है कि इस तरह से इसकी बनावट हो, जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों को खुशहाली हो सके। हम जंगल भी बचा सकें, पेड़ों को भी बचा सकें। अन्त में मैं इतनी बात जरूर कह देना चाहता हूं कि इस बात की आवश्यकता जरूर है कि जो आज हरे पेड़ बहुत ही बेरहमी के साथ काटे जा रहे हैं उनको बचाया जाय। हमारे सूबे में जितनी भूमि में वन होना चाहिए उतनी भूमि में वन नहीं है। उतनी भूमि में वन होना चाहिए। इस अवसर पर मैं अपने राज्यपाल को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि यह वन का बिल है, और उनकी जो इस संबंध में कीर्ति है, उन्होंने वन लगाने की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया, वह प्रशंसनीय है, आज हम उनके कुछ विरोधी हैं। बहुत सी बातों में विरोधी हैं, परन्तु वन लगाने वाला एक ऐसा कार्य्य है, जिसकी मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। कोई समय आवेगा जब वह हमारे राज्यपाल नहीं रहेंगे। तो उस वक्त उनका हमारा जो विरोध है वह कम हो जायगा और यह एक काम जो है इसके हम जीवन भर प्रशंसक रहेंगे। उन्होंने अपने खाद्य मन्त्री की हैसियत से या राज्यपाल की हैसियत से वन-सप्ताह मनाने की बात की और उसमें चाहे जितनी त्रुटियां रहीं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उस तरफ सारे देश का ध्यान गया है कि दरख्त लगाने चाहियें। हमने भी अपने गांव में जा करके बरगद की बड़ी-बड़ी टहनी ऐसी जमीन में गड़वाई कि जिस पर कोई दरख्त नहीं लगाया जा सकता है। आज वे बढ़ रहे हैं और इससे लोगों को प्रेरणा मिली है, पेड़ लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है और पेड़ लगाने की प्रवृत्ति जितनी बढ़ायी जाय, जितने भी अधिक से अधिक लोग उस तरफ जायं, देश के हित की बात है। इतनी बातें कहते हुये मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। जितनी जल्दी हो सके उस पर विचार करके फिर सदन के सामने आ जाय, ताकि सरकार कोई परेशानी आर्डिनेन्स के समय के बाहर जाने की न हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को आपके सामने रखता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी तकरीर सुनी लीडर आफ़ दी अपोजीशन की, उन्होंने जो बातें कहीं हैं, मैं उनमें से किसी बात का जवाब देने के लिये नहीं खड़ा हुआ, बल्कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बाबत, जो उन्होंने फरमाया है सिर्फ उतनी बात के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और वह यह है कि दो बात तो उन्होंने खुद फरमायी हैं कि यह आर्डिनेन्स जो जारी हुआ है वह देर से हुआ और वह बात सही है। लेकिन देर से क्यों हुआ था अब उनको तो मैं तफसील से बयान करना नहीं चाहता हूं लेकिन इसके बनाने के लिये बहुत सोच विचार करने की जरूरत हुई और बहुत से कानूनी माहिरों की भी जरूरत हुई। तो उसमें कुछ वक्त लगा। अब यह बन कर हाउस के सामने आ गया है और आर्डिनेन्स को जो आर्डिनेन्स जारी हुआ है, उसको कानून बनने के लिये जितनी सिचुएशन कान्स्टीट्यूशन में है उसके अन्दर ही अन्दर इसको इस स्टेट का कानून हो जाना है। मगर उसमें भी थोड़ी दिक्कत है और वह यह है कि एक तो इस हाउस में पास होगा, और उसके बाद फिर अपर चेम्बर में जायगा। अपर चेम्बर की बैठक १९ तारीख से शुरू हो रही है। और जितना काम उसके पास यहां से होकर पहुंचेगा उस काम को वह करेगी। तो वह काम यकीनन ५-६ दिन के अन्दर वहां खत्म हो जायगा। उसके बाद बैठने के लिये और कोई काम बाकी नहीं होगा और फिर नया साल शुरू होगा। तो यह हाउस भी फिर आयेगा तो सन् १९५६ में आएगा और वह हाउस भी आयेगा तो १९५६ में आयेगा। इसलिये अगर हाउस की ख्वाहिश यह हो कि इस बिल के ऊपर एक सेलेक्ट कमेटी गौर करे, तो मैं सब हिसाब लगाकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसकी सूरत सिर्फ एक है और वह यह है कि वह सेलेक्ट कमेटी कल और परसों

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

इन दो दिनों में इसके ऊपर विचार कर लें और १९ तारीख को यह बिल फिर से यहां सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ इस हाउस में आ जाय और १९ को इसको पास कर दिया जाय यहां से, ताकि यह अपर चैम्बर में भी पास हो सके। तो मैं यह चाहता नहीं था। मेरे नजदीक इस किस्म की हालात थीं, जो मैंने अर्ज किये कि उससे मेरे दिमाग में क्या, शायद हर एक के दिमाग में यह ख्याल पैदा होता कि इसको इस हालत में सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाय। लेकिन मैं इन्कार नहीं करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में इसको भेजें हम। इसलिये मैंने यह सूरत पेश की है। अगर एवान को यह सूरत मन्जूर हो तो गवर्नमेंट को इसमें कोई एतराज नहीं है। परसों तक हो जायगा खत्म सेलेक्ट कमेटी में, सुबह को रिपोर्ट छपकर के आ जाय १९ तारीख को और उस दिन इस पर विचार करके शाम तक इसको खत्म कर दिया जाय।

*श्री भगवानसहाय—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि जंगल को काटने का सवाल है या अपने जंगल की उत्पत्ति को बचाने और वैज्ञानिक ढंग से उसका एक्सप्लायटेशन करने का प्रश्न है, वहां तक मैं समझता हूं कि इस सदन के अन्दर कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इससे इख्तलाफ कर सके। लेकिन जहां तक कि इसमें इस कार्यवाही करने के लिये राज्यपाल महोदय के आर्डिनेन्स का सवाल है वहां तक मैं समझता हूं कि यह सदन की बहुत बड़ी हकतलफी और गैर इंसाफी है। इस आर्डिनेन्स के लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस बैठे हुये थे और बैठने वाले थे। श्रीमन्, भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१३ के हिसाब से, जिसमें कि राज्यपाल महोदय को आर्डिनेन्स ईशू करने की ताकत दी है, उसमें साफ लिखा है :—

> " If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in Session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinance as the circumstances appear to him to require. "

श्रीमन्, जहां तक कि इसकी आवश्यकता का सवाल है वहां तक तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन यह सदन २५ तारीख को ऐडजर्न हुआ और लेजिस्लेटिव कौन्सिल २६ तारीख को ऐडजर्न हुई और उस दिन यह घोषणा हो गई कि ५ तारीख को लेजिस्लेटिव असेम्बली बैठेगी। तो फिर यह तीन दिन के लिये क्या आवश्यकता ऐसी थी जो आर्डिनेन्स ईशू करने की जरूरत पड़ी? बिल अहम था, बहुत अहम था और इसकी अहमियत के ऊपर जितना ही जोर डाला जाय, उतना ही थोड़ा है, लेकिन फिर जब यह काम एक कायदे के तरीके से, कान्स्टीट्यूशनल तरीके से हाउस को अपना के कराया जा सकता था, तब इस आर्डिनेन्स के लाने की क्या आवश्यकता थी, यह मेरी समझ में नहीं आया। अब सवाल, श्रीमन् यह है कि जैसा उद्देश्य में लिखा हुआ है और जसा कि वाकया भी है कि इस बिल को लाने की आवश्यकता यों पड़ी कि जमींदारी खत्म होने के बाद इस राज्य के अन्दर एक अहम समस्या पैदा हुई और वह यह हुई कि लोगों ने जंगल काटने शुरू किये। लेकिन वह समस्या पैदा क्यों हुई? जिस वक्त जमींदारी खत्म नहीं हुई थी जमींदारों ने कुछ किसानों को पट्टे दिये थे, जिसको देने के वह कानूनी तरीके से पूरी तरह से जायज थे। इन पट्टों के अन्दर जंगल की जमीन भी आती थी और वह ऐसी जमीन भी कहीं-कहीं आती थी जिसमें जंगल खड़ा हुआ है। तो फिर समस्या जो कुछ भी थी वह यह थी कि ऐसे १०-५ हजार या १५-२० हजार जो भी काश्तकार थे, उनके मामले इस तीन साल के अन्दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तय कर देते तो इस कानून के लाने की जरूरत नहीं थी, और न इन एरियाज को लेने की जरूरत थी। क्योंकि समस्या जो विशेषकर पैदा हुई वह इन पट्टों की वजह से हुई, लेकिन उनके मसले आज भी तय नहीं हुये। श्रीमन्, लुत्फ की बात तो यह है कि ऐसे-ऐसे भी केसेज हैं, और काफी हैं कि जिन में जंगल के विभाग ने उन लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट साल ब साल उनसे लगान लेता है। तो मैं माननीय गेंदासिंह जी ने जो कहा उनसे जानना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल की, व्यक्तिगत आदमी की हकतलफी करना यह कहां तक जा है? समाज के हक की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन समाज भी मनुष्य से बनता है और व्यक्ति के हक की भी रक्षा करना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जब इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कही है, और अगर यह मसला तय हो जाय तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे बहुत से मसले हैं कि जिनके ऊपर वह रोशनी डालें। अगर कोई व्यक्तिगत आदमी बेईमानी या हकतलफी करे तो वह तो एक दफा क्षम्य हो सकता है, माफ हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेविल पर हकतलफी हो तो उसकी माफी नहीं है। गवर्नमेंट को सबके हक की हिफाजत करनी है। मान लीजिये कि ५० लाख या दो करोड़ रुपया आपको कम्पेन्सेशन उन लोगों को देना पड़े जिनके पट्टे हैं और कानूनी तौर से हैं, फर्क इतना है कि आप कानून बना देंगे, लेकिन हर एक आदमी हाईकोर्ट के पास अप्लीकेशन मूव करने के लिये नहीं जा सकता है। यह तो उसकी ताकत के ऊपर है। लेकिन जो आदमी जा सकेंगे रिट अप्लीकेशन लेकर उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो मैं फिर माननीय मन्त्री जी से विशेष तरीके से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मसले पर गौर करें और अगर इस मसले पर गौर करते हैं और इस समस्या को हल करते हैं तो इस कानून की आवश्यकता नहीं है, पुराने कानून में हर एक चीज कवर हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं इस्तदुआ करूंगा कि वह इसको इस तरीके से देखें।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरीगढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय गेंदासिंह का है कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करता हूं। जो इस बिल के उद्देश्य में दिया हुआ है अगर वही बात इस विधेयक में रखी जाती, तो इसमें प्रवर समिति में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका उद्देश्य जो मैंने पढ़ा है उसका सिर्फ यही अर्थ है कि जहां जमींदारी उन्मूलन हुआ उन एरियाज में पेड़ काटे गये हैं और अधिक मात्रा में काटे गये हैं, क्योंकि लोगों ने पट्टे द्वारा जमीन या जंगल ले रखे हैं। जहां तक इन पड़ों के काटने को रोकने का सम्बन्ध है, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। लेकिन जैसा कि उद्देश्य में दिया हुआ है और जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि लोगों में सन्देह है इस विधेयक से और मैं चाहता था कि माननीय मन्त्री जी उन सन्देहों को दूर करते, लेकिन उन्होंने कोई शंका जो हम लोगों की है, वह दूर नहीं की। उन्होंने यह कहा कि कानून सिर्फ उन्हीं एरियाज के लिये बनाया जा रहा है जहां कि जमींदारी उन्मूलन हुआ है, लेकिन कानून बनता सारे प्रदेश के लिये है। मैं यह बात नहीं समझ सका। पहली बात तो मैं यह नहीं समझ सका कि जब आपका प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट लागू है तो क्या यह समस्या उससे कन्ट्रोल नहीं की जा सकती है? मैंने प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट और जो प्रस्तुत विधेयक है इन दोनों के एक्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स को पढ़ा है। मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो पुराने ऐक्ट से कवर न होती हो। क्या प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के मातहत नोटिफ़िकेशन करके इलिसिट फ़ेलिंग को नहीं रोका जा सकता है?

दूसरी बात जो उन्होंने यह कही कि ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि किसी क्षेत्र को छोड़ दें तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट की धारा २ में साफ लिखा हुआ है कि किन-किन स्थानों में यह लागू नहीं होगा। तो क्या इसी तरह से इस विधेयक में वे यह स्पष्ट नहीं कह सकते थे कि यह विधेयक जमींदारी उन्मूलन क्षेत्रों में लागू होगा? यदि ऐसा कहते कि यह विधेयक उन क्षेत्रों में, जहां यह परिस्थिति नहीं है, जैसे कि हमारे

[श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट]

पर्वतीय इलाकों में जहां कि जमींदारी उन्मूलन हुआ ही नहीं है और जहां पंचायतों के अपने फारेस्ट्स हैं, जहां लोगों के अपने खेतों म फीडर और फ्रूट ट्रीज ह और उनको ग्रो करते हैं वहां नहीं लागू होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, किन्तु इस विधेयक से यह साफ जाहिर है कि एक तरह से गुप्त हथियार यह सरकार अपने पास रखना चाहती है। मैंने इंडियन फारेस्ट ऐक्ट को भी देखा, उसमें फ़ारेस्ट की परिभाषा नहीं है। प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट में जो परिभाषा दी है उसमें सिर्फ इतना ही ह कि जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि फारेस्ट है वह फारेस्ट हो गया। इस विधेयक में उन्होंने फारेस्ट की परिभाषा को और व्यापक कर दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है :—

"Forest" includes—

(i) any land covered by trees and shrubs; and

(ii) pasture lands.

तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तो खेतों में झाड़ियां उगा ही करती हैं, क्योंकि वहां एक फ़सल काटने के बाद लोग परती छोड़ देते हैं। तो ६ महीने में झाड़ी उग आती है। फिर उसको किसान काटता है, तब आबाद करता है। तो इस परिभाषा के मुताबिक तो वहां के आबाद खेत भी इसमें आ जायेंगे। इसलिये इस परिभाषा से हम लोगों को शंका और सन्देह हैं।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में जो "claimant" की परिभाषा दी गयी है वह यहां तक तो ठीक है।

"Claimant" as respects any land means a person claiming to be entitled to the land or any interest therein acquired, owned, settled or possessed or purported to have been acquired, owned, settled or possessed whether under, through or by any lease or licence executed prior to the commencement of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950,

लेकिन इसमें जो यह लिखा है :.....

".....or under and in accordance with any provision of any enactment, including the said Act :"

इससे इसको अधिक व्यापक बनाया गया और लोगों के पुराने हकूक, जो पुराने कानून के मातहत थे, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि वह सब खत्म कर दिया है। माननीय मन्त्री जी ने अपने मुंह से अपने भाषण में स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं है, उद्देश्य में भी नहीं दिखता। हम चाहते थे कि जो इरादा है वह बिल में आना चाहिय, क्योंकि कानून जब बनता है उसका इन्टरप्रिटीशन मन्त्री जी द्वारा नहीं होगा, लेकिन जो कानून के शब्द होंगे उससे होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि इन खामियों को दूर करने के लिये जो गेंदासिंह जी का सुझाव है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। इसके उद्देश्यों से सहमत होते हुये भी इसको कमी को दूर कर दिया जाय। हमारे पर्वतीय इलाकों में जमींदारी उन्मूलन का सवाल नहीं है, लेकिन इस कानून का असर पड़ेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि जो लोगों को शक है, अन्देशा है वह दूर कर दिया जाय और जो सरकार का उद्देश्य तथा मंशा है वह बिल्कुल क्लीयर इस विधेयक में आना चाहिये।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वन मन्त्री महोदय ने सदन के समक्ष जो फ़ारेस्ट बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस किस्म का बिल सदन के समक्ष इससे बहुत पहले आ जाना चाहिये था, क्योंकि जहां तक भूमि के संरक्षण का प्रश्न है और जंगलों के संरक्षण का प्रश्न है, जमींदारी एबालिशन के बाद अपने प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों में वनों का ह्रास हुआ है और व्यक्तिगत सम्पत्तियों के मालिकों ने अपने वनों को बरबाद किया है, इससे

सदन का कोई माननीय सदस्य न होगा जो इससे परिचित न हो। सरकार स्वयं भी इस बात से भलीभांति परिचित है कि हमारे इन वनों का, इन दिनों में ही नहीं, बल्कि एक हजार, दो हजार वर्ष से देखते हैं कि हमारे वनों का विनाश होता चला जा रहा है! यद्यपि हम तीन, साढ़े तीन हजार वर्ष का इतिहास देखें और मुकाबिला करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दो सौ, ढाई सौ वर्षों में ह्रास हुआ है हमारे वनों का, वह इससे पूर्व नहीं हुआ है। हमने सभ्यता के तकाजे के नाम पर, जागृति के नाम पर और प्रगति के नाम पर, चीजों के निर्माण के नाम पर, सड़कों के नाम पर, रेलों पटरियों तथा मकानों के निर्माण के नाम पर, वनों का ह्रास किया है। यों तो अब स्थिति यह है कि यदि अभी वनों का ह्रास नहीं रुकेगा तो देश को भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा और हमारे यहां की भूमि बरबाद हो जायगी।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी भूमि का २५ प्रतिशत रकबा वनों में होना चाहिये था, लेकिन आज अपने प्रदेश में समस्त भूमि का केवल १५ प्रतिशत ही वनों के अन्तर्गत है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि सरकार कोई ऐसा बिल लाती जिसमें इन क्षेत्रों में ही नहीं जहां कि वन लगे हैं या वन घोषित किये गये हैं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी जहां कि वन नहीं हैं और जहां पर ९९ प्रतिशत भूमि वनों से शून्य हो गई है और ग्रामों में भी वन लगाने का काम होना चाहिये था। मैं इस बिल का और भी अधिक स्वागत करता यदि ऐसी व्यवस्था होती कि हमारे गांवों में विलेज फारेस्ट या ग्राम वन लगाने की व्यवस्था की जाती। लेकिन स्थिति यह है कि वन मन्त्री महोदय ने केवल उन क्षेत्रों को संरक्षण देने का प्रयत्न किया है, जिसमें वन लगे हुये हैं और जिनका ह्रास हो रहा है। मैं वन मन्त्री महोदय का ध्यान ग्रामों की व्यवस्था की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं।

गांव के अन्दर सबसे प्रमुख समस्या जो जंगलात के न होने से है वह यह है कि वहां लोगों को जलाने के लिये ईंधन नहीं मिल रहा है। आज ग्रामों के अन्दर यह समस्या मौजूद है कि उन लोगों को अपने हलों के लिये लकड़ी और अपने मकान बनाने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लकड़ी नहीं नसीब हो रही है। परिणाम यह हो रहा है कि जो कुछ वृक्ष गांवों में टूटे-फूटे बाकी हैं और जिनके लिये सरकार ने यह किया था कि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी इनकी देख-भाल करेगी, इनकी व्यवस्था करेगी। तो वहां उस व्यवस्था के बजाय उनका तेजी से ह्रास होता चला जा रहा है और मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम एक तरफ़ देखते हैं कि सरकार वन-महोत्सव के ऊपर अपनी तमाम सरकारी मशीनरी और जनता को इस बात के लिये तैयार करना चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वन लगायें, अपने देश में, ग्रामों में, सड़कों पर और दूसरी जगह अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगायें। उसके साथ ही दूसरी तरफ़ हम एक यह चीज देखते हैं जो कि हालांकि वन विभाग के क्षेत्र के बाहर है, लेकिन मैं उसे इस समय कहना चाहता हूं कि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी को सरकार ने जो इस समय सत्ता दी है उससे जहां उसे उत्साह (मिशनैरी जील) के साथ आगे बढ़ना चाहिये था, उसकी जगह उसने सब मटियामेट कर दिया है। वह सत्ता यह है कि सरकार ने अभी से दो साल पहले तक ग्राम सभाओं को यह अधिकार नहीं दिया था कि वे अपने ग्राम के वृक्षों को कटवा सकें। पहले पेड़ों को कटवाने का अधिकार वन अधिकारियों के हाथ में सुरक्षित था और उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले ५ वर्षों में ग्रामों के अन्दर जो पुराने बगीचे थे, जंगलात थे, पेड़ थे, उनको काफी सुरक्षित किया गया। लेकिन इस पिछले एक साल के अन्दर सरकार ने कुछ ऐसे मौलिक, भयानक और खतरनाक कदम उठाये हैं कि जिनकी वजह से जो सुरक्षा हुई थी पेड़ों की ५ सालों में वह सब खत्म हो गई! उसने ग्राम समाजों को यह सत्ता दे दी कि ढाई एकड़ के बगीचे वह अपनी स्वेच्छा से कटवा सकते हैं। परिणाम क्या हुआ यह मन्त्री महोदय जानते हैं और सदन के सभी सदस्य जानते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों के बगीचे थे और जिन लोगों के बाग जमींदारी एबालिशन के बाद सुरक्षित रह गये थे और जो अपने बगीचों को उस समय नहीं बेच सकते थे, उन सब ने अपने बगीचे के पेड़ों को कटवा कर बेच दिया और चौपट कर दिया। उनका रुपया उन्होंने वसूल किया और आज वह जमीन बन्जर पड़ी हुई है। चाहिये तो यह था कि सरकार सब जगह एक ऐसी

[श्री शिवकुमार शर्मा]

नीति अख्तियार करती, चाहे वह फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट के अन्डर में होता या लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के अन्डर कि जितने वृक्षों को वह लगा लें उतने ही वृक्ष काटें। अंग्रेजों ने जो यह वन-संरक्षण का कार्य किया है उसके लिये हम उन्हें दाद नहीं दे सकते, क्योंकि जो वनों की पालिसी गाइड होती थी वह सेक्रेटरी आफ स्टेट के द्वारा होती थी और उन्हीं के आदेशों को तमाम प्रांतों में पालन किया जाता था। सब से बड़ा अधिनियम बिल, जो वनों के संरक्षण के लिये बनाया गया था वह यह था कि वनों की सीमाओं को निर्धारित किया जाय कि जिसके बाद जो कन्जरवेटर आफ़ फ़ारेस्ट हो वह उन क्षेत्रों का मालिक बना दिया जाय और वह अपनी स्कीमों के अनुसार उन वनों को संरक्षण दे। लेकिन जो वाकई कदम होना चाहिये था कि उन वनों के कटवाने का किस तरह से इन्तजाम किया जाय वह सरकार ने आज तक नहीं उठाया! और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारी सरकार इस सिद्धांत को नहीं अपना सकी है कि केवल उतने ही वृक्ष काटने की वह आज्ञा दे, जितने कि वह लगा दे। यदि एक लाख वृक्ष कटते हैं तो पहले काटने वाले एक लाख वृक्ष खड़े कर दें और अधिकारी देख लें कि अगर उन नये एक लाख वृक्षों ने अपना स्थान ले लिया है, तो उन पुराने वृक्षों को काटने दें। अगर उनकी जगह उतने ही वृक्ष नहीं लगते तो मैं नहीं समझता कि वनों का संरक्षण कैसे होगा, जबकि हमारे देश में परिस्थिति यह है कि २५ प्रतिशत भी वनों का क्षेत्र नहीं है? वन केवल १५,१६ प्रतिशत क्षेत्र में है, तो कैसे इनका संरक्षण किया जायगा, कैसे भूमि को इरोजन से रोका जायगा, कैसे भूमि विनाश से देश को बचाया जायगा और कैसे पेड़ों से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिये हम उनकी तादाद बढ़ा सकेंगे? इन सब बातों पर सोचने के बाद हम बड़े सन्देह में पड़ जाते हैं।

मैं इस चीज का अधिक जिक्र न कर एक निवेदन करना चहता हूं। मैं श्री गेंदासिंह जी के सुझाव से जो थोड़ा-थोड़ा सहमत होता जा रहा था वह केवल इस कारण कि मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करता कि वह इस बिल का कम से कम कुछ और विस्तार करें। उसे ग्राम लेविल पर लाने का प्रत्यन करें। अभी जो ग्राम-समाजें हैं इन ग्राम समाजों को इस बिल के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न नहीं किया गया है, क्योंकि इसके अन्दर आप यह देखेंगे कि वहां पर फारेस्ट क्लेमेंट की परिभाषा दी गयी है और उस परिभाषा के अन्दर केवल वही व्यक्तिगत सम्पत्ति के मालिक और वन के मालिक आते हैं जिनके हाथ में आज तक बन रहे हैं। लेकिन वह ग्राम समाजें जो थीं वह बिल्कुल अलग हैं, वहां पर विलेज फ़ारेस्ट लगाने के लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। बहुत सी ग्राम-समाजों के अन्दर हम देखते हैं कि वहां पर रकबा वन विभाग ने ले लिया है। लेकिन वह उन क्षेत्रों तक ही वन विभाग सीमित है लेकिन ऐसे स्थानों पर जहां पर काफी जमीन ऐसी पड़ी हुई है, जहां पर बहुत से चरागाह खाली पड़े हुये हैं, किन्तु वह चरागाह की जमीन लोगों के कब्ज में है। वह इसलिये कि चूंकि वह कब्जे में है उनके संरक्षण की बात नहीं हुई है। यदि वह चरागाहें इसके अन्दर लिये जाते तो यह काम वन विभाग जमीन की आवश्यकता के बारे में गांवों के लिये पूरी करने में सहायक हो सकता था। इसलिये आवश्यक है कि इस बिल का अधिक विस्तार करें। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है इस सदन का प्रत्यक सदस्य वास्तव में इसका स्वागत करेगा और हमें अपने देश के लिये अधिक मौलिक कदम अपने वनों के संरक्षण देने के लिये उठाने चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---श्रीमन्, आज यह महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने उपस्थित है। इस वन विभाग की तरफ सरकार ने ४ वर्ष के बाद ध्यान दिया है। आज इस प्रान्त के अन्दर जो नंगा नाच हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। सारे जंगल काटे जा रहे हैं! उसी का यह प्रतिफल है कि पूर्वी जिले के लोग बाढ़ से परेशान हुये और पश्चिमी जिलों के लोग बाढ़ से परेशान हुये। आज हमारे देश में बाढ़ का प्रकोप है उसका एकमात्र कारण यही जंगल काटना है। मैं आपकी इजाजत से यह भी कहना चाहता हूं कि विशाल हिमालय हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। उसके अन्दर बहुत से

जंगल हैं, लेकिन नैपाल के इलाके में भारी संख्या में जंगल काटे जा रहे हैं। उसके कारण राप्ती नदी में बाढ़ आयी। उसको रोकने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। वह एक दम पार करके मैदान में आ जाती है। उसका फल यह हुआ कि इस वर्ष जो घरों का और सामान का हिसाब लगाया गया तो इन १६ जिलों में करीब १०० करोड़ की हानि हुई है! वहां पर १५ करोड़ के तो केवल मकान ही गिर गये हैं जिसकी वजह से इतनी हानि हुई जो हमारे देश की ही हानि है। आज हमारे जंगल काटे जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना, कुआं खुदवाना पवित्र कार्य माने जाते हैं। उसी कारण से हमारा हिंदू धर्म आज शाश्वत धर्म रहा है। तो मान्यवर हमारे देश में आम की बड़ी प्रतिष्ठा थी। "आम्रा वसन्त पुष्पन्ति", आम वसन्त में पुष्पित होता है। उसका रहस्य हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे देश में, जहां-जहां पर आम के वृक्ष हैं, माना गया है। इतना ही नहीं यदि आम के बौर को पहली बार देख लिया जाय और हाथ पर रगड़ दिया जाय तो उसका तुरन्त असर होता है और सांप और बिच्छू का जहर तुरन्त उतर जाता है।

इतना बड़ा प्रभाव हमारे इन वृक्षों में है। इसलिये मैं अपने वन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने बड़ा सुन्दर किया और इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की बदौलत करोड़ों रुपये की बचत होगी। लेकिन मैं अधिकारी वर्ग की शिकायत करूंगा कि वे एक इंच भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे वन-वनोत्सव के नाम पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और आगरा जिला म रेगिस्तान बढ़ता ही चला जा रहा है! मैं अधिकारीवर्ग को सचेत कर देना चहता हूं कि वहां पर वनों के न रहने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। आबादी के अनुपात से बनों का होना बड़ा आवश्यक है। अगर वन काफी होते हैं तो वहां वर्षा भी काफी होती है, पैदावार अच्छी होती है, जलवायु अच्छी रहती है, तरी रहती है और पानी का बहाव भी धीरे-धीरे होता है। गंगा का मैदान इसके लिये प्रमाण रहा है। संसार के महान् आक्रमणकारियों ने जब-जब आक्रमण किया तब-तब गंगा के मैदान में ही किया। दक्षिण में तो औरंगजेब भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन गंगा के मैदान में सब लोग आते थे। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनको जंगलों की रक्षा के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिये। हमारे जिले में जो जंगलों की कटाई हुई है उसकी वजह से बहुत सी सफेद टोपी लाल हो गयीं, यह मेरे आंखों देखी बात है। आज हमारे यहां इतने जंगल काटे गये हैं कि गायों और भैंसों को चरने के लिये जगह नहीं है। मैं सरकार से कहता हूं कि जो लोग जंगल काट रहे हैं वे देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, देश की पीठ में छुरी मार रहे हैं। बिलहर के इलाके में जो वन रक्खा गया है उसकी रक्षा मजबूती के साथ होनी चाहिये। यह बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, यह दिल के दर्द की बात कह रहा हूं। वनों से आज हरिजनों को क्या सुख है, हमको जलाने के लिये लकड़ी भी नहीं मिलती, झोपड़ियों को छाने के लिये घास भी नहीं मिल पाती है। आज जब से वन गांव समाजों को सौंप दिये गये हैं तब से लठबन्द लोगों से कुछ नहीं मिल पाता है। पहले तो मिल भी जाता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं मिलता है। हमको खुशी नहीं है। पहले जब जमींदारों के हाथ में जंगल थे तो उनसे और राजा महाराजाओं से हमें हक हकूक की कुछ लकड़ी अवश्य मिल जाती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिलता। रामेश्वर लाल जी परेशान न हों, उनके जिले में भी नंगा नाच हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, लेकिन आपने कभी वहां उसको रोकने के लिये पिकेटिंग नहीं किया! माननीय गेंदासिंह ने इस विषय में दो-चार बातें कहीं लेकिन उन्होंने गोल-मोल कहा। मैं उनका समर्थन करता हूं कि जंगल कट रहे हैं और सरकार को इसको रोकने के लिये कीन इन्टरेस्ट लेना चाहिये और उसको रोकने के लिये सख्त कदम उठाना चाहिये, जिससे हमारे जंगलों की रक्षा हो। इससे केवल हमारा ही लाभ नहीं होगा बल्कि सरकार का भी लाभ होगा क्योंकि उनसे उसको रेवेन्यू और लीसा आदि मिलता है। तमाम लकड़ी स्पोर्ट्स के सामान और फरनीचर के काम में आती है। यह मेज, कुर्सी, डेस्क और बढ़िया-बढ़िया देवदार और शीशम वहीं होता है, यह सब चीजें वन से ही हमें प्राप्त होती हैं। हम क्यों जर्मनी से बढ़िया बढ़िया डिब्बे मंगावें, और जब हमारे यहां सुन्दर

[श्री शिवनारायण]

शीशम, देवदार और सागौन पैदा होता है और हमारे देश की जंगल जो महान सम्पत्ति है उससे सरकार लोगों को खेल न करने दे। उसको उनकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये और उनसे सरकार का और जनता का सभी का हित है। गौओं को चराने का भी लाभ उनसे हो सकता है, हम लोग बाढ़ के जमाने में जिलाधीशों को घेरते हैं कि चरने के लिये जमीन बताइये या भूसा दीजिये। अगर जंगल काफी हों तो वह आसानी से कह सकते हैं कि फलां जगह जाकर ऐसे समय में गौ चरा लो, गर्मी में धूल उड़ती है, कहीं एक तिनका भी चरने को नहीं मिलता, यह हालात हो गई है, ऐसी दशा में जंगल का होना बहुत जरूरी है, यहां तक कि पत्तल, जो दावत में काम आती है उनके लिये पत्ता तक जंगल से अब नहीं मिलता, उस पर भी प्रतिबन्ध हो गया है। मैं डरता हूं कि गांव पंचायतें जो बन रही हैं उनको सलाम करो अगर उनसे कोई लाभ नहीं है। मैंने आज ही पढ़ा कि उनके चुनाव में ढेले-ईंटे चल रहे हैं, वहां बड़ी ही गन्दगी है। मैं मन्त्री जी से कहता हूं कि वह जाकर गांव पंचायतों को देखें.....पांडे जी क्यों परेशान हैं? मैं कहता हूं कि उनके यहां भी यही हाल होगा, बिलहर में भी जो कुछ हो रहा है उसकी ओपेन इन्क्वायरी होनी चाहिये। यहां मेरा अधिकार कहने का है, सबको सुनना चाहिये और सरकार को हमारे एक एक शब्द पर अमल करना चाहिये। हंसी-मजाक का मौका नहीं है, सही बात है प्रैक्टिकली यह देखने में आता है। मैं सच कहता हूं कि जंगल कट जाने से बड़ी हानि हो रही है। गोरखपुर हमारे पड़ोस में है बराबर पूछा गया कि वहां के जंगल क्यों काटे जा रहे हैं, वहां भी राप्ती नंगा नाच दिखा रही है, मालूम होता है कि वहां समुद्र हो रहा है। ऐसा दृश्य हो जाता है, मकान-घर-जमीन कुछ दिखाई नहीं देती, पानी ही पानी हो जाता है और छोटी-छोटी झाड़ियां पानी के नीचे हो जाती हैं। मान्यवर, वन विभाग तो बहुत पवित्र विभाग है और मंत्री जी को इस सुन्दर बिल लाने पर बधाई देता हूं। कबीर ने कहा है कि --

"जब से चेतो तब से सही,
बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले।"

आगे से ही यदि सरकार जंगल की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाय, तो जंगल की अवश्य रक्षा होगी। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि इस बिल को प्रवर-समिति में भेजा जाय लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक छोटा सा बिल है, इसको वहां भेजने की जरूरत नहीं है। दो-चार संशोधन यहीं आ जायं और यहीं उन पर थोड़ा सा डिसकशन कर के ठीक कर लिया जाय। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न चार वर्षों के बाद तो आया उसके लिये कहा जाय कि प्रवर समिति को भेज दो! असेम्बली उठ जायगी तो मार्च तक वैसे टल जायगा। तो इस प्रकार पांच छः महीने के लिये इस बिल को टालना अनुचित है। मैं इसलिये प्रवर-समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वन विभाग द्वारा जो रुपया खर्च हो रहा है उसको बजाय सड़क बनवाने में या बन लगाने में, यदि वनों की निगरानी करने में खर्च किया जाय तो स्वयंमेव बन तैयार हो जायेंगे। जैसा मैंने कहा कि गनेशपुर का इलाका बाबू साहब का है उन्होंने सब पेड़ कटवा दिये। बेचारे कहां के गरीब मजदूर दो आने में एक गट्ठर खरीद कर ले आते थे और बस्ती में एक रुपया पा जाते थे, लेकिन उससे भी उनको वंचित कर दिया गया?

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--अब खत्म करिये।

श्री शिवनारायण--राजा साहब इसलिये परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन जैसे बड़े लोगों का नुकसान हो रहा है।

राजा वीरेन्द्रशाह--आप नाम ले लेकर मेरा, श्रीमन् कह रहे हैं।

श्री शिवनारायण--मैंने नाम लेकर नहीं कहा। यहां कितने ही राजा हैं, मालूम नहीं कितने राजा हैं, मदनमोहन जी राजा हैं। लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं पालिया-

मेंटरी पद्धति को जानता हूं। इस राज्य में हरिसिंह से लेकर बड़े से बड़ा, महान से महान आदमी भी राजा है, सब राजा हैं, पूरी जनता राजा है, सब मेम्बर्स राजा हैं।

एक सदस्य--विधेयक पर बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य विधेयक पर बोलने की कृपा करें। इधर-उधर की बातें न करें।

श्री शिवनारायण--वन विभाग के विषय में कह रहा हूं, श्रीमन्। हमें लकड़ी नहीं मिलती, कोल्हू बनाने के लिये, हेंगा बनाने के लिये, पटेला बनाने के लिये, जमीन को समतल बनाने के लिये उसकी आवश्यकता है। लेकिन कितने राजाबहादुर मिल जाते हैं और जंगल कटवाते रहते हैं। "आदि-अन्त को जोड़िये तो सतवन्ती होय", मतलब यह है कि जीवन से लेकर मरण तक अन्तिम समय में भी लकड़ी ही हमारी मदद करती है। आज जमाना कह रहा है पेड़ लगाओ साथियो, पेड़ लगाओ साथियो। लेकिन इधर काटनेवाले भी जोरों से उसको काटते जा रहे हैं। जो भोले-भाले किसान हैं, हमारे घरों की बेपढ़ी-लिखी बहुयें हैं वह लकड़ी न मिलने के कारण गोबर का जो खाद हो सकता था, उसको जला कर खाक कर देती हैं। हमको एग्री-कल्चर में पढ़ाया गया था कि सबसे उत्तम खाद गोबर की होती है, लेकिन उसको भी वह जला डालती हैं। लकड़ी होगी तो गोबर बचेगा। उससे खाद उत्पन्न होगी, जिससे ग्रो मोर फूड कम्पेन हल होगा और लाखों-करोड़ों रुपये, जो अमेरिका और ब्रिटेन को भेजते हैं वे बचेंगे। मान्यवर, आज यह मामूली सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं है। यह वह विषय है जिस पर चार घंटे बोला जा सकता है। मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि गोबर का आज दुरुपयोग होता है, जिससे खाद की समस्या हल नहीं होती। आप गांव में जाइये, आप देखियेगा कि सारे पेड़ काट दिये गये। पेड़ लगाये चमार ने और काट दिये ठाकुर साहब ने। मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर को लिखा। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे इलाके में एक बढ़ई है, उसने बाग लगाया, लेकिन उसके दरवाजे पर के पेड़ जबरदस्ती काटे जा रहे हैं! मान्यवर, कटहल हम लगाते हैं लेकिन फल उसका हमको नहीं मिलता। महुआ हम लगाते हैं, लेकिन फल दूसरे खा जाते हैं। मैं वन विभाग के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि वे भी सतर्क रहें। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि भाखरा नांगल डेम पर क्रुश्चेव जी ने हमारे इंजीनियर से कहा कि बिना दूसरे की सहायता लिये तुम दूसरा ऐसा ही डेम बना सकते हो? तो उसने कहा एस सर। तो ऐसे हैं हमारे देश के इंजीनियर। आज जो आने वाली हमारी संतानें हैं उनको देश को उठाना है। आज लाखों नौजवानों को गांवों में जाना चाहिये। लेकिन दुःख है कि हमारे डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन जो झा साहब थे उनका कहना था कि ७५ रु० पर ग्रेजुएट यहां रहने को तो तैयार रहते थे, लेकिन १२० रु० पर देहात में जाना पसन्द नहीं करते थे। आज हमें देश के नौजवानों को जगाना है। मुझे पत्रकारों से निवेदन करना है कि मेरे शब्द देश के कोने-कोने में पहुंचाने की आवश्यकता है। गांव का जो नग्न चित्र है उसको आपके सामने रखने की आज आवश्यकता है। मैंने अपनी कांस्टीट्युएन्सी में लोगों को जंगल कटवाने से रोका, हालांकि उन्होंने इनडाइरेक्ट हिट किया मुझ पर। मेरे साथ वे भाई भी मार्च करते थे जो लाल टोपी पहनते हैं। बाढ़ के जमाने में भी मैंने कम्युनिस्ट, पी० एस० पी० वालों को अपने साथ लिया और ग़रीबों के लिये चना लदवाया। इस सारी मुसीबत को दूर करने का एकमात्र उपाय वन विभाग है। अगर वन विभाग जंगलों की रक्षा करे तो बाढ़ों का प्रकोप खत्म हो सकता है। अगर ५० करोड़ रुपये खर्च कर घाघरा नदी पर एक डेम बनवा दिया जाय, तो बाढ़ मे जो हर साल वहां तबाही होती है उससे हम लोग बच जायं। वन विभाग के लोग कान खोल कर सुनें, मैं उनसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोई सरकार के सामने कटु आलोचना के नाते कोई बात नहीं कह रहा हूं। यह सरकार की आलोचना नहीं है। यह मेरा कर्त्तव्य है कि सही-सही नक़शा मैं सरकार और हाउस के सामने रख दूं। हमारे वन मंत्री या हाफिज जी को हर गांव में पहुंचने का मौक़ा नहीं मिलता। हम उनके नुमाइन्दे हैं।

[श्री शिवनारायण]

म उनकी बात यहां रख सकते हैं। मजदूरों को बड़ी जीविका मिलती थी मान्यवर---मजदूर बेचारा जंगल से लकड़ी काटता था, उससे कोयला बनाता था, सुन्दर-सुन्दर चीजें बनाता था और शहरों में ले जाता था। उससे उसके बच्चे पलते थे। आज सारे वन काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काट दिया और मालिक ने पैसा अपनी जेब में रख लिया और वह पैसा होटलों में कटता है। एक बादशाह ने अपने माली से पूछा कि यह पेड़ क्यों लगा रहे हो। उसने जवाब दिया कि इसका फल मेरा बेटा खावेगा। मैं पूछता हूं कि आज वह विचारधारा कहां है? उस विचारधारा को लाने की जरूरत है। इस आवाज को देश के कोने-कोने में पहुंचाइए। बन तभी होंगे जब वन विभाग इस देश में फलेगा-फूलेगा। मैं कहता हूं कि उन भूखे लोगों की जो क्षुधा है वह तृप्त होगी, वन विभाग से। एक बार अगर आम की फसल आ गयी तो चार महीने का गुजारा हो जाता है। गत वर्ष हमारे जिले में जहां जहां पर आम की फसल आ गयी वहां चार महीने तक उन्होंने, जो कि भूखे चमार, कोरी, पासी थे, जिनके पास पेड़ नहीं थे उन्होंने भी आम खाये। दो पैसे में इतने आम मिलते थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह विषय आसान नहीं है। यह मजाक की बात नहीं है। जो आनरेबिल मेम्बर किसी मेम्बर को मजाक करने की कोशिश करते हैं मैं कहूंगा कि आत्मा का बेचना है। वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठात्री, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुई।)

मैं अपने कर्त्तव्य का सही नक्शा हाउस के सामने रखना चाहता हूं। चेयरमैन महोदय, मैं आपके जरिये से घरों की जो दशा है, हमारी मां-बहनों के ऊपर जो दिक्कतें होती हैं, भोजन पकाने में जो तकलीफें होती हैं, पिछली छुट्टियों में जब मैं घर गया, तो मेरी स्त्री ने बड़ी शिकायत की कि लकड़ी नहीं है। मैंने कहा कि घबराइये नहीं हम कहीं न कहीं से कुछ इंतजाम करेंगे। तो पांच कोस से एक गाड़ी लकड़ी मंगवायी, खाना पकाने के लिए। तो कितनी दिक्कतें हैं। वह फरमा रहे हैं कि हम समझ चुके। आप समझ चुके होते तो ऐसी बात न करते। मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय है। जिन ऋषियों ने वनों में तपस्या की थी, आज उन तपोवनों को मैं देखना चाहता हूं। जहां हमारे विद्यार्थी जायं और हमारे देश को सुन्दर प्रकाश दें। आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि हम को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वन मंत्री उस हिमालय से आते हैं, बद्रीनाथ से आते हैं, जहां गंगा मइया का उद्घाटन हुआ है। वहां से आये हैं। वह जंगल की एक-एक रग को जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पूर्वी जिले जो बाढ़ से हर साल तबाह होते हैं उनकी रक्षा की जाय और हमीं क्यों, हमारे पश्चिमी जिले वाले भी इस वर्ष तबाह हो गए। नदी की तीन अवस्थाएं हैं मान्यवर, उसी बाढ़ आती है।

राजा वीरेन्द्रशाह---प्वाइंट आफ़ आर्डर। मैं यह अर्ज करता हूं कि बिल पर तो अब बोलें।

अधिष्ठात्री---आप कृपा करके बिल पर ही रहने की चेष्टा करें।

श्री शिवनारायण---मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि वन विभाग पर ही बोल रहा हूं। अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुसार बोल रहा हूं।

अधिष्ठात्री---आप कृपा करके इसी बिल के ऊपर सीमित रहें तो अच्छा है।

श्री शिवनारायण---मैं आपकी इजाजत से कहूंगा कि जिस वन विभाग के बारे में मैं कुछ प्रकाश डाल रहा था, उसको सम्मानित सदस्य सुनना नहीं चाहते। मैं अपनी बीती कह रहा हूं, जगबीती नहीं कह रहा हूं। हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में जंगल काट दिये गये और काटने के बाद यह सफेद टोपियां लाल टोपियां हो गयीं सरों पर। लेकिन हम लोग फिर भी उनके बीच में जाते हैं और मैंने खुद देखा है कि इतने-इतने पेड़ काट दिये गये।

अब अगर हम सरकार से न कहें तो कल किस मुंह से सन् ५७ में कहेंगे कि मुझे वोट दो। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं, चूंकि वन मन्त्री हमारे शिकंजे में हैं आज हमको टाइम मिला है, हम अपने दुख-दर्द की कहानी को क्यों न कह जायं? हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी मुसीबतें हैं वह मिटने वाली नहीं हैं। हम भी डेढ़ लाख आदमियों को रिप्रेजेन्ट करते हैं। ग़रीबों की दशा ख़राब है। दूध-दही स्वप्न हो गया। मान्यवर, आज शुद्ध घी नहीं मिलता। न मिलने का कारण क्या है? सारे वन काट दिये गये, गायों के चरने के लिये जगह नहीं, मुरली अब बजती नहीं, कृष्ण की वंशी अब इस देश में बजती नहीं। आज गउओं की रक्षा नहीं होती, रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक हो गये हैं लोग। जब चीज असली होती है तो लोग परेशान होते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज दिल भरा हुआ है उसको कहा जाय ताकि जनता समझे कि हमने सही आदमी को भेजा गलत आदमी को नहीं भेजा। मैं विरोधी दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को ठीक तरह से क्रिटीसाइज करना चाहिये। मैं अपने वन मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बिल के लिये और जो सेलेक्ट कमेटी वाला प्रस्ताव है मैं समझता हूं कि उसकी अरूरत नहीं है यह तो दो मिनट में पास हो जायगा। अन्त में आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि वन विभाग का यह कानून जल्दी पास हो और अधकिारियों के कान गरम करें और उनकी निगरानी करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय शिवनारायण जी के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं सिर्फ माननीय नेगी जी को यह बताना चाहता था कि यह जो प्रश्न आज इस सदन के सामने पेश है और बहस हो रही है वह इतना महत्वपूर्ण है कि एक घंटे तक शिवनारायण जी बोल चुके हैं। और नेगी जी कहते हैं कि बहुत छोटा विषय है! मैं माननीय श्री शिवनारायण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने दिल की सारी बातें सदन के सामने रख दीं और अच्छा यह हो कि आज के दिन की प्रोसीडिंग्स वह अपनी कांस्टीटुयेन्सी में जरा बटवा दें। लोगों को तो उनका आगे का जो इलेक्शन आयेगा उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं मालूम होगी। अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस बिल के सिलसिले में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने इस पर काफी प्रकाश डाला है और माननीय मन्त्री जी इस बात पर राजी हो गये हैं कि यह सेलेक्ट कमेटी के सामने जाय। और मुझे उम्मीद है कि सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद इस बिल में जो कमियां हैं वे दूर हो जायंगी और उसकी कोशिश भी की जायगी। पर इतना मैं अवश्य बता देना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात कही कि हमारे बेचारे जो जंगल के लोग रहने वाले हैं उन्हीं का इस बिल से सम्बन्ध है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको ही यह असर नहीं करता है बल्कि प्रदेश के हर आदमी पर यह असर डालता है और अगर इस रूप में यह पास हो गया तो हर एक इससे परेशान रहेगा। हरएक के पास दो-चार पेड़ भी होते हैं, हरएक के पास थोड़ी सी जमीन भी पड़ी हुई है। अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले किसी को तंग करना चाहें तो वह अपने पेड़ के पत्ते तक नहीं काट सकता है, अपने पेड़ की एक टहनी नहीं काट सकता है, अगर इस रूप में यह बिल पास हो जाता है। इसके उद्देश्य में कुछ लिखा गया है, मैं मानता हूं कि जब तक हाफ़िज जी हैं उनके रहते हुए जो बात इसमें कही गयी है उसको पूरा करने की कोशिश हो, लेकिन कल को कोई दूसरा उस विभाग में आ जाय वह उस काम को उस तरह से न करे। इसलिये जब कानून बनता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कि आज उससे क्या बनता है, बल्कि उसका तो मंशा यह होता है कि कल और आगे भी उसका क्या असर पड़ सकता है? उद्देश्य में शायद हम लोगों के बहकावे में रखने के लिये यह कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन में जो जमीन इन्वाल्व होती है जो उन्होंने पट्टे वगैरह में दे दिये हैं उन्हीं के जंगलों का मसला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर यही मंशा थी तो साफ-साफ एक बिल आ जाता कि उन्हीं से सम्बन्ध रखने वालों के लिये वह लागू होगा। मैं यह समझता हूं कि यह बिल अगर इस तरह से पास होगा तो किस एरिया में किसके ऊपर यह लागू होगा, इसमें गलतफहमी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

भी हो सकती है। कोई आफिसर किसी एरिया में किसी आदमी से इन्टरेस्टेड हो तो उसके जंगलों को कोई रोक-थाम न करें, उसको प्राहिबिट न करे, पेड़ वगैरह काटने से और किसी दूसरे पर ऐसा प्राहोबिशन लगा सकता है कि वह उस पेड़ तक को न काट सकें जिसको कि वह अपने काम के लिये काट सकता था। तो जब बिल जायगा सेलक्ट कमेटी में तो वह उसमें ऐसी चीजों की रोकथाम करने की कोशिश की जायगी, एरियाज सारी ले ली जायगी तमाम जितनी भी हो। और उस एरिया में जितने भी पेड़ हैं वह सब ले लिए जायेंगे, वह न काटें जायं, क्योंकि उससे इरोजन की रोकथाम हो सकेगी जो कि गवनमट की पालिसी रही है कि इरोजन किसी तरह रोका जाय। इसलिये मैं बहुत ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि यह जो जंगल का सवाल है यह सम्बन्ध रखता है कि सिर्फ इन जमींदारों के जंगल से ही नहीं बल्कि यह तो हमारे सारे प्रदेश से भी सम्बन्ध रखता है, जिस तरह स आज हमारे जंगलों के पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उससे भी हमारे इस प्रदेश के अन्दर जो बाढ़ वगैरह आती है वह भी उसके कारण हो सकते हैं, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से सरकार की यह मंशा है कि वह इन जमींदारों के पट्टे पर जो जमीन दी गई उसमें जो जंगल वगैरह दे दिये गये हैं उन जंगलों का कटना रोके। उसी तरह से साथ ही साथ हमारे अपने जो जंगल हैं उनके पेड़ों को भी इंडिस्क्रिमिनेट फेलिंग न होने देगी। और जहां हमारी सरकार की यह मंशा है, सरकार का यह उद्देश्य है कि हम पेड़ों की रक्षा करें और हमारे पेड़ लोग न काटने पायें, नये नये पेड़ लोग लगायें। मैं यह समझता हूं कि सदन का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इसमें सरकार के साथ न हो, पर जो मंशा सरकार की है वह साफ-साफ कहनी चाहिये और इस बिल को बहुत छोटा सा बिल न समझा जाय। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल में आप पढ़ें तो फारेस्ट की परिभाषा जो की गई है 'एनी लैन्ड' यानी वह जमीन, जो किसी के पास हो, जिसमें खेती न हो रही हो या कोई भी दो-चार पेड़ कहीं पर भी खड़े हों, उन पेड़ों के लिये भी सरकार कह सकती है कि आप इस पेड़ को नहीं काट सकते हैं। इसलिये यह सिर्फ जंगल वालों के लिये नहीं है। हमारे यहां बहुत से कानूनों में बहुत से लोगों को बहुत सी जमीनें मिली हुई हैं। हमारे पर्वतीय प्रदेशों में नयाबाद के रूप में लोगों को बहुत सी जमीन मिली हुई है। वह सब भी इसमें आ जाते हैं। हमारी सरकार के पास बहुत से जंगल ऐसे भी पड़े हुये हैं जिनको वह जंगल कहते हैं, लेकिन वह जंगल है नहीं। वह बिल्कुल बेकार पड़ हुये हैं। उनमें न एक पेड़ है न और कोई चीज है। लेकिन न तो जंगल विभाग वाले उसमें खुद पेड़ लगाते हैं और न दूसरों को लगाने को देते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि हमें दे दीजिये, हम इसमें पेड़ लगा देंगे तो वह उसके लिये भी तैयार नहीं होते। तो न तो वह खुद पेड़ उसमें लगाते हैं और न दूसरों को लगाने देते हैं, इसलिये माननीय मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। पेड़ों पर जो रुपया खर्च किया जा रहा है उसका एक सवाल हो सकता है कि आखिर पेड़ लगेंगे कहां से जब तक कि रुपया उसके लिये नहीं दिया जायगा? तो अगर आप समझते हों कि जंगल तो हमारे हैं ही, लाखों पेड़ काट दीजिये, और अरबों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, तो वह तो आपकी सम्पत्ति है ही, जब चाहे आप उसे बरबाद कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे बरबाद करने जा रहे हैं तो साफ-साफ कहिये। अगर यह बात नहीं है तो सम्पत्ति पैदा कीजिये, कोई पेड़ तो लगाइये। उसके लिये कुछ रुपया भी खर्च किया जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से आप इन जमींदारों के जो जंगल वगैरह हैं उनको आप रोकना चाहते हैं काटने से, इसी प्रकार से जो सरकारी विभाग के जंगलात हैं, जहां हमारे पेड़ हैं उनकी भी जो कटिंग हो रही है उसको भी रोकना चाहिये।

इसलिये ज्यादा न कह करके, क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने सेलेक्ट कमेटी वाली बात को मान लिया है, मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में अवश्य इसमें तब्दीली हो जाय। यह बिल बहुत खतरनाक है। अगर इसको चेंज न किया गया और कुछ क्लाजेज न हटायी गयीं तो इस प्रदेश के लिये जहां यह फायदा पहुंचाने वाला है वहां घातक भी होगा। इसलिये कुछ अमेंडमेंट के बाद यह बिल बहुत अच्छा रहेगा और मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रोजल हमारे माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है, उसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--श्रीमती अधिष्ठात्री महोदया, जो विधेयक सरकार ने रखा है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसको बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मैं उस जिले से आया हूं, जहां पर काफी वन हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी काफ़ी वन हैं। वहां पर कई तरह के झगड़े बराबर चल रहे हैं। ऐसे बहुत से पट्टे हैं जो जमींदारों ने दे दिये हैं और जंगल विभाग वाले उनको तोड़ने से रोकते हैं। उनमें तमाम तरह के झगड़े चल रहे हैं। ऐसे भी मामले हैं कि क्षेत्र गांव सभा म आ गया है, उसमें वन विभाग रुकावट डालता है और यह मामला बावजूद इसके कि इस जमींदारी एबालिशन कानून को पास हुये आज साढ़े तीन वर्ष हो गये, यह झगड़े आज तक भी तय नहीं हुये हैं! इसलिये इस कानून के बन जाने की बहुत जरूरत थी। जब कानूनी वकील से मशविरा लेते हैं तो वह कहते हैं कि पट्टे जायज हैं और कानून भी कहता है कि जायज हैं, लेकिन वन विभाग वाले एतराज करते हैं। तो ये सब इस कानून से झंझट दूर हो जायेंगे, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं और माननीय मन्त्री जी और उपमन्त्री जी दोनों को बधाई देता हूं।

परन्तु इस विधेयक में मुझे बहुत सारी त्रुटियां दिखाई देती हैं। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि जो बागात हैं वे भी फारेस्ट में आते हैं। वहां यह डेफिनीशन दी है कि लैन्ड कवर्ड बाई ट्रीज ऐण्ड श्रब्स (Land covered by trees and shrubs), जो बागात हैं वे भी ट्रीज से कवर्ड हैं, उसमें कोई इम्तियाज या अन्तर पेड़ों में नहीं किया गया है। यह नहीं कहा गया है कि वह पेड़ खुदरों हों उन्हीं को हम वन कहेंगे। इसमें वह भी आते हैं कि जिसमें पेड़ लगाये गये हों, इसलिये बाग भी वन में आ जाते हैं। अब यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है, उसमें जो सदस्य होंगे, उनसे मैं यह कहूंगा कि इसमें ऐसी बात लावें जिससे बाग वन की परिभाषा में न आ सके। दिस बिल वि॰ नाट इन्क्लूड गार्डेंस (This bill will not include gardens)

इसमें एक चीज और भी मालूम होती है कि कहीं भी मुआविजे की बात नहीं है, जमीन लेने का प्रश्न नहीं है। इसमें तो स्वामी व अधिवासी या पट्टेदार को रोक दिया गया है कि तुम पेड़ नहीं काट सकते, तुम जमीन को काश्त नहीं कर सकते। किसी ने पट्टा ले लिया, जमीन उसके पास है। जब उसको आपने रोक दिया तो ऐसे लोगों के लिए जमीन रखना बेकार हो गया। उस जमीन से भी वह कोई लाभ नहीं उठा सकते। जमीन को प्रयोग में लाने से रोकने पर, आपके कानून बन जाने पर और नोटिफिकेशन हो जाने से उनको बड़ी हानि पहुंचती है। अब हानि पहुंचने पर क्या होगा, यह इसमें कहीं नहीं है यह जरूर दिया हुआ है कि वह एतराज करेगा, उसको आप सुनेंगे और गवर्नमेंट उसको डिसाइड (Decide) करेगी। क्या करेगी? मान लीजिए, जो जमीन उसके पट्टे में थी या किसी तरह से उसके पास आई या उन जगहों पर जहां यह जमींदारी कानून लागू नहीं हैं, जैसे पिछड़े हुये प्रदेश हैं या ऐसे प्रदेश हैं जहां पर यह कानून आज लागू नहीं है। वहां पर भी जो जमीनें बन्जर पड़ी हैं, जो चारागाह पड़े हैं वे सब इसके अन्दर आ जायेंगे। उस पर जिसका अधिकार है, उसमें हस्तक्षेप होगा क्योंकि आप यह कहेंगे कि अब आप इसे प्रयोग नहीं कर सकते। जब प्रयोग नहीं कर सकते तो उसके पास उस जमीन का रहना बेकार है। इससे उसको बड़ी हानि पहुंचेगी। इसलिये बड़ी जरूरत इस बात की होती है कि गवर्नमेंट प्रतिकर दे। गवर्नमेंट के लिये यह बात शोभा नहीं देती कि वह किसी के हक़ूक को छीनले और मुआविजा न दे। हां, जो जनुइन (genuine) वास्तविक पट्टे नहीं हैं, असली नहीं हैं उनको सरकार ले ले तो कोई एतराज नहीं है मगर जो असली पट्टे हैं, जिन्होंने उस जमीन को लेने के बाद काफी व्यय किया है उस पर उनको मुआविजा देना जरूरी है। इसलिये जब यह सेलेक्ट कमेटी में जाने वाला है तो मैं उस कमेटी के होने वाले सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में जो यह कमी है उसको दूर करें। इसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे जा सकते हैं कि He will be compensated if the case is genuine and if he is adversely affected.

[श्री रतनलाल जैन]

साथ में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो कानून रखा गया है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें चारागाह भी रोक दिये गये हैं। कहीं कहीं जो जमीनें खाली पड़ी हैं उन पर रुकावट लगाना तो ठीक है, मगर बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जो नहीं रोकनी चाहिये। अगर ऐसी जमीनों को रोका गया तो बड़ी हानि हो जायगी। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जब नोटिफिकेशन निकाला जाय तो काफी एहतियात बरती जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार प्रकट करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, जिन सुन्दर और स्वच्छ भावनाओं से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने इस विधेयक को आज इस सदन में प्रस्तुत किया है, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे खेद है कि इस बिल की जरूरत हमको पांच साल पहले थी, और यह महसूस होता है कि इस बिल का मजमून हमारी सरकार के दिमाग में कम से कम चार साल पहले था, और उस वक्त की परिस्थितियों को कन्ट्रोल करने के लिये शायद हमारी सरकार का यह मंशा था कि हम इस बिल के जरिये उनको कन्ट्रोल करें। वह समय चला गया। जिन बनों को इस बिल के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये थी वे कट चुके हैं। परन्तु आज भी इसकी जरूरत है हालांकि उस हद तक नहीं, जिस हद तक चार साल पहले थी। परन्तु इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम हैं वह इतनी डिफ़ेक्टिव है, उसके अन्दर इतनी कमियां हैं कि मैं, जिन साहबान ने इस बिल के मजमून को बनाया है, उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि इन जंगलों से हमारी देहात की जनता, जो कि इस प्रदेश में ८५ प्रतिशत से भी ऊपर है, का घनिष्ट सम्बन्ध है। इसका घनिष्ट सम्बन्ध इस देहात की जनता से है और रोजमर्रा की जिन्दगी में जंगल के कानून से संघर्ष लेना पड़ता है। जब कभी वह जंगलों में घास के लिये जाते हैं, लकड़ी के लिये जाते हैं, और दूसरे हक हकूकों का वह इस्तेमाल करते हैं तो जंगलों के कानूनों से उनको रोजमर्रा टक्कर लेना पड़ता है। इस लिये मैं निहायत अदब के साथ माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बिल की स्कीम के ऊपर बड़े गौर के साथ इन लोगों के साथ न्याय करने का प्रयास करें क्योंकि इस बिल के अन्दर जो जनरल स्कीम है वह यूनीलेटरल है, एक तरफा है। इसमें जनरल दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुये जो स्कीम अमेंड की है वह जंगलों के अफसरों ने की है उसमें नान टेक्नीकल और लेमैन की राय नहीं ली गई है और इसके बिना यह बिल ड्राफ्ट किया गया है। जब तक इसमें लेमैन का दृष्टिकोण न हो, तब तक हमारे बिल का मजमून डिफेक्टिव होना अवश्यंभावी है।

फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट के आफिसर्स जो गुजिश्ता जमाने के हैं, जिनकी ट्रेनिंग विदेशी हुकूमत के जमाने में हुई है, जिनका खास काम हुक्म की पाबन्दी करना है और अंग्रेजों के जमाने में उनकी ड्यूटी थी जंगलों का देखना और जनता से उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीफ़ कंजरवेटर साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके दिमाग में पुराने जमाने का ही कानून भरा हुआ है जिसको आजाद हिन्दुस्तान में लागू नहीं होना चाहिये, जो कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया के खिलाफ है और वह नल ऐन्ड वोयड समझा जायगा। इसलिये इस बिल का दृष्टिकोण एकतरफा है, वह जंगलों को बढ़ाता है। इन्सानों के दृष्टिकोण को देखते हुये जंगलों को रखना चाहिये। इसलिये इस बिल में जनता का दृष्टिकोण नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह से जनता का हित और जनता को आगे बढ़ाने में इमदाद कर सकता है।

मैं इस बिल की जनरल स्कीम को डिफेक्टिव क्यों बतलाता हूं, आप इस बिल को देखिये और गौर से पढ़िये। अगर इसका इम्पलीमेंटेशन हो गया, यह पास हो गया और कानून लागू हो गया, तो हमारी जनता का सरकार के फायदे के मुकाबिले में ज्यादा नुकसान होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें जो धारायें रखी गयी हैं वह जनता का दृष्टिकोण देखे बिना एक तरफा रखी गयी हैं। इसके पास हो जाने से देहात की जनता कुचली जायगी क्योंकि

इसका जो मजमून है, सरकारी आफिसर छोटी-छोटी बातों पर नोटिस इशू कर सकते हैं, और घूसखोरी होगी और हमारी जनता लूटी जायगी, खसोटी जायगी। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ कहता हूं कि खास कर वह दफायें और बिल का वह मजमून, हमारी जनता की राय को धमकी देता है।

यह दफ़ात इतनी खतरनाक हैं कि जिन लोगों का जनता से संपर्क है जंगलों के पास की, वह जानते हैं कि किस तरह छोटे-छोटे अफसर एक नुक्ता लगा कर लोगों के नाम एक फरमान भेज कर सारे गांव का शोषण करते हैं। हमारी सरकार को, सरकार के अधिकारियों को और मंत्री महोदय को यह बखूबी मालूम है कि हमारे यहां के गांवों का सब से बड़ा अफसर वहां का फ़ारेस्ट गार्ड होता है, जिसको पतरौल भी कहा जाता था किसी जमाने में, जो वहां की लकड़ी आदि दूसरी चीजों की देखभाल करता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप जंगल के पास की बस्तियों को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको इस प्रस्ताव पर विचार करना होगा। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप उन बस्तियों को उजाड़ना चाहते हैं तब तो मुझे कोई उज्रदारी नहीं लेकिन जिस तरह का रवैया हमारी सरकार का गरीब जनता के साथ रहा है वह ठीक नहीं है और उसका मैं ज्वलंत उदाहरण यहां सदन में पेश करना चाहता हूं। आपने जिन सख्तियों से काम लिया है जनता के साथ जंगलों के विकास के नाम पर उसी के सिलसिले में यह एक घटना है। हमारे गढ़वाल में कुछ लोग थे, जिनकी खुद काश्त थी, उनके अपने बगीचे थे, लेकिन आपने वहां जंगल के मुनारे लगवा कर उनकी रेवेन्यू की रकम खारिज करवा दी और यह कह दिया कि अब यह जमीन जंगलात विभाग की हो गई है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर यह जंगलों का विकास इंसानों के लिये हो रहा है तो हमें सचमुच में देखना होगा कि कहीं ऐसा करने में हम गरीब जनता को कुचल तो नहीं दे रहे हैं? हमें देखना होगा कि हम उनकी जमीनें जबरदस्ती न ले लें। ऐसा न हो कि हम उनकी जमीनें लेने के लिये उन पर झूठमूठ चलायें, कुर्की करायें और क्रिमिनल केसेज चलवा कर उन्हें परेशान करें। आज यही सब होता है। आपने झोपड़ियों का नीलाम और कुर्की करवा दी है। क्या यह सरकार को शोभा देता है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिये और इस तरह से नहीं कि तीन तीन पुश्तों की आबादी के एक गांव को एक कानून के जरिये, एक कलम की नोक से उड़ा दें और उनको उनके घरों से निकलवा दें, उनकी प्रापर्टी नीलाम करवा दें, कुर्की करा दें। यह करना कहां तक जायज है? मैंने कई बार माननीय पंत जी से पार्टी मीटिंग में और इस सदन में भी बड़े अदब से दरख्वास्त की लेकिन उसके लिये मुझे जवाब यह मिलता है कि सरकार के पास दरख्वास्त दीजिये। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हमारे अफसरों को सरकार से तनख्वाह मिलती है और जो जंगलों की सम्हाल के लिये रखे गये हैं, उनको जनता के पैसे से तनख्वाह दी जाती है, मंत्री महोदय को भी उसी पैसे से तनख्वाह मिलती है और वह इसलिये कि वह हमारे मसलों को हल करें, हल करने में वह अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फिर भी यह जरूरी है कि हम दरख्वास्त दें? मैं चाहता हूं कि सरकार के पास जितनी भी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और जिनमें ज्यादतियां हो रही हैं, उनको एक दम खत्म कर दिया जाना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि पुराना जो फ़ारेस्ट ऐक्ट है वह जनता के लिये एक बाधा है। सरकार कहती है कि फारेस्ट से १०० गज की दूरी के अंदर बिना फारेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जो गांव पहले से ही इस दूरी के अंदर हैं या औरों को भी आप अब जंगलों में शामिल कर सकते है। हम जंगलों के विकास में रोड़ा नहीं अटकाना चाहते परन्तु यह हमारा अवश्य फ़र्ज है कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते कि हम पहले यह देखें कि जिनकी जमीन हम जंगल में मिला रहे हैं उनको आबाद होने के लिये काफी जमीनें मिल जायं, उनको रुपया दें ऊंचे पैमाने पर ताकि वह अपने मकान बना सकें, नयी बस्तियां बना सकें।

नई बस्ती बना सकते हैं और मकान भी वह अपने वहां पर बना सकते है, तो आप अवश्य उन जमीनों को लीजिये। लेकिन गुलाम भारत के कानून को लागू करके अगर आप उनकी जमीन को लेना चाहते हैं तो उनके साथ ज्यादती करते हैं और आप बड़ा अन्याय करते हैं। कानून के नाम पर आप उनकी जान निकालना चाहते हैं। यह कहां का न्याय है। मैं निहायत

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज के दिन के बाद कम से कम चार महीने के अन्दर उन लोगों के दुख और दर्द दूर किया जाना चाहिये। अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं अभी अपनी कांस्टीटयूएन्सी के दौरे पर गया था। वहां पर एक खानदान के सारे लोगों ने चार मील दूर से आकर मुझको चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन सरकार ने ले ली है और हमारा मकान भी ले लिया है। हमारे बैल नीलाम कर दिये गये हैं। मकान से हमको बाहर निकाला जा रहा है और तीन बार उन पर अदालत से जुरमाना भी हो चुका है। वहां पर वह तीन पुश्त से आबाद थे, लेकिन उस जमीन से उनको निकाला जा रहा है। इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिल की स्कीम के अन्दर जो सरकार लोगों की जमीन लेने का प्राविजन रख रही है वह हमारी जनता के लिये कष्टमय साबित होगा। उसको बिना गौर किये हुये पास कर देना मैं समझता हूं कि आप अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भूल जाना है और न्याय की निगाह से इसको नजरन्दाज कर देना है। अगर हमें इस कानून को पास करना है, तो मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में अवश्य भेजा जाना चाहिये। सेलेक्ट कमेटी में बातचीत होकर इसकी दफाओं में संशोधन हो सकता है। यही नहीं बल्कि उस कमेटी को यह भी अख्तियार होना चाहिये कि जिस धारा के बढ़ाने की और जरूरत हो, जोकि जनता के हित के लिये और उसकी रक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है उन धाराओं को रखने का उनको पूरा पूरा अधिकार होना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमारे वन विभाग की ओर से जितना प्रयास हो रहा है जंगल को बढ़ाने का, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। परन्तु इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिन जमीनों को लेने के लिये प्राइवेट फारेस्ट की जमीन और वह जमीन जो कि दूसरों को पट्टे पर दे दी गयी है और जो जमीन सरकार ने अपने संरक्षण में ले ली है, उसके लिये बहुत गौर के साथ इन्तजाम करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत जगह पर जिलों में यह देखा गया है कि जो सदियों से लोग जिन हक हकूक को इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, और जंगलात से जो उनको सुविधा मिलती चली आती है, उनमें आज कटौती की जा रही है। मंत्री महोदय से हमारा इस विषय में परामर्श हुआ है और हमारी सरकार की ओर से आर्डर भी हो गया कि इन लोगों के हकहकूक जैसे थे वैसे रहेंगे, परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी देहरादून जिले में, बिजनौर जिले में लोगों को उन हकहकूक से महरूम किया जा रहा है। सरकार की ओर से आर्डर है और आश्वासन है, परन्तु उन आर्डर को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। मैं नहीं समझ पाता कि इसका क्या कारण है? इस बात को कई बार सरकार की नजरों में लाया गया है। मकानों के लिये जो हकहकूक की लकड़ी जो उनको मिला करती थी, और मरम्मत के लिये जो उनको लकड़ी मिलती थी आज उसमें कटौती क्यों की जाती है, और उनके कोटे को कम किया जाता है? उनके कोटे को बढ़ाना चाहिये। क्योंकि पहल ४ आदमी उस मकान में रहते थे अब १२ आदमी उस मकान में रहते हैं तो उनका कोटा बढ़ाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों के लिये आप ध्यान देने की कृपा करें, जिससे उनके हकहकूक में कोई कठिनाई न हो। जब उनके हकहकूक के इस्तेमाल करने का समय आता है, तो उनके साथ कोई ज्यादती न हो। सरकार की ओर से कोई भी ऐसा कदम नहीं होता है और ऐसी कोई भी रुकावट सरकारी अफसरों पर नहीं होती कि लोग आसानी से अपने हकूक का इस्तेमाल कर सकें। इन्हीं बातों को मद्दे-नजर रखते हुए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मैं सुझाव देता हूं कि यह बिल प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय और उसको यह भी अधिकार रहे कि वह नयी धाराओं को बना सके और उनको इनकारपोरेट कर सके।

राजा वीरेन्द्रशाह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

अधिष्ठात्री--सदन को इसमें कोई एतराज तो नहीं है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कोई एतराज नहीं है।

अधिष्ठात्री--सदन का समय १५ मिनट बढ़ाया जाता है।

*श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--अधिष्ठात्री महोदया, आज भवन के समक्ष वन मंत्री द्वारा, जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूं। वह इसलिये और भी बधाई के पात्र हैं कि वह मंत्री होने के साथ ही साथ वे विद्युत मंत्री भी हैं, क्योंकि वन और बिजली का मेल है। यह ठीक है कि जो यह प्रस्तुत विधेयक है इसको कुछ समय पूर्व ही आ जाना चाहिये था। इसके आने का सही समय वह था जब कि जमींदारी अबालीशन ऐक्ट पास किया गया था, वह वक्त बहुत ही उपयुक्त था। जमींदारी अबालीशन के साथ ही साथ ऐसे केसेज का भी निरीक्षण हो जाता। अगर ऐसे आंकड़े सरकार इकट्ठा कर लेती कि कितने पट्टे वनों के दिये गये हैं, उनके पास अगर ऐसी रिपोर्ट होती तो उनकी लिस्ट में यह जोड़ दी जाती है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक दूसरा चित्र भी हमारे सामने आता। यह सही है कि बहुत से जमींदारों ने अपनी जमीनों से रुपया कमाने के लिये उसको बेच दिया लेकिन जनता में ऐसे भी आदमी हैं और हो सकते कि जिनके पास कोई और जमीन अथवा साधन नहीं है। जो जमीन ऐसे पट्टों पर दी गयी थीं या ऐसे लोगों को दी गयी थीं, जिनके पास और कोई दूसरा जरिया रोजी कमाने का नहीं है तो अगर ऐसे लोगों को जमीन न दी जाती तो "अधिक अन्न उपजाओ" योजना में उसका सही उपयोग न हो पाता और उन गरीबों की भी मदद न होती। अगर सरकार के पास ऐसे आंकड़े होते, तो जिन भाइयों ने जनता के कष्टों का चित्रण किया उनको कहने का मौका न मिलता। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, तो हमारे सामने जनता के कष्टों का दूसरा ही चित्रण आ जाता है। जिस दिन कि जमींदारी अबालीशन का ऐक्ट पास हो गया था तो बहुत से जमींदारों ने अपनी जमीन से पेड़ों को कटवा लिया।

(इस समय ४ बज कर ४५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मलखानसिंह पीठासीन हुए।)

और उस में भी ईंधन जो कि हमारे दैनिक व्यवहार में सब से ज्यादा काम में आता है, उसमें कमी दिखाई देने लगी है। आज देहाती क्षेत्र में अगर आप जायं तो उनके भोजन बनाने के लिए पानी के साथ-साथ ईंधन भी बहुत आवश्यक हो जाता है, अगर उस को वह नहीं मिलेगा तो वह लोग भोजन किस प्रकार बना सकते हैं, और वहां के लोग किस प्रकार उस पर अवलम्बित हैं यह कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है। सौभाग्य से हमारे वन मंत्री जी विद्युत मंत्री भी हैं। यदि वह इस वन की समस्या के साथ इस बात पर भी गौर करते कि देहाती क्षेत्र में वह बिजली का और अधिक दान देकर वहां की ईंधन की समस्या को सुलझाते तो क्या ही अच्छा होता! आज शहरों में जिस प्रकार बिजली का वितरण होता है और उससे जो जगह जगह पर तमाम कारखाने चमकने लगे हैं लेकिन मैं समझती हूं कि अभी तक देहातों में बिजली की एक लालटेन भी नहीं दिखाई देती! इस पर विचार करने से पहले हमारे सामने यह विचार आ जाता है कि हम देहाती क्षेत्रों में ईंधन की समस्या को सुलझाने के लिए बिजली दें, यह हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, और जो काम हम आज करने चले हैं उसका कितना प्रभाव अच्छा या बुरा भविष्य में पड़ेगा, उसका भी विचार करके यह बिल आना चाहिए था। और अधिक मैं क्या कहूं, और बहुत से भाइयों ने सुझाव दिया है कि इसको प्रवर-समिति में भेजा जाय लेकिन मेरी समझ से तो यह एक छोटा सा बिल है और मैं इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं समझती। अच्छा हो कि यहीं पर इस पर सदस्यों द्वारा अच्छी तरह से विचार हो कर थोड़े से समय में ही यह पास हो जाय तो कोई हानि न होगी। इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

*राजा वीरेन्द्रशाह--सभापति जी, जो बिल भवन के सामने पेश है उसके जहां तक उद्देश्यों का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि मुझे इनके सम्बन्ध में थोड़ा सा भ्रम है। उसमें कहा गया है कि यह बिल इस वजह से लाना पड़ा है कि जमींदारों ने प्राइवेट फ़ारेस्ट में ऐसे पट्टे दे दिए हैं, जिनके कारण से सरकार को फारेस्ट बढ़ाने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

में दिक्कत हो रही है, और इस तरह का बिल जैसा कि दूसरे मित्रों ने कहा कि अगर आना था तो ५ साल पहले आना चाहिए था। यह बात समझ में नहीं आती कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में लिखा हुआ है कि जो पट्टे ३ साल के अन्दर नाजायज तरीके से दिए गए हैं वह सब रद्द कर दिए जायंगे। तो फिर कौन सी गुंजायश है और कौन से पट्टे रह जाते हैं, जिनकी वजह से फारेस्ट को बढ़ाने में दिक्कत होती है ? जरा देर को मान भी लें कि ऐसे कुछ पट्टे कहीं हों भी तो उनके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि सारे सूबे में ऐसी बात पाई जाती है कि उद्देश में लिखा जाय कि प्रान्त भर के जमींदारों ने ऐसे पट्टे दिए हैं। एक जगह किसी एरिया में ऐसा हो गया हो तो हो गया हो, हमारे यहां न तो इतने बड़े जंगल हैं और न उधर लोगों ने कोई इतने बड़े पट्टे ही किए हैं और न ऐसे पट्टों से किसी की हानि ही हुई है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि इसमें जो सन्देह बताया गया है कि सरकार जो वन बढ़ाकर लगा रही है उसमें भय और दिक्कत बतायी है, तो उसको दूर करने के लिए माननीय गेंदासिंह ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और सरकार भी इस बात को मान रही है, तो मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं कि सरकार ने हम लोगों की बात सुन ली कि जब फिर यह बिल आयेगा उस वक्त हम विचार रखेंगे तो यह समस्या हल हो गयी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक क्षेत्र की चीज है तो सारे प्रान्त पर इल्जाम न लगायें जैसे कि शिवनारायण जी ने जमींदारी उन्मूलन का झगड़ा उठाया और सारे प्रान्त की बात कही। तो इस किस्म की बात अगर कहीं एक जगह की हो तो सारे प्रान्त के लिये उसको कहना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के प्रवरसमिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सभापति महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत सी उन बातों की चर्चा की गई है जो इसके अन्दर नहीं है। इसमें एक सीधी सी बात थी कि किस प्रकार इन जंगलों का इन्तजाम किया जाय। उसमें गलत सही पट्टा देने की बात नहीं है, जैसा राजा साहब ने कहा। इसमें केवल यह बात है कि जंगल वालों ने जो पट्टे दिये थे, उनके अनुसार जंगलों के कटने से आम तौर पर सारे प्रान्त की खेती पर बुरा असर पड़ता है इसलिये उसको रोका जाय। तथ्य की बात इतनी है। मेरे एक दोस्त अभी व्याख्यान में कह रहे थे "वह आपके यहां के ही थे"। तो वे मेरे यहां के हों या कहीं के भी हों, इससे तात्पर्य नहीं है। वह कह रहे थे कि गवर्नमेंट यह बिल अपनी आमदनी बढ़ाने की नियत से पास करा रही है। आमदनी बढ़ाने का प्रश्न इसमें नहीं है और न यह कि किसकी सम्पत्ति है। जिसकी भी हो सरकार उसकी सम्पत्ति नहीं ले रही है बल्कि उसका केवल इन्तजाम कर रही है, जिससे वह अपने जंगलों का इस्तेमाल वैज्ञानिक ढंग से कर सके। राजासाहब ने कहा कि एक आध पट्टा कहीं हुआ होगा लेकिन यह तो सारे प्रान्त का सवाल उठाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ३२९.२ स्क्वायर माइल के पट्टे दिये गये हैं और सारे स्टेट भर में यह क्षेत्र वितरित है। यह एक जगह की बात नहीं है बल्कि सारे प्रान्त की है। जहां तक माननीय गेंदासिंह जी का सवाल है, उन्होंने बड़ी सुन्दर बात कही कि इसको रोकना चाहिये।

श्री रघुनाथ मल्ल (जिला देवरिया)---सदन में कोरम नहीं है श्रीमन्।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी---तो मैं यह कह रहा था कि गेंदासिंह जी ने बड़े सुन्दर सुझाव दिये हैं और बड़ी सुन्दर बातें कही हैं। और जहां तक बागों के कटने की बात है हम भी समझते हैं कि बाग कट रहे हैं। पहले नियंत्रण रखा गया लेकिन लोगों ने आपत्ति की। बहुत से माननीय सदस्यों ने आपत्ति की कि एक पेड़ काटने के लिये भी सरकार से इजाजत हासिल की जाय, इससे जनता को बड़ा कष्ट है। तो माननीय सदस्यों की राय से यह किया गया कि दो एकड़ से ऊपर में स्थित बागों के कटाने की इजाजत तो कलेक्टर दे, और उससे नीचे गांव सभा के सभापति दें। तो सरकार की ओर से जब कोई कार्य हुआ माननीय सदस्यों की राय से हुआ।

जब इस अधिकार को विकेन्द्रित किया तब भी आपकी राय ली गई। कल आप ही कहते थे कि हम सेंट्रलाइज करने की बात करते हैं लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होने पर यहां उसका दुरुपयोग होता है तो इसका हमें बड़ा सख्त अफ़सोस है। मैं समझता हूं कि और आपकी भी यह राय होगी कि पुनः इसको केन्द्रित किया जाय। अगर इस अधिकार को वापस लिया जाय तो सरकार को कोई आपत्ति न होगी। इस वक्त बहुत पेड़ कट रहे हैं इसका हमें दुख है और इस विषय में जो भी संभव सुझाव आप लोग देंगे, उनको सरकार अवश्य मानेगी।

जयेन्द्रसिंह जी ने कहा कि सारे देश पर यह एक्सटेंड होगा। मैंने आपको बतलाया कि इसके अन्दर एक चीज पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट इन जंगलों को नोटिफाई करेगी और जो नोटिफ़िकेशन के अन्दर आ जायेंगे वे उस वक्त तक माने जायेंगे और बाद को ६ महीने के बाद फिर एक एक पर इंडिविजुअल नोटिस होगा और गवर्नमेंट उसको पूर्णरूपेण कंसीडर करेगी। और उसके बाद जहां पर मुनासिब होगा वहां पर उसको अमल में लाया जायगा। जो यह बात कही गई कि आज तो हाफिज साहब हैं और कल को दूसरा आदमी आ बैठे, जो ठीक तरह से इनका प्रबन्ध न करे, तो इसके लिए तो कानून को इस रूप में बनना चाहिये कि उसका कभी कुप्रभाव न पड़े, जैसा कि प्राइवेट फ़ारेस्ट ऐक्ट के अन्दर हुआ। उसके अन्दर गर्डलिंग शब्द नहीं था। पेड़ को छील दिया जाता था और इस प्रकार सुखा कर मार दिया जाता था। सारे कानून में वह विशेष शब्द नहीं मिला, जिसके कारण वह ऐक्ट भी डिफ़ेक्टिव रह गया। तो आपका यह दृष्टिकोण भी ठीक है। अगर कोई ऐसा लूपहोल रह जाय, जिससे रक्षा करने में दिक्कत हो तो उसे बन्द कर देना चाहिये। या ऐसा लूपहोल हो, जिससे लोगों को बेकार परेशानी हो, तो उसको भी बन्द कर दिया जाय। सरकार को कोई वाजिब बात को मानने में इन्कार नहीं हो सकता। लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसी बात न करें जिससे यह ला बन कर इनएफ़ेक्टिव रह जाय। मेरा कहना है कि सरकार की जो पालिसी है वह नीचे तक अमल में कितनी आती है, उसके लिये हमें देखना है कि जहां तक हो सके वह पूर्ण रूप से आती है या नहीं? मेरा जहां तक अपना अनुमान है हमने इस बात की चेष्टा की है कि कहीं पर किसी को तकलीफ न हो और इंडिविजुअली हर एक केस को हम देखते हैं और समझते भी हैं। चाहे वे यहां के हों, या बाहर के हों लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो सुविधायें जनता को जमींदारी विनाश के पूर्व प्राप्त थीं वे हमने पूर्ववत् कायम रक्खी हैं और हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो और स्थान स्थान पर जाकर जहां भी ऐसी शिकायतें मिली हैं उनको हमने दूर करने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि इतना प्रयत्न करने पर भी अगर कहीं ऐसा कष्ट होता होगा तो उसको निवारण करने की चेष्टा की जायगी। जहां पर पुराने तरीके पर कोई ऐसी नीति बरती जाती हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। कानून मानव समाज की भलाई के लिये है। हम यह नहीं चाहते कि कानून के शिकार आदमी बन जायं। इसलिये आपके दिल में जो सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं उनकी इज्जत हम स्वयं करते हैं। मगर हमें इसमें यह देखने की जरूरत है कि अगर हम इस तरीके पर कानून को रक्खें, जिससे उसका कोई अर्थ न निकले, तो वही पुरानी बात आ जाती है और फिर उसी तरह से वह बेकार सा हो जाता है। मैं इन शब्दों के साथ अब यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इंडियन फारेस्ट विधेयक, १९५५ विचार करने के लिए एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर देने का जो आश्वासन दिया है वह अपनी रिपोर्ट १८ दिसम्बर, १९५५ को १२ बजे दिन तक दे दे, ताकि १९ दिसम्बर, १९५५ को पारित हो सके।

अधिष्ठाता--नाम का प्रोपोजल दे दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--नाम मैंने भेज दिये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मुझे इस पर एक निवेदन करना है। वह यह कि यह बिल जब छप जायगा तो यहां मेज पर रख दिया जायगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई कानूनी दिक्कत न हो तो अगर अजेंडा के साथ सुबह बिल भेजवा दिया जाय तो हमें आसानी होगी।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---वह तो एक मोशन दे रहे हैं, अमेंडमेंट के तौर पर वह खत्म हो जाता। उसके बाद यह बात कह देते। इसके बीच में आने की जरूरत नहीं थी।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि इंडियन फ़ारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५ विचार करने के लिए एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट १८ दिसम्बर, १९५५ को १२ बजे दिन तक दे दे ताकि विधेयक १९ दिसम्बर, १९५५ तक पारित हो सके।

समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :---

१---श्री जगमोहनसिंह नेगी---सभापति
२---श्री गंगाधर मठाणी
३---श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट
४---श्री शिवकुमार शर्मा
५---श्री भगवानसहाय
६---श्री शिवनारायण
७---श्री फतेहसिंह राणा
८---श्री व्रजभूषण मिश्र
९---श्री लक्ष्मणराव कदम
१०---राजा बीरेन्द्रशाह
११---श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट
१२---श्री जगपतिसिंह
१३---श्री महमूद अली खां (रामपुर)
१४---श्री जगन्नाथ प्रसाद (लखीमपुर-खीरी)
१५---श्री मदनमोहन उपाध्याय
१६---श्री हेतराम
१७---श्री हरिसिंह
१८---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ
१९---श्री रामेश्वरलाल
२०---श्रीमती चन्द्रवती।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल---अब श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर दूं।

अधिष्ठाता---श्री जगमोहनसिंह नेगी इस समिति के सभापति नियुक्त हुए।

श्री जगन्नाथ मल्ल---हमारे वित्त मंत्री जी को कुछ आपत्ति हुई। मैं उतना पार्लियामेंटेरियन नहीं हूं इसलिए मैं नहीं जान पाया। खैर, मैंने सीख लिया। वह यह है कि यह जो आयेगा छप कर सोमवार को, यह मेज पर रखा जायगा। वह क्वेश्चन आवर के बाद तुरन्त पेश हो जायगा। हमें समझने और संशोधन देने का इस प्रकार मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगरचे अजेंडे के साथ सुबह घुमवा दिया जाय तो हमें मौक़ा मिल जायगा।

अधिष्ठाता---इसकी कोशिश की जायगी कि वह छप कर आ जाय।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर सोमवार १९ दिसम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१६ दिसम्बर, १९५५।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०---२२ (एल० ए०)---१९५६---७९६